आपदा प्रबंधन योजना

जिला– गुना (म.प्र.)

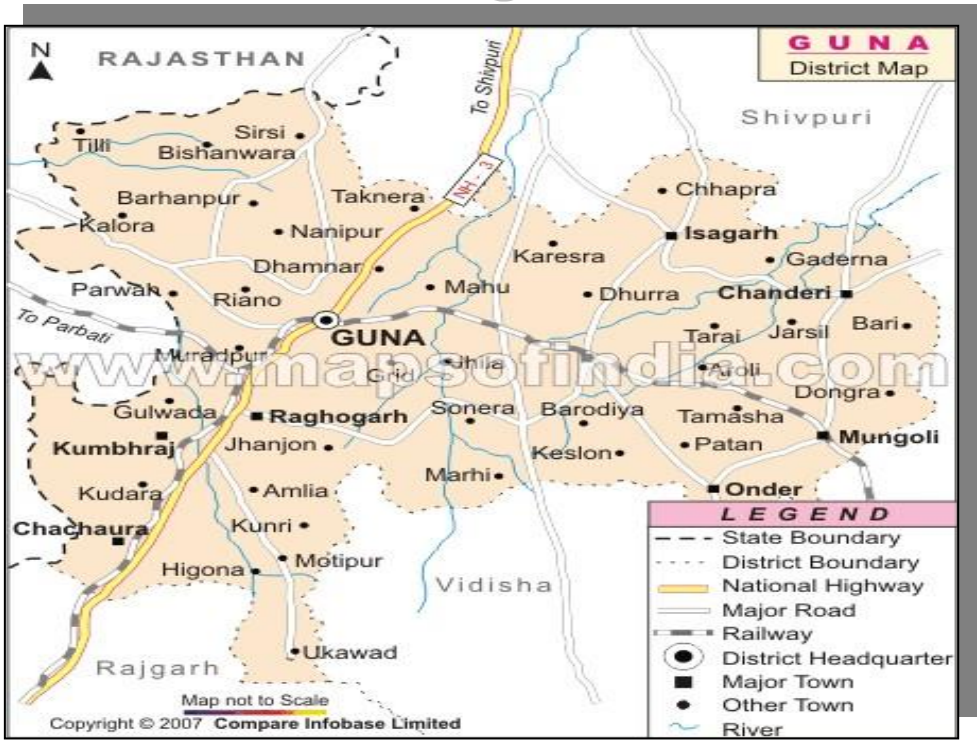

2013-14

कलेक्टर / अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
जिला गुना (म.प्र.)

जिला आपदा प्रबंधन योजना

जिला–गुना

वर्ष 2013–14

विषय सूची

क्र0	विवरण	पृष्ठ क्र.
1	आपदा प्रबंधन एक नजर में	6-7
2	**अध्याय –1** जिला गुना परिचय एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ	8-21
3	**अध्याय –2** जिले के संभावित आपदाओं का विवरण संवेदनशीलता तथा क्षमता आँकलन	22-34
4	**अध्याय –3** आपदा प्रबंधन संस्थागत तंत्र	35-42
5	**अध्याय –4** जिला गुना मे आपदा रोकथाम, हेतु आवश्यक तैयारी	43-71
6	**अध्याय –5** जिला गुना मे चिन्हित कुछ प्रमुख आपदाओं की शमन कार्य योजना	72-83
7	**अध्याय –6** जिला गुना आपदा अनुक्रिया कार्य योजना	84-101
8	**अध्याय –7** पूर्व स्थिति की प्राप्ति या सामान्य स्थिति की बहाली	102-105
9	**अध्याय –8** आपदा के दौरान जिला गुना मीडिया प्रबन्धन	106-111

क्र0	अनुलग्नकों का विवरण	पृष्ठ क्र.
1	जिला गुना मे डी.डी.एम.ए. के प्रमुख अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं दूरभाष	113
2	जिला एवं विकासखण्डों का सड़क एवं रेल मानचित्र	114
3	जिले में चिन्हित प्रमुख खतरों से संवेदनशील क्षेत्रों का तहसीलवार विवरण मानचित्र पर दर्शाये	115-120
4	जिला गुना के प्रमुख पुलिस अधिकारियों के नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर	121
5	जिला,ब्लॉक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सा आधिकारी का नाम,अस्पताल का नाम,पता,मोबाईल नम्बरों का विवरण	122
6	जिले में उपलब्ध ब्लड बैंकों का विवरण	123
7	जिले में स्वेच्छिक रक्तदाताओं का विवरण	124-126
8	जिले मे पदस्थ पशुचिकित्सकों का विवरण	127
9	जिले के पेट्रोल पम्पों का विवरण	128-130
10	जिले के कुशल तैराक उपलब्ध कराने वाले अधिकारी का नाम, पद, ऑफिस, टेलीफोन नं.का विवरण	131
11	जिले मे कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों का विवरण	132-133
12	जिले के महत्वपूर्ण दूरभाष केन्द्रों का विवरण	134
13	जिले के प्रमुख विद्युत उप केन्द्रों का विवरण	135-136
14	जिले के बाढ़ (संभावित) ग्रामों की सूची	137-138
15	जिले मे कार्यरत खतरनाक उद्योगो की सूची	138
16–17	जिले मे उपलब्ध संसाधनों गैर–सरकारी एवं सरकारी (एम्बुलेंस, कटर मशीन, नाव,अग्नि शमन वाहन, बुलडोजर, डम्पर) का विवरण	139
18	जिले के प्रमुख यातायात सड़क परिवहन अधिकारी का नाम,पद,पता,टेलीफोन ऑफिस एवं मोबाईल नम्वरों का विवरण	140

19	जिले के प्रमुख बांधों की सूची	140-141
20	जिले के प्रमुख शैक्षणिक अधिकारियों के नाम,पद,पता,टेलीफोन एवं मोबाईल नम्बरों की सूची	142
21	जिले/तहसील में अस्थाई शिविर उपलब्ध कराने वाले अधिकारी का नाम, पता,टेलीफोन एवं मोबाईल नम्बरों का विवरण	143
22	जिले मे उपलब्ध टेन्ट हाऊसों की सूची	144-145
23	जिले में उपलब्ध जल संसाधन टेंको का विवरण	146
24	जिले में उपलब्ध होटल, लॉज, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस का विवरण	147-148
25	जिले में उपलब्ध दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्रों का विवरण	149-150
26	जिले के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची	151-152
27	जिलें में उपलब्ध केवल नेटवर्क ऑपरेटरों की सूची	153-154
28	जिले मे उपलब्ध रेस्टोरेंटों, केटरर्स की सूची	155-156
29	जिले के प्रमुख सरकारी/ग्रामीण बैंकों का तहसीलवार विवरण	157-158
30	जिले के प्रमुख जीवन/सामान्य बीमा कार्यालयों/केन्द्रों का विवरण	158
31	जिले के प्रमुख रेल्वे स्टेशनों का विवरण	159
32	जिले के प्रमुख बस स्टेण्ड का विवरण	160
33	जिले की प्रमुख उचित मूल्य की दुकानों की सूची	161-166
34	महिला एवं बाल बिकास के जिला परियोजना अधिकारी का नाम, पता	166
35	पूर्व तैयारी हेतु चैक लिस्ट	167-169
36	शमन गतिविधियॉ जिला–गुना	170-177
37	भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीकी	178-188

आपदा प्रबंधन कार्ययोजनाः एक नजर में

गुना में जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का निर्माण जिला स्तरीय परामर्श कार्यशालाओं एवं समूह कार्य के माध्यम से किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में जिले के प्रमुख अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों तथा जिला स्तर पर कार्यरत अन्य क्रियाशील संगठनों के अभिमुखीकरण तथा जिला स्तर पर आयोजित किये गये जिला परामर्श (कन्सलटेशन) के माध्यम से जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना तैयार की गयी है।

इस जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना में जिला गुना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आंकड़े एवं जानकारियों जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, भौगोलिक संरचना, उपलब्ध संसाधनों, सेवाओं ग्राम सभाओं तथा जिलें के आधारभूत आंकड़ों को **प्रथम अध्याय** में प्रस्तुत किया गया है।

द्वितीय अध्याय में जिले की सम्भावित खतरों तथा उन खतरों से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों व्यक्तियों/परिवारों एवं सम्भावित खतरों से निपटने के लिए जिले में उपलब्ध संसाधनों को सूचीबद्ध किया गया है। जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न सरकारी विभागों स्वयं सेवी संगठनों तथा अन्य उत्तरदायित्व धारकों के साथ बैठक, संपर्क, परामर्श, समूह कार्य इत्यादि महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए जिला गुना के संभावित खतरों, संवेदनशील क्षेत्रों तथा गॉवों का चिन्हींकरण किया गया है।

तृतीय अध्याय में विभिन्न चिन्हित खतरों का सामना करने हेतु जिले में उपलब्ध व्यवस्था के विषय में विस्तृत विवरण उल्लेखित किया गया है। विभिन्न चिन्हित खतरों के दौरान जिला स्तर पर आपदा प्रबंध कानून 2005 के अनुरूप गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों को सूचीबद्ध एवं उल्लेखित किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में जिले में चिन्हित खतरों का प्रभावी रूप से सामना करने हेतु विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली पूर्व तैयारी के विषय में विस्तृत विवरण अंकित किया गया है।

इसके अन्तर्गत आपदा संभावित क्षेत्रों मे की जाने वाली तैयारी आापदा के दौरान किये जाने वाले कार्य इत्यादि को विस्तृत रूप सें सम्मिलित किया गया है।

पंचम अध्याय में चिन्हित विभिन्न खतरों के शमन योजना के विषय में विस्तृत विवरण उल्लेखित किया गया हैं। किसी भी आपदा के समय जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों द्वारा सामूहिक रूप से आपदा प्रबन्धन का कार्य किया जाता है।

षष्ठम अध्याय में विस्तृत रूप से उल्लेखित किया गया है कि आपदाओं की अनुक्रिया में कौन–कौन से कार्य किये जायेंगे तथा उन कार्यों के सुचारु रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु कौन–कौन से विभाग किन–किन गतिविधियों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करेंगे। तहसील तथा जिला स्तर पर कितने प्रकार की दल गठित किये जायेंगे, दलों का नोडल अधिकारी कौन होगा तथा किसी भी आपदा के समय नोडल अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। इस अध्याय में जिला स्तर पर कार्यरत प्रमुख विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है।

सप्तम अध्याय में आपदा के उपरान्त किये जाने वाली गतिविधियों के विषय में उल्लेखित किया गया है। पुनः प्राप्ति अर्थात ''सामान्य स्थिति की बहाली'' हेतु की जाने वाली गतिविधियों के विषय में विस्तृत रूप से उल्लेखित किया गया है।

अष्टम अध्याय में मीडिया प्रबन्धन के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी है। साथ ही साथ विभिन्न खतरों/आपदाओं के समय विभिन्न स्तर जैसे पूर्व तैयारी अनुक्रिया, शमन में मीडिया का प्रभावी रूप से कैसे उपयोग किया जा सकता है, विषय पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

अध्याय १

परिचय एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ–

जिला गुना

1.1 आपदा प्रबंधन एवं नियोजन की आवश्यकता

आपदा एक आकस्मिक तथा अनिश्चित चुनौती है। यद्यपि कुछ आपदाओं को रोकना संभव नहीं है परन्तु उनके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। कई मानव जनित आपदाओं को एवं कुछ सीमा तक प्राकृतिक आपदाओं को भी रोका जा सकता है। नियोजन, पूर्व तैयारी, शमन और पूर्वाभ्यास होने पर किसी भी आपदा के प्रभाव को न्यूनतम या कई स्थितियों में नगण्य किया जा सकता है।

1.1.2 **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 –** ''आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005'' के अनुसार भारतवर्ष के प्रत्येक जिले की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना आवश्यक है।

1.1.3 **स्थानीय स्थिति –** जब भी किसी क्षेत्र विशेष पर आपदा आती है, तो सर्वप्रथम स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विभाग ही त्वरित अनुक्रिया करते हैं; राज्य और संपूर्ण देश से मद्द आने में समय लगता है, और यदि वे समय पर पहुंच भी जाए तो भी स्थानीय परिस्थितियों और वातावरण से तालमेल बैठाते और उसको समझते–समझते काफी समय निकल जाता है अतः आवश्यक है कि, निवारण, शमन और पूर्व तैयारी हेतु स्थानीय स्तर पर नियोजन किया जाए जिससे स्थानीय स्थिति के अनुरूप कार्यवाही की जा सके।

1.1.4 **विशिष्ट क्षेत्र –** प्रत्येक जिले की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, प्रशासनिक रूप से वह एक अलग इकाई होता है, और कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। अतः जिला स्तर पर कार्यवाही करना आसान होता है। ऐसे में जिले की अपनी पृथक आपदा

प्रबंधन रणनीति हो, पृथक योजना हो तो कार्य को और सुगम बनाया जा सकता है।

1.1.5 **अभी तक की स्थिति** – जिला गुना में, अद्यतन बहुआयामी एवं अनुकूलतम आपदा प्रबंधन योजना तैयार नहीं है; यद्यपि गुना जिले में स्थित एन0एफ0एल0 एवं गेल के औद्यौगिक क्षेत्र होने के कारण ऑफ साईट इमरजेंसी प्लान का निर्माण किया गया है, परन्तु संपूर्ण जिले के विभिन्न संभाव्य आपदा जोखिमों एवं संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में अधिक अनुकूल, बहुआयामी एवं व्यवस्थित योजना बनाना अति आवश्यक है।

1.1.6 **पूर्व तैयारी –** आपदा प्रबंधन योजना का एक महत्वपूर्ण चरण है– पूर्व तैयारी से आशय है कि किसी भी प्रकार की आपदा का सामना करने के लिए प्रशासन और समुदाय पूर्णरूपेण तैयार रहें। आपदा पूर्व तैयारी में यह भी शामिल होता है कि किस दल की क्या जिम्मेंदारी होगी; किस प्रकार की आपदा आने पर क्या कार्य योजना अपनाई जाएगी, शासन की भूमिका क्या होगी, स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका क्या होगी और समुदाय की भूमिका क्या होगी। यदि हमारे पास ''पूर्व योजना'' की एक अनुकलतम रूपरेखा हो, एवं समुदाय के विभिन्न वर्गों को उसके अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए, अवास्तविक अभ्यास (Mock drill) करवाए जाएं, तो यह निश्चित है, कि आपदा पर सहज नियंत्रण पाया जा सकता है।

1.1.7 **विकास तथा आपदा प्रबंधन –** आज की आवश्यकता है, कि विकास की अवधारणा में ''आपदा प्रबंधन'' को भी शामिल किया जाए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विकास के साथ–साथ विभिन्न आपदाओं से कैसे बचा जाए, और कैसे उनके प्रभावों को कम किया जाये यह जानकारी होना भी एक स्वस्थ विकास का द्योतक

है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की निर्माण एवं विनिर्माण संबंधी विकास योजनाओं में आपदा संबंधी ''संरचनात्मक'' शमन उपायों को प्राथमिकता देते हुए शामिल करना अति आवश्यक है; लोगों में भूकंपरोधी मकान निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूकता लानी होगी।

1.1.8 **तैयार समुदाय** – किसी भी आपदा स्थिति से मुकाबला करने हेतु पूर्व तैयारी हो, संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक शमन ठीक प्रकार से नियोजित हो– समुदाय तैयार हो, तो आपदा की अनुक्रिया कई गुना बेहतर ढंग से एवं न्यूनतम हानि के साथ संपन्न की जा सकती है।

1.1.9 **योजना एवं कोष सहायता –** शासकीय एवं गैर–शासकीय संस्थाओं के पास ''आपदा प्रबंधन'' हेतु कोष उपलब्ध है, किंतु इस कोष का बहुत सीमित उपयोग हो रहा है, इस विसंगति का एकमात्र कारण है, अनुकूलतम योजना की अनुपलब्धता। यदि जिले के आपदा प्रबंधन हेतु एक व्यवहारिक एवं अनुकूल योजना हो, एवं उसमें यह स्पष्ट परिलक्षित हो कि किस मद पर कितना व्यय किया जाना है, कितने कोष की आवश्यकता है, तो निश्चय ही आपदाओं का प्रबंधन प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।

1.1.10 **जागरूकता –** ''आपदा प्रबंधन'' के संदर्भ में लोगों का ज्ञान एवं जागरूकता अत्यंत न्यून है। चाहे वह आम जनता, कर्मचारी, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी हो। यदि सभी अधिकारी, प्राधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जिला आपदा प्रबंध योजना तैयार की जायेगी तो आपदा प्रबंधन के विषय में उनके ज्ञान और कौशल भी विकसित होंगे।

1.2 आपदा प्रबंधन के बदलते प्रतिमान

वर्तमान में आपदाओं के प्रबन्धन में भारत सरकार द्वारा अब केवल ''राहत'' की धारणा को वृहद्ता प्रदान करते हुए एक नये एवं विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाया है। इस नये दृष्टिकोण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन को विकास के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़कर देखा जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर (केन्द्र, राज्य, जिला, तहसील एवं ग्राम) आपदा प्रबंधन हेतु प्रभावी नियोजन एवं जन सहभागिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के प्रतिमान अब बदल गये हैं, जिनके मुख्य बिन्दु निम्नवत है –

- आपदा प्रबंधन का विकास के साथ सम्मिलियन,
- अनुक्रिया के साथ–साथ रोकथाम, पूर्व तैयारी एवं शमन,
- पूर्ण एकीकरण सहित समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन,
- स्थानीय नियोजन,
- बहुआयामी एवं बहुस्तरीय नियोजन।

1.3 जिला आपदा प्रबन्धन योजना का उद्देश्य

आपदा की संभावना या जोखिम को कम करते हुए जिला गुना के समुदाय, प्रशासन एवं अन्य सभी संस्थाओं की क्षमता वृद्धि द्वारा आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करना ही आपदा प्रबंधन योजना का मुख्य लक्ष्य है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के उद्देश्य निम्नवत है : –

1. जिले के प्रमुख खतरों एवं संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण, जिससे किसी भी आपदा के समय होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
2. जिले में आपदा के दौरान कार्य करने वाले विभिन्न विभागों एवं अन्य प्राधिकृतों के पास उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण करना।

3. जिला स्तर पर आपदाओं से बचने हेतु आवश्यक एवं प्रभावी पूर्व तैयारी; व्यवस्थित, भौतिक संसाधन एवं क्षमतापूर्ण मानव संसाधन सुनिश्चित करना।

4. आपदा के प्रभाव में कमी तथा रोकथाम हेतु क्षेत्र विशिष्ट एवं जोखिमवार कार्य योजना तैयार करना।

1.4 जिला आपदा प्रबन्धन योजना की सीमायें

आपदा प्रबन्धन कार्य योजना गुना की सीमायें अग्रांकित हैं–

1.4.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के प्रबंधन हेतु विभिन्न आपदाकालों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण का निर्धारण विभिन्न स्तरों पर कार्यरत प्राधिकारी विभागों/प्रशासन द्वारा आपदाओं का सामना करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है :–

एल–0 सामान्य समय : जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा खतरो एवं संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण, आपदा रोकथाम, पूर्व तैयारी एवं शमन, अनुक्रिया हेतु दलों का गठन एवं प्रशिक्षण, सामुदायिक जनजागरूकता आदि महत्वपूर्ण कार्यो को पूर्ण किया जायेगा।

एल–1 स्थिति में : आपदाओं का सामना जिला स्तर पर किया जा सकेगा। यद्यपि किसी भी सहायता एवं आवश्यकता हेतु राज्य एवं राष्ट्र तैयार रहेंगे।

एल–2 स्थिति में : आपदाओं का प्रबंधन बिना राज्य/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग के किया जाना संभव नही है। जिले में एल–2 स्तर की आपदा आने पर जिला स्तर पर तैयार की गई आपदा प्रबंध कार्य

योजना पूर्णरूपेण प्रभावी नही होगी यद्यपि कार्य को प्रभावी तरीके से करने हेतु आधार प्रदान करेंगी।

एल–3 में : जिले में एल–3 स्तर की आपदा आने पर बिना राष्ट्र/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग के आपदाओं का सामना करना संभव नही है।

1.4.2 कुछ विशेष प्रकार के आपदओं जिनका वर्तमान में कोई पूर्वाभास नही हैं, ऐसी किसी अप्रत्याशित आपदा उदाहरणार्थ जैविक आपदाओं के आने पर जिला आपदा प्रबंधन योजना पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होगी।

1.5 जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना निर्माण की प्रक्रिया

जिला गुना की आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का निर्माण निम्नलिखित चरणों को पूरा करते हुए किया गया है।

- जिले के प्रमुख अधिकारियों का आपदा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर अभिमुखीकरण।
- सभी विभागों के पास उलपब्ध ऑकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण।
- विशेषज्ञों के साथ सम्पर्क/चर्चा
- परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन, जिला स्तरीय अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों, मीडिया तथा स्थानीय प्राधिकरणो के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा एवं समूह कार्य के माध्यम से जिले के प्रमुख खतरों, संवेदनशील क्षेत्रों, संसाधनों का चिन्हीकरण।

- परामर्श कार्यशालाओं के दौरान जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन एवं कार्य, जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष की स्थापना, चिहिन्त आपदाओं के रोकथाम एवं शमन हेतु जिले की तैयारी, मानव संसाधन, उपकरण, आपदा अनुक्रिया हेतु दलों का गठन एवं भूमिका इत्यादि पर विचार–विमर्श एवं चर्चा।
- प्राधिकृत व्यक्तियों, संस्थाओं, जन समुदाय के सुझावों को शामिल करने के लिए जिले की बेवसाइट पर कार्य योजना का प्रकाशन।
- तैयार जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना स्वीकृति हेतु राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी तथा स्वीकृति उपरान्त योजना को लागू कर दिया जायेगा।

1.6 जिला गुना की आधारभूत जानकारी

1.6.1 जिला गुना – एक नज़र में

जिला गुना – एक नज़र में	
गठन	1 नवम्बर 1956 (मध्यप्रदेश के गठन के साथ)
भौगोलिक स्थिति	23.22 डी 53 से 25.07 डी उत्तरी अक्षांश, 76. 48 डी. 78.17 डी. दक्षिणी देशांतर
जिले की सीमाएं	जिले के उत्तर पूर्व में शिवपुरी, पूर्व में अशोक नगर, दक्षिण पूर्व में जिला विदिशा, दक्षिण में जिला भोपाल, दक्षिण पश्चिम में जिला राजगढ़, उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य की सीमा लग जाती है।
भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी.)	6390.00
वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	101375
सामान्य वर्षा स्तर (मि. मि.)	735
औसत वर्षा स्तर (मि. मि.)– 2010में	934.6
न्यूनतम तापमान	4.8 डिग्री सेल्सियस (जनवरी)
अधिकतम तापमान	47.6 डिग्री सेल्सियस (मई)
मुख्य औद्योगिक क्षेत्र	गुना, राधौगढ़,चाचौड़ा

(स्त्रोतः जिला सांख्यिकी पुस्तिका, वर्ष 2011, जिला– गुना)

जनसंख्या (स्त्रोतः जनगणना 2011)	
कुल जनसंख्या	1241519
म0प्र0 की कुल जनसंख्या में जिले का भाग	1.7
कुल शहरी जनसंख्या	312675
कुल ग्रामीण जनसंख्या	928844
कुल जनसंख्या अ0जा0	193115
कुल जनसंख्या अ0ज0जा0	190819
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि0मी0)	194
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर (2001–2011)	
कुल	26.9
ग्रामीण	25.7
शहरी	30.9
अनुसूचित जाति	25.8
अनुसूचित जनजाति	33.2

लिंग (स्त्रोतः जनगणना 2011)	
लिंगानुपात	
संपूर्ण जनसंख्या	912
ग्रामीण	911
शहरी	915
अनुसूचित जाति	919
अनुसूचित जनजाति	943
कार्य सहभागिता दर–महिला	30.3

आधारभूत सुविधाएं (स्त्रोतः जनगणना 2011)	**प्रतिशत**
परिसर के अन्दर पेय जल की उपलब्धता	**21.0**
परिसर के निकट पेय जल की उपलब्धता	47.0
परिसर से दूर पेय जल की उपलब्धता	32.0
विद्युत सहित परिवार	59.7
शौचालय सहित परिवार	19.8
परिवहन सुविधा	
कार/जीप/वॅन की उपलब्धता वाला परिवार	2.5

स्वास्थ्य सुविधाएं (2011)– कुल जनसंख्या एवं कुल शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर	
प्रति स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्भर जनसंख्या	8805
प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्भर ग्रामीण जनसंख्या	61923
प्रति उप स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्भर ग्रामीण जनसंख्या	7805
कुल उप–स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या	119
कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या	15
कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या	06
जिला अस्पताल	01

साक्षरता (स्त्रोतः जनगणना 2011)

	कुल	ग्रामीण	शहरी
जिला गुना	63.2	58.4	77.1
महिला	51.4	45.4	68.4
पुरूष	74.1	70.2	85.2
अनुसूचित जाति	59.7	57.0	67.4
अनुसूचित जनजाति	43.7	42.7	61.8

प्राथमिक शालाओं का आधारभूत ढांचा

स्कूलों की कुल संख्या (शासकीय एवं निजी)	2584
बाउंड्रीवालयुक्त स्कूल (%)	36.1
पेयजल की सुविधा वाले स्कूल (%)	100.0
लड़कियों के लिए शौचालययुक्त स्कूल (%)	99.0
विद्युत्सुविधा युक्त स्कूल (%)	17.4

(स्त्रोतः– डिस्ट्रिक्ट एलीमेंटरी एडुकेशन रिपोर्ट कार्डः 2011–12, जिला– गुना)

स्थानीय निकायः जिला–गुना

निकाय	संख्या	विवरण
जिला पंचायत	01	गुना
जनपद पंचायत	05	गुना, आरोन, बमौरी, राघौगढ़, चाँचौड़ा
नगर पालिका	02	गुना, राघौगढ़
नगर परिषद्	03	आरोन, बीनागंज, कुंभराज
ग्राम पंचायत	425	————————————

प्रशासनिक ढाँचाः जिला–गुना

राजस्व निरीक्षक मंडल	12
त्हसीलें	1. गुना 2. राघौगढ 5. कुंभराज 6. बमोरी 3. आरोन 4. चाचौड़ा 7. मकसूदनगढ़
कुल ग्राम	1376
राजस्व ग्राम	1375
आबाद ग्राम	1264
वीरान ग्राम	115
वन ग्राम	01
पुलिस स्टेशन	17
पुलिस चौकी	21

1.6.2 जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से गुना जिला अवन्ति राज का हिस्सा था, बाद में यह मगध साम्राज्य में शामिल हो गया था। अठारहवीं सदी के प्रारंभ में चंदेरी मालवा का भाग था तथा गुना का बाकी क्षेत्र राघौगढ़ स्टेट का भाग था, बाद में राघौगढ़ तीन स्टेट में बंट गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् गुना जिला ग्वालियर स्टेट के सानिध्य में आ गया। 1860 में गुना जिला ब्रिटिश छावनी के अंतर्गत आ गया, हालांकि गुना, ग्वालियर का भाग था, ब्रिटिश होने के कारण इसका मुख्यालय बाजरानगढ़ था, जो कि गुना से 06 किमी0 दूर स्थित है। 1897 में गुना से गुजरने वाली रेल लाईन बनाई गई जो मध्य रेल्वे के अंतर्गत आती है। आजादी के बाद 28 मई 1948 में गुना मध्य भारत की 16 स्टेट्स में से एक हो गया।

1.6.3 भौगोलिक संरचना

जिला गुना मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहलाता है। गुना मालवा के पठार पर पार्वती और बेतवा नदी के बीच उत्तर पूर्व में बसा है। दक्षिण में जिले का बड़ा भाग मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। जिले का अधिकांश भू–भाग ज्वालामुखी उत्पत्ति के अवनत पठारों व मैदानों तथा नदियों द्वारा विकसित सौपानों, बाढ़कृत मैदानों को दर्शाता है। जिले का भू–भाग वृहत गंगा द्रोणी के अंतर्गत चंबल, सिंध व बेतवा उपद्रोणीयों का भाग है। पार्वती, सिन्ध व बेतवा इनकी सहायक नदियॉ जिले के पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी भाग में बहती है।

1.6.4 जलवायु एवं तापमान

जिले की जलवायु समशीतोष्ण है। सर्दियॉ प्रायः नवम्बर से जनवरी तक चलती है जबकि तापमान औसतन 8.6 डिग्री सेलसियस से 20.5 डिग्री

सेलसियस के बीच रहता है। फरवरी माह में सर्दी का प्रभाव कम हो जाता है। मार्च से जून तक गर्मीयों का मौसम रहता है; गर्मियों में तापमान 31^0 सेलसियस से 45.2^0 सेलसियस के बीच रहता है।

1.6.5 औसत वर्षा

गुना जिले का पिछले पाँच वर्ष के औसत वर्षा का विवरण निम्नवत है : –

तालिका 1.2

गुना जिले औसत वर्षा (मि0मी0 में)

क्र.	वर्ष	वर्षा
1	2011–12	1751.7
2	2010–11	–
3	2009–10	934.6
4	2008–09	–
5	2007–08	1096.1
6	2006–07	962.1
7	2005–06	947.8

स्त्रोतः जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, 2011

1.6.6 उद्योग

जिले के उत्तर में ग्वालियर और दक्षिण में इंदौर जिला होने के कारण, यहाँ औघौगीकरण भी हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहॉ औघौगीकरण को और बढ़ा देता है। गुना की मुख्य औघौगिक इकाईयां अग्रांकित है–

1. नेशनल फर्टिलाईसर्स लिमिटेड (एन0एफ0एल0)।
2. गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल)।
3. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन बॉटलिंग प्लाण्ट।
4. दीपक स्पिनर्स लिमिटेड।

1.6.7 यातायात

गुना मध्यप्रदेश तथा शेष भारत से सड़क तथा रेल से जुड़ा है।

- **सड़कें**

गुना आगरा बाम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 03 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिले के मुख्य स्थान पलाई, गुना, रूठाई, आरोन एवं बीनागंज है। राष्ट्रीय राज्यमार्ग की जिले में कुल लंबाई लगभग 125 किमी0 है। जिले में प्रमुख राज्यमार्गो की कुल लंबाई लगभग 248 किमी0 है। राज्य राजमार्ग नं0 10 (रांची बिहार से देहरदा), नं0 19 (जैतपुर उत्तरप्रदेश से सुसनेर महाराष्ट्र) एवं राज्य राजमार्ग नं0 23 सबलगढ़ मध्यप्रदेश से नागपुर महाराष्ट भी जिले से गुजरते है।

- **रेल्वे**

गुना जिला पश्चिम रेल के कोटा–बीना सेक्शन की ब्राडगेज लाईन पर स्थित है। एक अन्य रेल लाईन (गुना–मक्सी) इसे इन्दौर व उज्जैन से जोड़ती है। कोटा, बीना, उज्जैन, इन्दौर व ग्वालियर हेतु ट्रेने उपलब्ध है।

- **वायु मार्ग**

जिले में हवाई पट्टी स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा भोपाल में है, जो कि जिले से 214 किमी0 दूर है।

अध्याय–2

जिले के संभावित आपदाओं का विवरण संवेदनशीलता तथा क्षमता आँकलन

2.1 जिला गुना में संभावित प्रमुख खतरे

जिला गुना में विद्यमान खतरों की पहचान एवं विशलेषण, जिला स्तर पर आयोजित किये गये कार्यशालाओं एवं समूह कार्य के माध्यम से किया गया। जिले में कुल 11 प्रकार के खतरे विद्यमान हैं, जिनका विवरण निम्नवत है।

2.1.1 पानी तथा जलवायु संबंधी विपदाएं

- बाढ़
- सूखा
- ओलावृष्टि

2.1.2.भू–गर्भ संबंधित विपदाएं

- भूकम्प
- खदान सम्बंधी खतरा/ दुर्घटना

2.1.3 रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु संबंधित विपदाएं

- औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना
- रसायनों का परिवहन एवं संग्रहण

2.1.4 जैविक विपदाएं

- महामारी

2.1.5 दुर्घटना संबंधित विपदाएं

- त्यौहार संबंधी खतरे
- सड़क दुर्घटनायें
- रेल दुर्घटनायें
- घरेलू आग एवं जंगल की आग

2.2 गुना जिले की प्रमुख आपदाओं का संक्षिप्त विश्लेषण

जिले में उपलब्ध, आपदा विषयक पिछले वर्षों के द्वितीयक आंकड़ो, प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यशालाओं के दौरान चर्चा एवं विचार–विमर्श करके प्राप्त जानकारियों द्वारा खतरों की पहचान एवं श्रेणीकरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है; देखें चित्र 2.A।

चित्र 2.A

श्रेणी	खतरा
I	बाढ़
II	औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना
III	सड़क दुर्घटना
IV	रसायनों का परिवहन एवं संग्रहण
V	सूखा
VI	भूकम्प
VII	त्यौहारों से संबंधित दुर्घटनाएं
VIII	टाग
IX	खदान सम्बंधी दुर्घटनायें
X	रेल दुर्घटनायें
XI	महामारियां
XII	ओलावृष्टि

2.2.1 बाढ

गुना जिले में लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ की स्थिति बन जाती है जिसका प्रमुख कारण अति वर्षा एवं सिहोर, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा एवं गुना जिलों में लगातार वर्षा होने एवं परिणामास्वरूप भदभदा एवं कलियासोत डैम के गेट खुलने से जिले में मुख्यतः पार्वती नदी में एवं उसके उसकी सहायक नदियों कूनो एवं सिंध में पानी बढ़ जाने से बाढ़ की सम्भावना बन जाती है। परिणामस्वरूप इन नदियों के किनारे बसे ग्राम तथा निचले क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण प्रभावित होते हैं। जिले में मुख्यतः 42 गाँव चपेट में आते हैं जिनमें से सात गाँव बाढ़ हेतु अतिसंवेदनशील हैं।

तालिका 2.1

बाढ उन्मुख नदियों एवं प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची

क्र0	तहसील	नदियों के नाम	संवेदनशील ग्राम	अतिप्रभावित ग्राम
1	बमोरी	सिंध	सोडा, पाठी, पीपल्या,रामनगर,टकोदिया,बनियानी	
2	कुंभराज	पार्वती	निजामपुर, ऊपरी, मूडरा, केकडयाकला, कैकडयाखुर्द, कांदई, खिरियाखेरात, खटकिया, सांकाकला देहरी, भमावद, बडा गॉव	30 गाँव यलो/42
3	गुना	सिन्ध	गोपालपुरा, उकावद, लहरघाट, महुखान, इमझरा	पाछी, सोढ़ा, पीपल्या
4	राघोगढ	पार्वती	हिंगोना, वृसंगपुरा,तूमनखेड़ी,जनकपुर,मोहोम्मदपुर	तेजाखेड़ी, खेराड़, बनियाटोड़ी, रघुनाथपुरा, कांदीखेड़ा
5	चाँचोडा	पार्वती	खेजडाकला, मालोनी, देवपुरा, घाटाखेडी,वापचाविक्रम,कंकरूआ,रामपुरा,बापचालहरिया, सांकाखुर्द,रायपुरा,नवलपुरा,बड़पुरा,मुसरेली	
6	आरोन	सिन्ध	बरोद,कुन्दोनी,देहरीकलाँ,देहरी खुर्द,भूतमढ़ी	
7	मकसूदनगढ	पार्वती	खेराड, बनियाटोडी, रघुनाथपुरा, कांदीखेडा,तेजाखेड़ी,हिंगोना	

वर्ष 2006 – 07 में जिले के 3 ग्राम बाढ़ से प्रभावित थे जहां एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। लगभग 30 मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए जिसका अनुमानित मूल्य 1 लाख था; 383000 रूपए की राहत राशि का वितरण किया गया। 5 लाख की सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो गई। वर्ष 2013–14 में जिले को अतिवृष्टि का सामना करना पड़ा जिसके कारण फसलों व संपत्तियों का काफी नुकसान हुआ।

तालिका 2.2

जिले के बाँधों का विवरण

क्र0	तहसील	परियोजना/बॉध संख्या	प्रभावित/संवेदनशील क्षेत्र
1	बमोरी	2	रंगपुरा, कुडका, बंदा
2	चाचोडा	2	खानपुरा, मेसपुरा
3	राघोगढ	2, (गोपीकृष्ण सागर,संजय सागर)	रूठियाई, पालिका

2.2.2. औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना

जिला गुना में औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना भी एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में विद्यमान है। जिले की राघौगढ एवं गुना तहसील औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना के लिए सर्वाधिक संवेदनशील हैं। यद्यपि औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना का कोई पूर्व इतिहास जिले में उपलब्ध नही है। गेल, आई0ओ0सी0एल0 एवं एन0एफ0एल0 जैसी बडी औद्योगिक इकाईयॉ जिले में विद्यमान हैं; इन औद्योगिक इकाईयों में खतरनाक गैसों/रसायनों जैसे अमोनिया, पेट्रोल, एल0पी0जी0 का भंडारण तथा परिवहन भी किया जाता है। समय–समय पर यहां कुछ छोटे–छोटे हादसे हुये भी हैं परंतु इकाई स्थित संसाधनों द्वारा उनका नियंत्रण किया जाता रहा है। इन औद्योगिक इकाईयों द्वारा ऑन साइड एवं ऑफ साइड प्लान का निर्माण किया गया है। औद्योकि आपदा की स्थिति में इस योजना में उल्लेखित बिन्दुओं का उपयोग किया जायेगा।

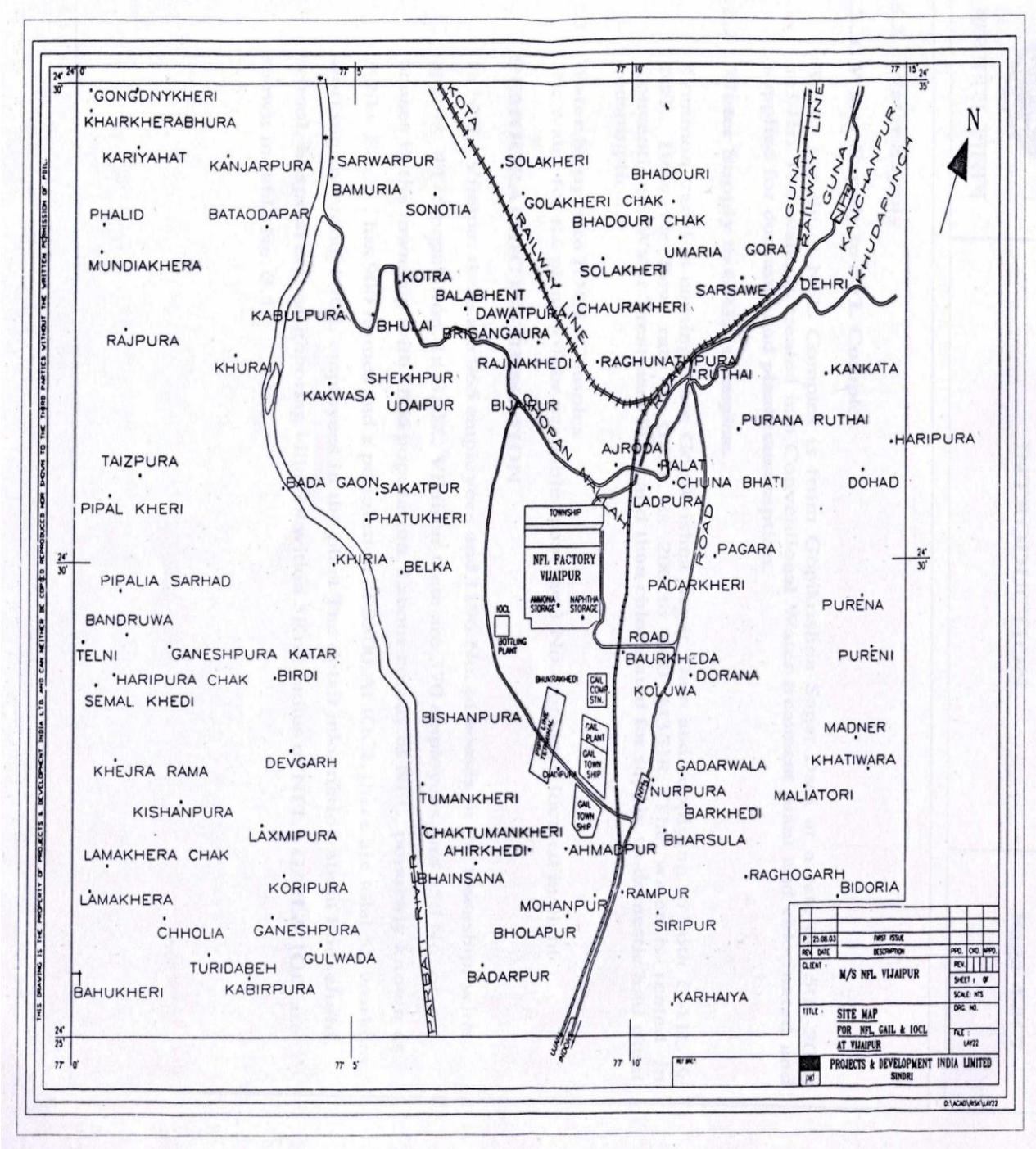

GONGDNYKHERI
KHAIRKHERABHURA
KARIYAHAT
KANJARPURA
SARWARPUR
BAMURIA
SOLAKHERI
BHADOURI
GOLAKHERI CHAK
BHADOURI CHAK
PHALID
BATAODAPAR
SONOTIA
UMARIA
GORA
MUNDIAKHERA
KOTRA
SOLAKHERI
SARSAWE
DEHRI
BALABHENT
CHAURAKHERI
KABULPURA
BHULAI
DAWATPURA
BRISANGAURA
RAJPURA
RAJNAKHEDI
RAGHUNATHPURA
RUTHAI
KANKATA
KHURAI
SHEKHPUR
KAKWASA
UDAIPUR
BIJAIPUR
PURANA RUTHAI
HARIPURA
AJRODA
TAIZPURA
PALAT
CHUNA BHATI
DOHAD
BADA GAON
SAKATPUR
LADPURA
PIPAL KHERI
PHATUKHERI
PAGARA
KHIRIA
BELKA
NFL FACTORY VIJAIPUR
TOWNSHIP
AMMONIA STORAGE
NAPHTHA STORAGE
IOCL
BOTTLING PLANT
PIPALIA SARHAD
PADARKHERI
PURENA
BANDRUWA
ROAD
TELNI
GANESHPURA KATAR
BAURKHEDA
PURENI
HARIPURA CHAK
BIRDI
DORANA
SEMAL KHEDI
KOLUWA
BISHANPURA
GAIL COMP. STN.
GAIL PLANT
GAIL TOWN SHIP
MADNER
KHEJRA RAMA
DEVGARH
GADARWALA
KHATIWARA
NURPURA
MALIATORI
TUMANKHERI
KISHANPURA
BARKHEDI
LAXMIPURA
CHAKTUMANKHERI
BHARSULA
LAMAKHERA CHAK
AHIRKHEDI
AHMADPUR
RAGHOGARH
BHAINSANA
BIDORIA
KORIPURA
RAMPUR
LAMAKHERA
MOHANPUR
SIRIPUR
CHHOLIA
GANESHPURA
BHOLAPUR
GULWADA
TURIDABEH
BADARPUR
BAHUKHERI
KABIRPURA
KARHAIYA
PARBATI RIVER
KOTA RAILWAY LINE
GUNA RAILWAY LINE
GUNA
NH3
KANCHANPUR
KHUDAPUNCH
ROAD
RAGHOGARH ROAD
N
77° 5'
77° 10'
77° 15'
24° 30'
24° 35'
24° 25'
77° 0'
M/S NFL VIJAIPUR
SITE MAP FOR NFL, GAIL & IOCL AT VIJAIPUR
PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED SINDRI

तालिका 2.3

औद्योगिक इकाई एन0एफ0एल, गेल एवं आई0ओ0सी0एल प्रभावित ग्रामों की सूची

(लगभग 05 किमी. का क्षेत्र)

क्र0	क्षेत्र का नाम	प्रभावित जनसंख्या
ग्रामीण		
1.	पलिका बाजार	3300
2.	भुलाय	618
3.	बिरसंगपुर	356
4.	चेनपुरा	400
5.	खयरिया	600
6.	अजरोडा	629
7.	दौराना	1934
8.	करमखेडी	2382
9.	भयसाना	977
10.	एन0एफ0एल0	4478
11.	बोरीखेडा मुरालीपुरा	900
12.	बडौदी	1389
13.	विजयपुर ग्राम	2667
14.	बुघारखेडी	800
15.	भोलापुरा	369
16.	डोंगर	2297
17.	रूठियाई	7661
18.	बिसनपुर	0
19.	अहिरखेडा	499
20.	रघुनाथपुरा	323
21.	बेलका	758
22.	सकतपुर	886
23.	फातुखेरी	185
24.	तुमनखेरी	226
25.	चक तुमनखेरी (जनकपुर)	139
26.	सीतापुरा	306
27.	इकोदिया	306
शहरी		
28.	वार्ड नं. 12 (बरखेरी, बगनोलखा, नूरपुरा, भरसुला)	1186
29.	वार्ड नं. 13 (अहमदपुर, भूमराखेरी, बहादुरगढ़, चैनपुरा, रसरमपुरा)	1877
30.	वार्ड नं. 14 (साधा कालोनी, खिरिया सराई, कोलुआ)	2242
31.	वार्ड नं. 21 (पाडरखेरी, लदपुरा, भवरीखेरा, (मंदिर आश्रम), चूना भट्टी (गिदिया))	1947

2.2.3 सडक दुर्घटना

जिला गुना से आगरा मुम्बई राष्टीय राजमार्ग गुजरता है, जिसकी कुल दूरी लगभग 125 किमी0 है। जिससे 03 तहसीलें गुना, राघोगढ, चाँचोडा सर्वाधिक संवेदनशील हैं। इस राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर 19 ऐसे स्थल चिन्हित किये गये हैं, जो सर्वाधिक संवेदनशील हैं एवं जहाँ सर्वाधिक दुर्घटनायें होती है। जिले में प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटना के कारण औसतन 156 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक दिन 5–6 केस अस्पताल में आते हैं। विगत वर्षों में घटित दुर्घनाओं का विवरण निम्नवत है–

तालिका 2.4

सड़क दुर्घटना

क्र0	वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	घायल	मृत
1	2003	627	783	110
2	2004	620	590	119
3	2005	570	659	138
4	2006	658	761	121
5	2007	782	887	172
6	2008	757	1140	188
7	2009	840	1217	225
8	2010	763	1122	176

स्त्रोतः जिला संख्यिकी पुस्तिका, गुना, 2008; पुलिस अधीक्षक गुना

2.2.4 रसायनों का परिवहन एवं संग्रहण

जिला गुना में रसायनों का परिवहन एवं संग्रहण भी एक प्रमुख खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। जिले से गुजरने वाले प्रमुख मार्गों से खतरनाक रसायनों का परिवहन होता रहता है। अतः यहॉ पर रसायनिक आपदा का खतरा विद्यमान है। यद्यपि जिले में अभी तक किसी बडी रसायनिक दुर्घटना की सूचना नही है।

2.2.5 सूखा

यहॉ पर सूखे की स्थिति भी बढती जा रही है कुछ बडी बडी नदियों को छोडकर ज्यादातर नदियों में पानी गर्मी आने के पहले ही सूख जाता है जिससे खेती के लिये एवं जिले के ज्यादातर हिस्से में पीने के पानी की समस्या आ जाती है। जिले का लगभग सम्पूर्ण भाग सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से चाँचोडा तहसील प्रमुख रूप से प्रभावित होती है।

2.2.6. भूकम्प

भूगर्भीय विश्लेषण के अनुसार जिला गुना सिसमिक जोन–2 में स्थित है अतः भूकम्प का खतरा जिला गुना में विद्यमान है।

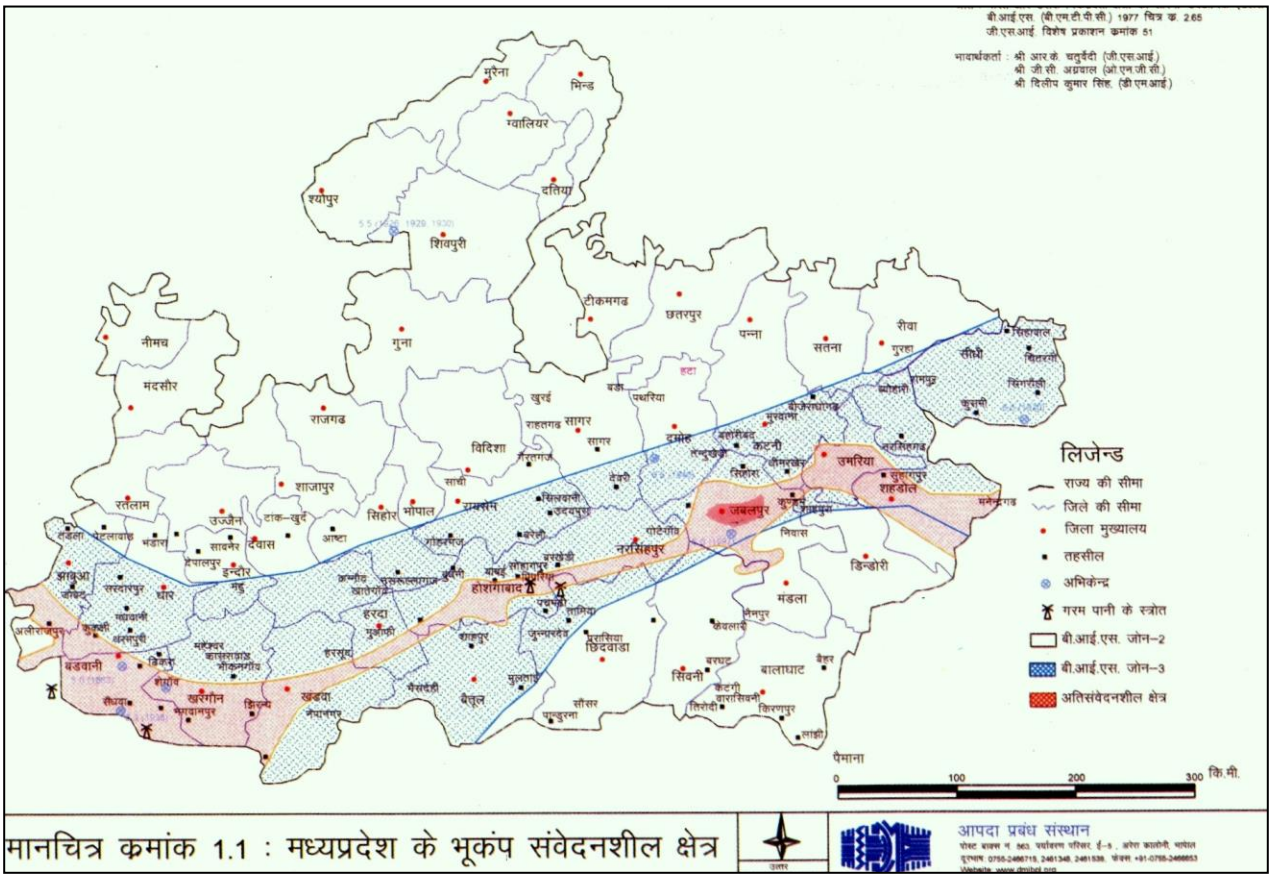

मानचित्र कमांक 1.1 : मध्यप्रदेश के भूकंप संवेदनशील क्षेत्र

गुना जिले में बहुत सी जगहों पर धार्मिक एवं अन्य मेलों का आयोजन किया जाता है जिसमें कई स्थानों पर हजारों की संख्या में जन समुदाय एकत्र होता हैं अतः इन स्थलों पर मेला से सम्बंधित होने वाले हादसों का खतरा बना रहता है। जिले में मेला एवं धार्मिक उत्सवों से सम्बंधित संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण निम्नवत् है–

तालिका 2.5

मेला एवं धार्मिक उत्सवों से सम्बंधित संवेदनशील क्षेत्र

क्र0	तहसील	संवेदनशील मेला क्षेत्र
1	गुना	**गोपालपुरा, रावण दहन** दशहरा के समय 25–30 हजार की भीड
		हनुमान टेकरी, बूढे बालाजी हनुमान जयंती अप्रैल माह में 25–30 हजार की भीड
		केदारनाथ का मेला 20–30 हजार की भीड
		बीसभुजा देवी मंदिर मे मेला 20–30 हजार की भीड
		मीना बाजार, प्रताप छात्रावास,गुना –मई एवं जून
		नवरात्रि उत्सव – संपूर्ण गुना
2	कुंभराज	**कुंभराज का पशु मेला** 5–10 हजार की भीड

मेलों के लिए विस्तृत आपदा प्रबंधन योजना पृथक् रूप से तैयार की गई है।

2.2.8 आग

अ – घरेलू आग – जिला गुना में घरेलू आग को भी एक प्रमुख खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। जिले के आरोन तहसील में आगजनी की घटना हुई थी जिसमें काफी क्षति हुई थी।

ब – जंगल की आग – जिला गुना में जंगल की आग को भी एक प्रमुख खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है।

तालिका 2.6

जंगल की आग	
सर्वाधिक प्रभावित तहसील	आंशिक प्रभावित तहसील
1. बम्होरी 2. चाँचौड 3. राघौगढ 4. आरोन	1. गुना 2. कुंभराज 3. मकसूदनगढ

2.2.9 खदान सम्बंधी दुर्घटनायें

जिला गुना में खदान सम्बंधी दुर्घटनाओं को भी एक प्रमुख खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। जिले की गुना तहसील में सर्वाधिक खदानें मौजूद हैं।

2.2.10 रेल दुर्घटनायें

जिला गुना में रेल दुर्घटना को भी एक प्रमुख खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। यहॉ पर रेल से सम्बधित कई हादसे हुये हैं जिनमें प्रमुख रूप से 10 वर्ष पूर्व धरनावदा एवं राजस्थान बार्डर पर जबरदस्त हादसा हुआ था। गुना शहर में कैंट क्रासिंग पर बस एवं रेल का टक्कर हुआ था। जिला गुना में रेल मार्ग मुख्यतः तहसील गुना, चाँचोडा, राघौगढ से गुजरती है।

2.2.11 महामारी

जिला गुना में महामारी को भी एक प्रमुख खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है।

2.2.12 ओलावृष्टि

वर्ष 2005 – 06 में 2 तहसीलों के 20 ग्रामों में लगभग 2000 हेक्टर क्षेत्र की 2005 मिलियन टन फसल की हानि हुई जिसकी अनुमानित लागत 60.8 लाख रू. आंकी गई। इस ओलावृष्टि के कारण 2 व्यक्तियों एवं 1 मवेशी की मौत हो गई। 2013–14 में भी ओलावृष्टि द्वारा जिले का कुछ क्षेत्र प्रभावित हुआ था।

2.3 जिले में उपलब्ध मानव संसाधन, मशीन, सामग्री

किसी भी आपदा के समय प्रभावी अनुक्रिया तभी संभव हो सकती है जब कि आपदा का सामना करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन, मशीनरी तथा अन्य आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

जिला गुना में बाढ आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुये किये विश्लेषण के दौरान उपलब्ध संसाधनों का विवरण निम्नवत है –

तालिका 2.7

जिला गुना में बाढ के संदर्भ में उपलब्ध संसाधनों का विवरण

क्र0	संसाधन	संख्या
1.	मोटर बोट फायवर	1 कलेक्टोरेट की इन्जन मरम्मत योग्य नही अतः उपयोग योग्य नही
2	चप्पू नांव	03 पुलिस विभाग की लगभग 20 वर्ष पुरानी योग्य नही
3	एक्सटेन्शन लेडर	02 विभागीय
4	सीडी लोहा एंगल	01 विभागीय
5	स्टेचर	03 विभागीय
6	फावड़ा	05 विभागीय
7	तगाड़ी	05 विभागीय
8	हथोड़ा	01 विभागीय
9	सब्बल	01 विभागीय
10	आरी	01 विभागीय
11	फायर फायटिंग चप्पा	01 विभागीय
12	विलाई	01 विभागीय
13	मेगाफोन	01 विभागीय
4	लाइफ जेकेट	कुल 81, विभागीय 59,कलेक्टोरेट की 22

5	लाइफ वाय गोल रिंग	कुल 59, विभागीय 40 कलेक्टोरेट की 19
6	ड्रम	04 कलेक्टोरेट के
7	रस्सा सन 2	कुल 07,कलेक्टोरेट के पुराने उपयोग नही
8	रस्सा सन 11/2	10 कलेक्टोरेट के पुराने उपयोग नही
8	बल्ली	400 वन विभाग
10	तैराक	24 होम गार्ड

जिला गुना में उपलब्ध संसाधनो का विश्लेषण किया गया है जिसके अन्तर्गत जिले में उपलब्ध मानव संसाधन, मशीनरी जैसे कटिंग मशीन, डोजर, डम्पर, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, सामग्री वाहन, उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रशिक्षित पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों का विवरण विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध मशीनरी एवं संसाधन, जिले में उलपब्ध पेट्रोल पम्पों, दवाईयों की दुकानों की सूची, वाहनों का विवरण एवं आवश्यक विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

अध्याय–३

आपदा प्रबंधन–संस्थागत तंत्र

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

आपदा प्रबन्धन कानून 2005 के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 9 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री (पदेन) इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं; तथा अन्य 9 सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है।

3.2 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मध्यप्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन दिनांक 27 जनवरी 2006 को किया जा चुका है।

3.3 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के अनुसार प्रत्येक जिले में ''जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण'' का गठन किया जाना है ? मध्य प्रदेश में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन हेतु सचिव गृह (नोड्ल विभाग प्राकृतिक आपदाओं हेतु) द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन हेतु दिनांक 05.09.2007 को एक अधिसूचना जारी की गई। जिसके अनुपालन में जिला गुना में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण (देखें चित्र 3.A) का गठन किया गया है।

चित्र 3.A

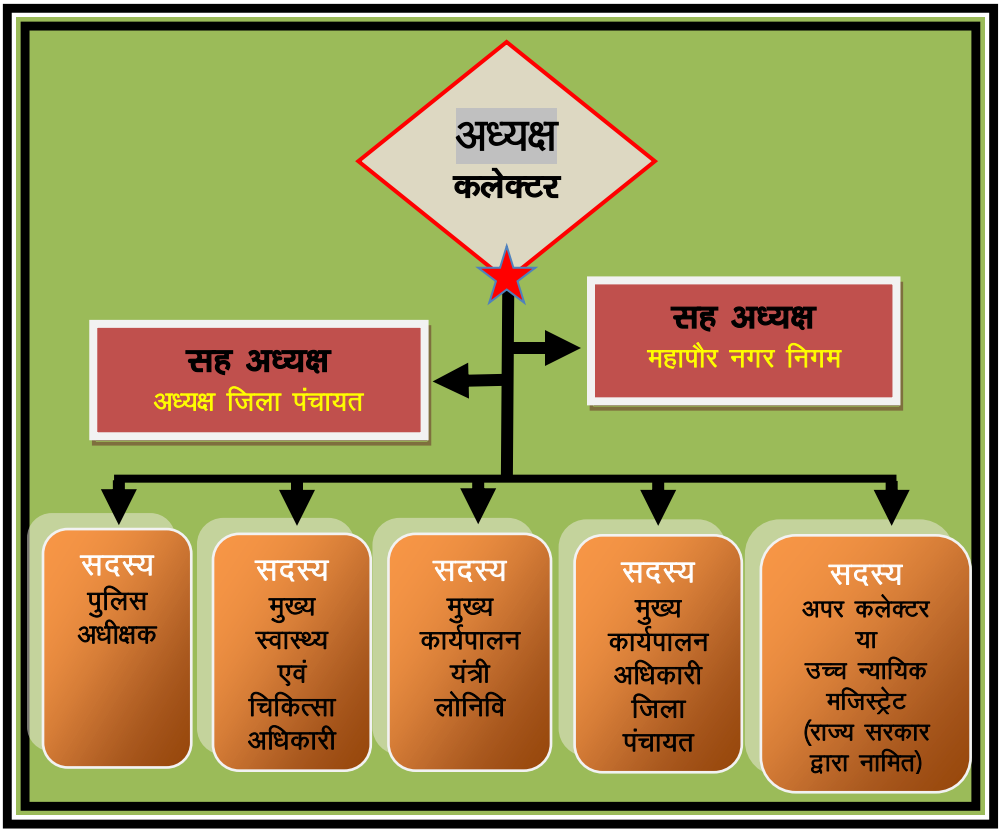

3.3.1जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य

जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन हेतु नियोजन, समन्वय एवं क्रियान्वयन का प्रमुख तंत्र होगा, तथा राष्ट्रीय तथा राज्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्त गतिविधियों का संचालन करेगा। प्राधिकरण द्वारा बिना किसी भेदभाव के निम्न कार्य किये जायेंगे–

1 जिले के लिए अनुक्रिया सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।

2 राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना क्रियान्वयन एवं समन्वय।

3 सुनिश्चित करना कि जिले संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हिकरण किया गया है तथा जिला स्तर पर कार्यरत समस्त विभागों, स्थानीय निकायों द्वारा आपदा रोकथाम एवं शमन हेतु उपाय किया गया है।

4 सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा आपदा रोकथाम, पूर्व तैयारी, शमन हेतु जारी निर्देशो का पालन जिला स्तर पर कार्यरत विभागो एवं स्थानीय निकायो द्वारा किया जा रहा है।

5 आपदा रोकथाम एवं शमन हेतु जिला स्तर पर कार्यरत विभागो एवं स्थानीय निकायो को दिशा निर्देश प्रदान करना।

6 आपदा प्रबंधन योजना हेतु जिला स्तर पर कार्यरत विभागो एवं स्थानीय प्राधिकरणों हेतु दिशा निर्देश निर्धारित करना।

7 जिला स्तर पर कार्यरत विभागो द्वारा तैयार आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी।

8 जिला स्तर पर कार्यरत विभागो द्वारा जारी विकास योजनओं, परियोजनाओं में आपदा रोकथाम, शमन को एकीकृत करने हेतु दिशा निर्देश जारी करना।

9 जिला स्तर पर विभागो द्वारा क्रियान्वित विकास योजनाओं, परियोजनाओं मे आपदा रोकथाम एवं शमन में एकीकरण की निगरानी।

10 किसी भी आपदा अथवा आपदा स्थिति के दौरान आपदा अनुक्रिया हेतु जिले की क्षमता की समीक्षा तथा विभागो का आवश्यकतानुरूप क्षमता उन्नयन।

11 किसी भी आपदा की प्रभावी अनुक्रिया हेतु जिले के विभागो तथा प्राधिकरणो द्वारा किये गये पूर्व तैयारी की समीक्षा तथा प्रभावी अनुक्रिया हेतु पूर्व तैयारी को निर्धारित स्तर तक लाने में सहयोग।

12 जिले में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियो, स्वयंसेवको हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं समन्वय।

13 स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनो के सहयोग से आपदा रोकथाम एवं शमन हेतु समुदाय का प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का संयोजन।

14 जन समुदाय को पूर्व सूचना प्रेषित करने के लिए सूचना तंत्र की स्थापना, समीक्षा, एवं उन्नयन।

15 जिला स्तरीय अनुक्रिया योजना का निर्माण, समीक्षा एवं उन्नयन।

16 आपदा अथवा संभावित आपदा स्थिति में अनुक्रिया कार्य का समन्वय।

17 सुनिश्चित करना कि जिला स्तर पर कार्यरत विभागो एवं स्थानीय निकायो द्वारा जिला अनुक्रिया योजना के अनुसार अनुक्रिया योजना तैयार किया गया है।

18 जिला स्तर पर कार्यरत विभागो या अन्य निकायो को स्थानीय सीमाओं के अनुरूप अनुक्रिया योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना।

19 जिले में आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों, स्थानीय निकायो, संवैधानिक निकायो, स्वयंसेवी संगठनो द्वारा संचालित गतिविधियों हेतु परामर्श, सहायत एवं समन्वय।

20 आपदा अथवा आपदा संभावित स्थति में स्थानीय निकायो द्वारा प्रभावी एवं त्वरित अनुक्रिया हेतु दिशा निर्देश एवं समन्वय प्रदान करना।

21 जिले में स्थानीय निकायो द्वारा किये जाने वाले कार्यो हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना।

22 ऐसे स्थलो, इमारतों की पहचान जिनका आपदा या आपदा संभावित स्थिति में राहत शिविरों की तरह उपयोग किया जा सके, इन स्थानों पर जल आपूर्ति एवं नालीकरण, सफाई की पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित करना।

23 राहत एवं बचाव कार्य संबंधी सामग्री का स्टॉक निर्मित करना तथा पूर्व तैयारी इस प्रकार हो कि आवयश्यक सामग्री कम से कम समय में उपलब्ध हो जाए।

24 आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ''राज्य प्राधिकरण'' को देना।

25 ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों व स्वयंसेवी संस्थाओं को आपदा प्रबंधन कार्य के लिए प्रोत्साहित करना।

26 सुनिश्चित करें कि संचार तंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, साथ ही समय–समय पर आपदा प्रबंधन ''पूर्व अभ्यास'' करवाए जाए।

27 उपरोक्त के अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त कार्य एवं अन्य कार्य जो जिला आपदा प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो।

3.3.2 जिला योजना

जिला प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों, स्थानीय निकायों से परामर्श एवं सहयोग से जिला योजना तैयार की गयी है। राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति उपरान्त योजना लागू एवं क्रियान्वित की जायेगी।

3.4 स्थानीय निकायो द्वारा आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन कानून 2005 के धारा 32 के अनुसार जिले स्तर पर कार्यरत सभी विभागो (भारत सरकार व राज्य सरकार) तथा स्थानीय निकायो द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशन में आपदा प्रबंधन कार्य योजना विकसित की जायेगी। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जिला गुना में स्थानीय निकायो द्वारा आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी। जिसका विवरण निम्नवत है।

3.4.1 नगर पंचायत/नगरपालिका : गुना जिले में कुल 03 नगर पंचायतें एवं 02 नगरपालिका हैं। प्रभावी आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक नगरपालिका एवं नगरपंचायत में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा, जिसकी संरचना निम्नवत होगी : –

क्र0	प्दनाम	पदाधिकारी
1.	नगरपालिका अध्यक्ष (पदेन)	अध्यक्ष
2.	नगरपालिका उपाध्यक्ष	सहअध्यक्ष
3.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सचिव
4.	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता भवन	सदस्य
6.	सर्वाधिक संवेदनशील वार्डो के 02 पार्षद (अध्यक्ष द्वारा नामांकित)	सदस्य

3.4.2 ग्राम पंचायत स्तर : जिला गुना में कुल 425 ग्राम पंचायतें है। प्रभावी आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन एवं क्रियाशीलता किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित किये जाने वाले प्राधिकरण का संरचना निम्नवत होगा : –

क्र0	प्दनाम	पदाधिकारी
1.	ग्राम सरपंच (पदेन)	अध्यक्ष
2.	उप सरपंच	सहअध्यक्ष
3.	सचिव पंचायत	सचिव
4.	पटवारी	सदस्य
5.	प्राधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय	सदस्य
6.	सर्वाधिक संवेदनशील वार्डो के 02 ग्राम पंचायत सदस्य (सरपंच द्वारा नामांकित)	सदस्य

नगर एवं ग्राम स्तर पर गठित प्राधिकरणों द्वारा किये जाने वाले प्रमखु कार्य निम्नवत होंगे : –

1. नियोजन
2. जागरूकता
3. प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि
4. आपदा पूर्व तैयारी एवं शमन
5. अनुक्रिया

उपरोक्त के तहत प्रभावी आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए नगर एवं ग्राम स्तर पर गठित प्राधिकरणों द्वारा किये जाने वाले कार्यो का विवरण निम्नवत है –

1. स्थानीय स्तर पर विद्यमान खतरों का चिन्हीकरण।
2. खतरों से संवेदनशील क्षेत्रों, परिवारों, समुदायों की पहचान, सूचीकरण एवं मानचित्रीकरण।
3. आपदा या आपदा संभावित परिस्थिति में प्रभावी अनुक्रिया हेतु उपलब्ध संसाधनों (मानव एवं मशीन) का विश्लेषण तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

4. मानव संसाधनों की क्षमता वृद्धि तथा मशीनी साधनों का उचित रखरखाव करना।

5. स्थानीय समुदाय को विभिन्न आपदाओं के आने अथवा संभावित स्थिति के समय ''क्या करें क्या न करें'' के संबंध में जानकारियां देना।

6. स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में स्थानीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा उसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रेषित करना एवं तैयार कार्य योजना को समय–समय पर (अधिकतम 1 वर्ष) अपडेट करना।

7. आवश्यकतानुसार परामर्श समीतियों का गठन करना।

8. किसी भी आपदा स्थिति में प्रभावी अनुक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार के दलों का गठन एवं प्रशिक्षण।

9. स्थानीय स्तर पर लागू विकास योजनाओं में संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक आपदा प्रबंधन का संयोजन।

10. सभी प्राधिकृत संस्थाओं में आपदा निरोधक निर्माण की संस्कृति का प्रोत्साहन एवं विकास।

अध्याय ४

जिला गुना में आपदा रोकथाम हेतु आवश्यक तैयारी

आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक सामान्य पूर्व तैयारी

आपदा पूर्व तैयारी से आशय, किसी आपदा अथवा घटना के पूर्व लिये गये निर्णय एवं कार्य है। इसके अंतर्गत आपदाओं की पूर्व सूचना, जिला एवं समुदाय स्तर पर विभिन्न प्राधिकारियों, समुदायों, समूहों, वर्गो की क्षमताओं एवं कौशल का विकास शामिल है, जिससे आपदा के समय वे प्रभावी तरीके से आपदा का सामना एवं अनुक्रिया कर सके। आपदा तैयारी एक निरंतर एवं समेकित प्रक्रिया है। जिला गुना में आपदा पूर्व सामान्य तैयारी में निम्नलिखित गतिविधियॉ की जायेंगी।

1. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन एवं क्रियाशीलता।
2. प्रभावी अनुक्रिया हेतु समुदाय स्तर पर क्षमता वृद्धि।
3. चेतावनी तन्त्र प्रक्रिया का विकास एवं निरन्तर जॉच विशेषतः बाढ़, सूखा इत्यादि हेतु।
4. अनुक्रिया हेतु टीमों का गठन।
5. चिन्हित खतरों का निरंतर समीक्षा एवं उन्नयन।
6. सम्भावित खतरों से संवेदनशील जनसंख्या, परिवारों का निरंतर समीक्षा एवं उन्नयन।
7. संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों तथा समुदाय का क्षमता निर्माण।
8. चिन्हित संसाधनों का निरंतर समीक्षा एवं उन्नयन।
9. अनुक्रिया हेतु गठित दलों का कार्य अनुरूप प्रशिक्षण।
10. समुदाय आधारित आपदा प्रबन्ध योजना का प्रोत्साहन एवं विकास।
11. आपदा सहायता नम्बर की स्थापना।
12. पंचायत एवं स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों का अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण।
13. आपात क्रिया केन्द्र की स्थापना एवं क्रियान्वयन।

14. जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकरियों का प्रशिक्षण।

15. जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं उन्नयन।

16. मनोवैज्ञानिक सहायता हेतु पैशेवरो की पहचान एवं प्रशिक्षण।

17. आपदा के दौरान बाल संरक्षण हेतु विशिष्ट कार्यशालाओं का आयोजन।

18. चिन्हित खतरों से सम्बंधित अवास्तविक अभ्यासों का अयोजन।

19. प्रभावी अनुक्रिया हेतु मानक संगठनात्मक व्यवस्था एवं क्रियान्वयन योजना तैयार करना।

1. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन एवं क्रियाशीलता–

आपदा प्रबन्धन कानून 2005 के अनुरूप जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य। (विस्तृत विवरण अध्याय–3 में वर्णित है)।

2. प्रभावी अनुक्रिया हेतु समुदाय स्तर पर क्षमता वृद्धि–

आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए अतिसंवेदनील समुदाय की क्षमता, कौशल वृद्धि हेतु कार्य योजना विकसित एवं लागू की जायेगी तथा आपदा प्रबंधन के संबंध में मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। केबल आपरेटरों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आपदाओं से **बचाव** एवं आपदाओं के दौरान **क्या करें क्या न करें** विषयक सूचनायें प्रसारित की जायेगी।

3 चेतावनी तन्त्र प्रक्रिया का विकास एवं निरन्तर जाँच विशेषतः बाढ़, सूखा इत्यादि हेतु–

जिला गुना में चिहिन्त खतरों के विषय में प्रभावी पूर्व सूचना हेतु तंत्र की स्थापना, विकास एवं निरन्तर जॉच हेतु आवश्यक कार्य योजना विकसित एवं लागू की जायेगी। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की बैठकों में चिन्हित खतरों से रोकथाम, बचाव

के विषय में चर्चा की जायेगी। ग्राम कोटवार द्वारा समय समय पर आवश्यक सूचनाये प्रसारित की जायेगी। इस कार्य मे राजस्व एवं पुलिस विभाग से आवश्यक सहायता प्राप्त की जायेगी।

4 **अनुक्रिया हेतु टीमों का गठन –**

जिले मे आयोजित किये गये जिलास्तरीय परामर्श कार्यशालाओं के दौरान कलेक्टर एवं जिलास्तरीय अधिकारियों से चर्चा तथा उपलब्ध मानव संसाधन को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावी अनुक्रिया हेतु दस प्रकार के दलों का गठन किया गया है। (विस्तृत विवरण हेतु देखें अध्याय–6)

5 चिन्हित खतरों का निरंतर समीक्षा एवं उन्नयन–

किसी भी आपदा के समय न्यूनतम क्षति उस स्थिति मे होगी। जबकि जिले में विद्यमान खतरों के विषय में प्रशासन एवं जन समुदाय अवगत हो। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते जिला गुना में परामर्श कार्यशालाओं के माध्यम से प्रमुख खतरों तथा उन खतरों से संवेदनशील क्षेत्रों, जनसंख्या का चिन्हिकरण किया गया है। (विस्तृत विवरण हेतु देखें अध्याय–2)

6 खतरों से संवेदनशील जनसंख्या, परिवारों का निरंतर समीक्षा एवं उन्नयन–

जिला गुना में चिन्हित खतरों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले परिवारों का तहसीलवार चिन्हीकरण किया जायेगा। इस कार्य को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक कार्य योजना विकसित एवं लागू की जायेगी। खतरो से संवेदनशील जनसंख्या, परिवारो का वार्षिक समीक्षा एवं उन्नयन (अपडेडिंग) किया जायेगा।

7. संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों तथा समुदाय का क्षमता निर्माण–

संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले चिन्हित परिवारो का सशक्तिकरण जानकारी, जागरूकता, कौशल वृद्धि एवं प्रशिक्षण के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु जिला स्तर पर एक कार्य योजना विकसित एवं लागू की जायेगी।

8 चिन्हित संसाधनों का निरंतर समीक्षा एवं उन्नयन–

जिले में उपलब्ध संसाधनों (मानव एवं भौतिक) की सूची तहसीलवार तैयार की जायेगी तथा संसाधनो में निम्नलिखित को आवश्यक रूप से शामिल किया जायेगा। तैयार सूची की समय समय पर (वार्षिक) समीक्षा एवं उन्नयन (अपडेट) किया जायेगा।

1. मानव संसाधन

   अ) प्रशिक्षित

   ब) अप्रशिक्षित

2. आश्रय स्थल क्षमता सहित

3. उपकरण – प्रकार, संख्या, इत्यादि विवरण सहित

9. अनुक्रिया हेतु गठित दलों का कार्य अनुरूप प्रशिक्षण–

प्रभावी अनुक्रिया हेतु गठित दलो का उनके कार्य प्रकृति के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक दल द्वारा प्रभावी अनुक्रिया में उपयोग किये जाने वाले मुख्य सामग्री की सूची भी निर्मित की जायेगी।

10. समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का प्रोत्साहित एवं विकास–

समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कार्य योजना को प्रोत्साहित किया जायेगा। जिले में आपदा प्रबंधन हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित किया जायेगा। जिले में विभिन्न खतरों से संवेदनशील गांवो में प्राथमिकता के आधार पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कार्य योजना विकसित की जायेगी। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत निम्न तत्वों को आवश्यक रूप से शामिल किया जायेगा।

11. आपदा सहायता नम्बर की स्थापना

विभिन्न आपदाओं के रोकथाम, अनुक्रिया के दृष्टिगत जिले स्तर पर एक आपदा दूरभाष नम्बर आबंटित किया जायेगा, यह नम्बर 24 घण्टे एवं 7 दिन कार्य करेगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना, आपदा की सूचना इस नम्बर पर प्रदान की जा सकती हैं यह नम्बर निःशुल्क होगा, तथा इस नम्बर के प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार जिला सूचना अधिकारी द्वारा केवल नेटवर्क एवं समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा।

10.1 ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन एवं क्रियाशीलता

10.2 ग्राम स्तर पर विद्यमान जोखिमो एवं पूर्व आपदाओं का विश्लेषण।

10.3 मौसमी आपदा कलेण्डर

10.4 मानचित्र एवं नक्शा निरूपण

(क) संसाधन मानचित्र

(ख) जोखिम मानचित्र

10.5 ग्राम आपदा प्रबन्धन दलो का गठन एवं सशक्तिकरण

1. पूर्व सूचना दल
2. खोज एवं बचाव दल
3. प्राथमिक चिकित्सा दल
4. आश्रय प्रबन्धन दल
5. कचरे कूडे, मृत पशुओं का निस्तारण दल
6. पानी एवं सफाई व्यवस्था दल

10.6 अवास्तविक अभ्यास

10.7 जन–जागरूकता

(इस कार्य हेतु आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल द्वारा विकसित मैनुअल का उपयोग किया जा सकता है।)

12. पंचायत एवं स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों का अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण–

जिला गुना में आपदा प्रबन्धन रोकथाम, पूर्व तैयारी, शमन एवं अनुक्रिया को ध्यान में रखते हुए मास्टर ट्रेनर्स द्वारा पंचायत सदस्यों, संरपच, पंच, एवं पार्षदो आदि को आपदा प्रबंधन के विषय में विस्तृत जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आपदा प्रबन्धन को जिला पंचायत की कार्यसूची में शामिल किया जायेगा, जिससे जिला पंचायत की प्रत्येक बैठक के दौरान आपदा प्रबन्धन रोकथाम, तैयारी के विषय में भी प्रभावी चर्चा की जा सके। जिला पंचायत द्वारा कराये जाने वाले सभी विकासात्मक कार्य आपदा शमन को सम्मिलित करते हुए किये जायेंगे।

13 आपात क्रिया केंद्र की स्थापना एवं कियान्वयन–

गुना जिला मुख्यालय में एक आपात क्रिया केन्द्र की स्थापना की जाएगी। यह राजस्व कन्ट्रोल रूम के अतिरिक्त व्यवस्था होगी। यह केन्द्र समुचित मानव शक्ति एवं अत्याधुनिक उपकरणों सहित 24 घण्टे क्रियाशील होगा। इस केन्द्र में उपलब्ध उपकरणों का उपयोग केवल आपदा प्रबन्धन हेतु किया जाएगा। यहॉ संचार के अत्याधुनिक सभी साधन (फोन, ई–मेंल, वायरलेस आदि) होंगे।

13.1 सामान्य काल में आपात क्रिया केन्द्र के कार्य : कलेक्टर द्वारा किसी प्रशासनिक अधिकारी को आपात क्रिया केन्द्र का प्रभारी अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा। सामान्य काल में आपात क्रिया केन्द्र के कार्य निम्न प्रकार होंगे।

1. सुनिश्चित करना कि सभी उपकरण सही प्रकार से कार्य कर रहे है।
2. आपदा प्रबंधन के लिए सहयोगी विभागो से नियमित रूप से आंकड़ो का संकलन, समीक्षा एवं उन्नयन।
3. जिले में आपदा रोकथाम पूर्व तैयारी एवं शमन स्थिति कि रिपोर्ट तैयार करना।
4. सुनिश्चित करना कि जिला आपदा प्रबंधन योजना को ठीक प्रकार से लागू किया गया है।
5. आपदा की सूचना/या आपदा स्थिति उत्पन्न होने पर **"ट्रिगर मेकेनिज्म"** को क्रियाशील करना।

13.2 आपदा काल में आपात क्रिया केन्द्र के कार्य :

किसी भी आपदा अथवा आपदा संभावित स्थिति की सही तथा समय पर पूर्व सूचना एवं चेतावनी सभी विभागों एवं आम जनता को समय पर प्रदत्त करना। पूर्व सूचना निम्नांकित को भी आवश्यक रूप से प्रदत्त की जायेगी : –

1. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण को।
2. संभागीय कमिश्नर कार्यालय को।
3. आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यो को।
4. आपदा अनुक्रिया दलों को।

5. स्वास्थ्य विभाग एव अस्पतालों को।

6. पड़ोसी जिलों के आपात क्रिया केन्द्रों को।

आपदा काल में बेहतर संयोजन एवं सहयोग के लिए राज्य आपात क्रिया केन्द्र तथा जिला आपात क्रिया केन्द्र के बीच लगातार संचार स्थापित किया जायेगा।

13.3 आपदा स्थल पर आपात क्रिया केन्द्र

घटना स्थल पर आपात क्रिया केन्द्र, जिला आपात क्रिया केन्द्र के सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। चूंकि यह आपदा स्थल के समीपस्थ बनाया जाता है, अतः खोज एवं बचाव, राहत आदि कार्यो को यहीं से संचालित किया जायेगा। एस0डी0एम0 स्तर का अधिकारी इसका नोडल अधिकारी होगा। आपदा स्थल आपात क्रिया केन्द्र केवल आपदाकाल में ही क्रियाशील होगें, परन्तु इनके संदर्भ में प्रत्येक नोडल अधिकारी द्वारा एक आधारभूत कार्ययोजना का प्रारूप पहले से ही तैयार रखना होगा। नोडल अधिकारी को आपदा स्थल पर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का नियंत्रण व निर्देशन करना होगा साथ ही साथ संबंधित जिला आपात क्रिया केन्द्र से प्राप्त निर्देशो का पालन भी करना होगा।

14. जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण–

किसी भी आपदा के समय जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा बेहतर अनुक्रिया तभी संभव है जब उन अधिकारियों को आपदा के विषय में आधारभूत जानकारी

क्र0	प्रतिभागी	विभाग	संसाधन / सहयोगी विभाग	आवृत्ति
1	जिले स्तरीय अधिकारी।	जिले के समस्त प्रमुख विभाग।	आपदा प्रबन्ध संस्थान भोपाल।	वार्षिक
2.	तहसील स्तरीय अधिकारी।	तहसील के समस्त महत्वपूर्ण विभागो।	आपदा प्रबन्ध संस्थान भोपाल द्वारा प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा	वार्षिक

एवं प्रशिक्षण प्राप्त हो। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए गुना में जिले तथा तहसील में कार्यरत समस्त अधिकारियों का एक दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

15 जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं अद्यतन (अपडेट) –

कार्य योजना के निरंतर समीक्षा एवं इसे अद्यतन करने हेतु आपदा प्रबंध प्राधिकरण की छमाही बैठक की जायेगी। इन बैठको में जिले के समस्त महत्वपूर्ण विभागो के अधिकारियों द्वारा भागीदारी की जायेगी। प्रथम बैठक माह मई में आयोजित की जायेगी उसमें आपदा प्रबन्धन योजना की समीक्षा एवं अद्यतन (अपडेटिंग) किया जायेगा। द्वितीय बैठक माह नवम्बर में आयोजित की जायेगी। इसमे आपदा प्रबन्धन योजना की समीक्षा एवं अद्यतन साथ ही साथ किये गये कार्यो, अनुभवो, कमियो इत्यादि पर चर्चा की जायेगी तथा प्राप्त सुझावों के अनुरूप जिले की आपदा प्रबन्धन कार्य योजना में आवश्यक एवं वांछित परिवर्तन किया जायेगा। उपरोक्त बैठकों की अध्यक्षता कलेक्टर (अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण) द्वारा की जायेगी।

किसी भी आपदा के दौरान की गई अनुक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना में आवश्यक रूप से संलग्न की जायेगी।

16. मनोवैज्ञानिक सहायता हेतु पैशेवरो की पहचान एवं प्रशिक्षण–किसी भी आपदा के उपरान्त मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक समस्याओं के मरीजों को उचित परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु पैशेवरों की पहचान एवं प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। जिले में उपलब्ध मानसिक रोग विशेषज्ञों, मनोचिकित्सकों तथा इस कार्य मे संलग्न संस्थाओं की सूची तैयार की जायेगी।

17. आपदा के दौरान बाल संरक्षण हेतु विशिष्ट कार्यशालाओं का आयोजन–

किसी आपदा का प्रभाव कुछ विशेष समूहों जैसे– बच्चो, महिलाओं, बूढ़ो, अशक्त इत्यादि पर सर्वाधिक पड़ता है। अनुक्रिया कार्य मे बाल संरक्षण को एकीकृत करने हेतु समय समय पर विशिष्ट कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।

18. चिन्हित खतरों से सम्बंधित अवास्तविक अभ्यासों का संयोजन–

किसी भी आपात स्थिति, आपदा के समय जिले, तहसील स्तर पर गठित विभिन्न दल अपने कार्यो को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सके इस हेतु समय–समय पर अवास्तविक अभ्यास आयोजित किये जायेंगे। ये अवास्तविक अभ्यास जिले में चिन्हित खतरो को ध्यान में रखते हुए आयोजित किये जायेंगे। अवास्तविक अभ्यास वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित किये जायेंगे। अवास्तविक अभ्यासों की मॉनीटरिंग हेतु जिले तथा राज्य से पर्यवेक्षको को आमंत्रित किया जायेगा। प्रत्येक अवास्तविक अभ्यास के उपरान्त मॉनीटरिंग दलों के सुझाव को शामिल करते हुए आगामी आवास्तविक अभ्यासों में संशोधन किया जायेगा।

19. जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों हेतु मानक संगठनात्मक व्यवस्था – जिले के प्रमुख विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यो का विवरण निम्नवत है–

स्वास्थ्य विभागः

निवारक गतिविधियॉ

- महामारी तथा अन्य खतरों के लिये संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण।
- परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चिन्हीकरण।
- गैर–सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ तालमेल एवं सूचीकरण।
- बीमारी निगरानी पद्धति का सशक्तीकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला केन्द्र पर सूचनओं का साप्ताहिक आदान–प्रदान।

- किसी आपात स्थिति में सूचनओं का दैनिक आदान–प्रदान एवं विश्लेषण।
- प्रशिक्षित कार्मिको, परीक्षण सुविधा तथा आपात चिकित्सा हेतु सुसज्जित मोबाईल चिकित्सा यूनिटों की स्थापना।
- सम्भावित आपदा स्थलों पर आपात चिकित्सा कैम्पों के स्थापना हेतु स्थलों का चिन्हीकरण।
- विभिन्न संक्रांमक बीमारियों से बचाव हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार/जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
- क्षेत्र स्तर पर कार्यरत पारम्परिक दाईयों, स्वयं सेवी संगठनों, तथा आधार भूत संगठनों के लिए प्राथमिक चिकित्सा विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, जिससे किसी भी आपदा अथवा आपदा उपरान्त महामारी को फैलने से रोका जा सके।
- सभी अस्पतालों में वैकल्पिक जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- उपलब्ध साधनों जीप/कार/वैन इत्यादि की सूची निर्माण तथा किसी भी आपदा के समय उपयोग किये जाने वाले वाहनों की यथोचित मरम्मत करवाना।

आपदा के पूर्व आवश्यक तैयारी

- आई0ई0सी0 संसाधनों का निर्माण एवं वितरण।
- ओ0आर0एस0 तथा अन्य जीवन रक्षक दवाईयों का वितरण।
- बाढ़ तथा लू के दौरान किये जाने वाले प्रभावी उपचार हेतु कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- आवश्यक दवाओं का ऑकलन एवं संग्रहण।
- संवेदनशील एवं रणनीतिक स्थलों पर मोबाईल यूनिटों की (तैनाती)

अनुक्रिया के दौरान

- संवेदनशील स्थलों पर जीवन रक्षक एवं अन्य महत्वपूर्ण दवाईयों की व्यवस्था करना।
- दवा आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था का सृदीणीकरण।
- आपदा स्थलों पर अनुक्रिया कार्य का अवलोकन एवं सशक्तीकरण।
- आपदा स्थलों पर पर्याप्त कर्मचारी/डाक्टरों की उपस्थिती सुनिश्चित करना।
- बचाव कार्य एवं प्रक्रिया का निरन्तर पुनरीक्षण तथा कार्य में लगे डाक्टरों/अन्य स्टॉफ का निरन्तर पुनरीक्षण।
- स्वच्छता हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिशचित करना।
- विभिन्न स्तर के आपदाओं के दौरान होने वाली मौतों के विषय में प्रशासन/परिवार की सहमति से पोस्टमार्टम कार्य सुनिश्चित करना।
- पीने के का शृद्धिकरण।
- संक्रांमक बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाना।
- सूचनाओं के प्रभावी आदान–प्रदान हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।

पुनः प्राप्ति हेतु गतिविधियॉ

- बीमारियों के व्यापकता पर निरन्तर मानीटरिंग।
- निरन्तर चिकित्सा एवं स्थिति नियन्त्रण तक गतिविधियों के निरन्तर संचालन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- सदमा/आघात काउन्सलिंग
- चिकित्सा एवं घायलों/विकलांगों के समाजिक चिकित्सकीय पुर्नवास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/विकलांगों के पुर्नवास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

निवारक गतिविधियॉ

- सभी निवासियों/समुदायों/बस्तियों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- नाली/नालों की साफ–सफाई सुनिश्चित करना, विशेषकर नगरों में

आपदाओं से बचाव हेतु आवश्यक तैयारी

- पानी के संग्रहण एवं वितरण हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी के टेंकरों की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित करना।
- वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत जनरेटरों की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित करना।
- राहत स्थल के रूप में उपयोग किये जाने वाले स्थलों तथा आपदाओं हेतु संभावित एवं संवेदनशील स्थलों हेतु पानी तथा क्लोरीन की गोलियों का आवश्यक संग्रहण।
- ट्यूबवेलों के प्लेटफार्मो का उच्चीकरण। स्वच्छता हेतु बनाये गये संरचनाओं का विकास जिससे अगले आपदा के समय नुकसान को कम से कम किया जा सके।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- जल स्त्रोतों का शुद्धीकरण तथा लगातार निगरानी।
- अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आपात स्थिति में पानी वितरण हेतु।
- ट्यूबवेल तथा अन्य पानी के स्त्रोतों को चालू करने के लिए आपात सहायता उपकरण की व्यवस्था तथा वितरण।
- क्षतिग्रस्त पानी के स्त्रोतें हेतु आपात निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

- समुदाय द्वारा हेण्ड पम्पों को विषाणु रहित करने हेतु आवश्यक जानकारी तथा सामग्री उपलब्ध कराना।

पुनःप्राप्ति हेतु गतिविधियॉ

- संरचनाओं का मजबूतीकरण, पुनःमूल्यांकन।
- प्राप्त अनुभवों तथा सीख का आदान–प्रदान तथा दस्तावेजीकरण।
- कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- चेकलिस्ट तथा आकस्मिकता कार्य योजना का निर्माण

पुलिस विभाग

निवारक गतिविधियॉ

- खोज एवं बचाव, स्थल खाली करना तथा अन्य आपात गतिविधियों हेतु फोर्स को निरन्तर तैयार रखना तथा समय–समय पर अवास्तविक अभ्यास आयोजित करना।
- आधुनिक उपकरणों की प्राप्ति तथा तैनाती, वर्तमान उपकरणों का आधुनिकरण तथा आधुनिक उपकरणों के बेहतर उपयोग हेतु प्रशिक्षण।
- त्वरित कार्य बल का चक्रीय आधार पर पदस्थापना जिससे वे स्वस्थ एवं फिट रहे।
- सुनिश्चित करें कि संचार के सभी उपकरण वायरलेस निरन्तर कार्य करते रहे तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त वायरलेस की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- जिला प्रशासन एवं आपदा अधिकारी के साथ आवश्यक तालमेल।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- अस्थायी राहत शिविरों तथा रास्ते में राहत सामग्री की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना।
- जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष में किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की तैनाती करना।

- संवेदनशील तट बन्धों तथा अन्य जोखिम स्थलों की सुरक्षा हेतु पुलिस बल की तैनाती।
- खोज बचाव तथा स्थल खाली कराने में जिला प्रशासन की आवश्यक सहायता।
- आपात यातायात प्रबन्धन।
- प्रभावित क्षेत्रों में नियम कानून का कड़ाई से अनुपालन।
- कालाबाजारी/जमाखोरी के विरूद्ध कार्यवाही में जिला प्रशासन की आवश्यक मद्द।

नागरिक सुरक्षा

निवारक गतिविधियॉ

- प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव स्थल खाली करना इत्यादि पर प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- जिले के प्रमुख त्यौहारों/मेला इत्यादि के समय प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा स्थल खाली कराने हेतु आवश्यक कार्य योजना विकसित करना।
- उपरोक्त कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरन्तर अभ्यास तथा अवास्तविक अभ्यास का आयोजन करना।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- जनसमुदाय तथा अन्य संगठनों को खोज एवं बचाव प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- राहत वितरण में एक सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करना।
- आपात स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा तथा उपचार हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।
- चिकित्सकीय दल के समन्वय तथा सहयोगी के रूप में कार्य करना।

- यातायात व्यवस्था/कानून व्यवस्था प्रबंधन मे पुलिस विभाग की आवश्यक मद्द करना।

अग्निशमन सेवायें

निवारक गतिविधियाँ

- अग्निशमन सुरक्षा हेतु बनाये गये कानूनों का कड़ाई से पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
- अग्निशमन हेतु उपलब्ध संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक उपकरणों की प्राप्ति करना।
- अग्नि हेतु संवेदनशील उद्योगों, क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना। महत्वपूर्ण आयोजन जिनके दौरान आग की घटना हो सकती है का चिन्हीकरण। लोगों को सुरक्षा उपाय के प्रति जागरूक एवं गतिशील करना। अग्नि के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण, अवास्तविक अभ्यास के माध्यम से आवश्यक तैयारी करना।
- आग से निवारण/बचाव हेतु उपलब्ध विभिन्न पद्धतियों के विषय में लोगों को जागरूक एवं गतिशील करना।
- किसी आपात स्थिति में घटना के प्रबन्ध हेतु स्थानीय जनसमुदाय को प्रशिक्षित करना।
- अग्निरोधी तकनीकों के विषय में अभिमन्ताओं तथा राज मिस्त्रियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- भवन का नक्शा बिना पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों के स्वीकृत न किया जाये।

अनुक्रिया गतिविधियाँ

- आग में फँसे व्यक्तियों, क्षतिग्रस्त भवनों, क्षतिग्रस्त वाहनों, ट्रेन, हवाई जहाज, उद्योगों, बॉयलर, तथा अन्य स्थानों पर फंसे व्यक्तियों का बचाव करना।

- आग का उचित नियन्त्रण करना तथा विस्फोट की स्थिति में नुकसान को कम से कम करना।
- गैस रिसाव, तथा खतरनाक तत्वों के गिर जाने, बह जाने की स्थिति में नियन्त्रण करना।
- आपात स्थिति में कार्यरत अन्य संस्थाओं की आवश्यक सहायता करना।
- आग के कारणों की छानबीन तथा नुकसान ऑकलन कार्य में आवश्यक सहयोग करना।

जनवितरण

निवारक गतिविधियाँ

- विशेष संवेदनशील स्थलों पर गोदाम निर्माण एवं मरम्मत करना।
- आपदा स्थिति का ध्यान रखते हुए आवश्यक सामग्री का संग्रहण करना।
- भण्डार किये गये आवश्यक सामग्री खराब न हो इस हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित करना।

अनुक्रिया गतिविधियाँ

- प्राप्त संसाधनों/सामग्री का उपयुक्त रख–रखाव।
- सामग्री प्रेषण हेतु आवश्यक संसाधन सूची का निर्माण एवं प्रबन्धन।

पुनः प्राप्ति गतिविधियाँ

प्राप्त एवं सुरक्षित रखे गये सामग्रियों का समय–समय पर अन्य स्कीमों में उपयोग करते रहना। अन्यथा बहुत सी संचित सामग्री खराब हो सकती है। इसका कड़ाई से अनुपालन एवं जॉच हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार करना।

लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग

निवारक गतिविधियाँ

- जिले में उपलब्ध सरकारी एवं गैर–सरकारी संसाधनों जैसे सड़क साफ करने का वाहन, डोजर, डम्फर इत्यादि की सूची बनाना तथा आपात स्थिति में उपयोग की कार्य योजना विकसित करना।
- समय–समय पर जिले के प्रमुख सडकों/पुल तथा जन सामान्य सुविधाओं का निरीक्षण तथा मरम्म्त करना।

अनुक्रिया गतिविधियाँ

- सड़क सफाई तथा अन्य सड़कों से सम्पर्क स्थापित करना, टूटी सड़कों, पुलों की मरम्मत करना तथा शीघ्रातिशीघ्र यातायात व्यवस्था को बहाल करना।
- अवरूद्ध सड़कों पर साफ–सफाई हेतु समुदाय से मद्द प्राप्त करना।
- बड़े वाहन जो सामान एवं उपकरण लेकर आ रहे हैं। उनको गंतव्य तक पहुंचाने हेतु आवश्यक मद्द करना संवेदनशील/आपदा स्थलों पर वैकल्पिक रास्तों का चिन्हीकरण करना।
- गड्ढ़ों का भराव करना, मलवा सफाई तथा सड़क पर रास्ता अवरूद्ध करने वाले पेड़ो में आवश्यक कटाई करना।
- उपरोक्त कार्यों को सहजता से समपन्न कराने के लिए आवश्यक उपकरण का रख–रखाव तथा मरम्मत करना।

पुनः प्राप्ति गतिविधियाँ

- संरचनाओं का मजबूतीकरण तथा पुनः बहाली तथा जिन कारणों से संरचनाओं में नुकसान पहुंचा है। उनको यथा संभव दूर करना।
- मूल्यांकन तथा किये गये कार्यों का दस्तावेजीकरण करना।

- अनुभवों तथा सीख को अन्य लोगों को बताना।
- कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आकस्मिक योजना का निर्माण करना।

विद्युत विभाग

निवारक गतिविधियाँ

- आपात अनुक्रिया हेतु आवश्यक संसाधनों का चिन्हीकरण।
- बिजली मिस्त्रियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि बिजली उपकरणों के स्थापना में निर्धारित मानको का पालन कड़ाई से किया जाये।
- बिजली सम्बन्धी उपकरणों के स्थापना तथा निरीक्षण हेतु आवश्यक योजना का विकास करना।
- आपात स्थिति में महत्वपूर्ण स्थलों पर त्वरित बिजली प्रदान करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में बिजली बहाली हेतु आकस्मिक कार्य योजना त्वरित विकसित करना।
- विद्युत तारों के टूटने गिरने की स्थिति में करंट न फैल पाये इस हेतु आवश्यक मानकों को लागू करना तथा समय–समय पर उसका निरीक्षण करना।
- किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात के दौरान उच्च क्षमता के तारों में न्यूनतम नुकसान हो इस हेतु आवश्यक कार्य योजना विकसित करना।
- किसी भी प्राकृतिक/मानव निर्मित/सामान्य स्थिति में बिजली से होने वाले नुकसानों को कम करने हेतु समुदाय को जन–जागरूक करना।

अनुक्रिया गतिविधियाँ

- सूचना मिलने के बाद संभावित प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बिजली वितरण बन्द करना।

- घटना स्थल का भ्रमण कर नुकसान ऑकलन में आवश्यक सहयोग करना।
- जिले में महत्वपूर्ण स्थलों, साइट ऑपरेशन केन्द्रो, औद्योगिक केन्द्रों, अस्पतालों में त्वरित बिजली व्यवस्था प्रदान करने हेतु आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- उच्च विद्युत क्षमता के तारो, विघुत उपकेन्द्रों ट्रांसफारर्मर/पोल इत्यादि महत्वपूर्ण घटकों का निरीक्षण एवं मरम्मत करना।
- किसी भी आपदा/आपात स्थिति में जन सामान्य को विद्युत के कारण नुकसान न हो पाये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली यथाशीघ्र सुनिश्चित करना।
- क्षतिग्रस्त पोल, ट्रांसफारर्मर, कनडकर्टस इत्यादि उपकरणों की मरम्मत एवं बदलाव शीघ्रातिशीघ्र करना।

जल संसाधन विभाग

निवारक गतिविधियाँ

- नदी के बहाव के उच्चतम बहाव क्षेत्र का ऑकलन तथा इस विषय में स्थनीय जन समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
- बाढ़ संभावित क्षेत्रों, गांवों का चिन्हीकरण तथा बाढ़ निगरानी तंत्र की स्थापना।
- जिले के नदियों, टैंक तथा बांधों के उच्चतम पानी के बिन्दुओं का चिन्हीकरण।
- अनुक्रिया हेतु आवश्यक सामग्री का चिन्हीकरण तथा रख–रखाव।
- पंचायत स्तर पर किनारों के टूट के दौरान प्रयोग किये जाने वाले संसाधनों, बालू के बोरो इत्यादि का संकलन।

अनुक्रिया गतिविधियाँ

- बाढ़ स्थिति की निगरानी।
- बाढ़ सूचना का प्रसारण।

- संचार के आवश्यक नये तकनीकी जी.पी.एफ. इत्यादि का उपयोग करते हुए तहसील वार होने वाले नुकसानों तथा बहाव क्षेत्र सहित सूचना का सम्प्रेषण।
- सिंचाई के संरचनाओं की संरक्षण एवं निगरानी।
- जिले के प्रमुख बांधों, पुलो, चैनल्स तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण।
- संरचनाओं स्टेशन, उपकरण, पम्प, जनरेटर, मोटर इत्यादि का मरम्मत एवं निरीक्षण।
- बांध टूट स्थल पर रोक हेतु समुदाय से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के लिए सामुदायिक गतिशीलता।
- संरचनाओं एवं मानवशक्ति का सशक्तीकरण।
- पुनः मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण।
- सीख तथा अनुभवों का आदान–प्रदान।
- कर्मचारियों का आवश्यक प्रशिक्षण।
- आकस्मिक कार्य योजना का निर्माण।

वन विभाग

निवारक गतिविधियाँ

- कितना जंगल भू–भाग है। जंगल क्षेत्र की भूमि का उपयोग, जंगल फैलाव में कमी इत्यादि विषयों पर जन समुदाय को जानकारी हेतु समय–समय पर सूचना प्रकाशन।
- हाथ तथा मशीन चलित आरी को हमेशा चालू हालत में रखना।
- वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना तथा समय–समय पर जन समुदाय को बीज/पेड़ प्रदत्त करना, किसी भी आपदा के बाद होने वाले क्षति को ध्यान में रखते हुए जन सामान्य को बीज/पेड़ प्रदान करना।

परिवहन विभाग

निवारक गतिविधियाँ

- आपात स्थिति में उपयोग किये जाने वाले वाहनों की सूची बनाना।
- सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।
- जन–जागरूकता कैम्पों के माध्यम से सुरक्षा तथा यातायात नियमों के विषय में जानकारी प्रदान करना।
- स्कूली बच्चों को यातायात नियमों तथा सुरक्षा के विषय में जानकारी हेतु (सूचना शिक्षा संचार) के माध्यम से शिक्षित करना।
- आपात स्थिति में बेहतर सेवा के लिए वाहनों, ट्रकों इत्यादि वाहनों को प्रदत्त करना।
- खोज, बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

पुनर्बहाली गतिविधियाँ

- ग्राम पंचायतों को रिलिफ सामग्री के भण्डार एवं वितरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

पंचायती राज्य विभाग

निवाकर गतिविधियाँ

- जोखिम को कम करने के लिये निवारक एवं शमन रणनीति विकसित करना।
- आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलूओं पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।
- आपदा प्रबधन के विभिन्न पहलूओं पर जन सामान्य समुदाय को जागरूक करना।
- अवास्तविक अभ्यासों का आयेाजन करना।
- समुदाय आधारित आपदा प्रबधन कार्य योजना को प्रोत्साहित एवं सहयोग प्रदान करना।

- स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले अनुक्रिया कार्यो का सशक्तीकरण करना।
- अन्य विभागों को सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

अनुक्रिया गतिविधियाँ

- समुदाय को सही समय पर सूचना प्रेषण हेतु ग्राम पंचायत सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ग्राम स्तर पर नाली, सड़क तथा अन्य संरचनाओं की साफ–सफाई एवं रख–रखाव।
- ग्राम स्तर पर वैकल्पिक रास्तों का निर्माण करना।
- नुकसान ऑकलन तथा राहत वितरण में आवश्यक रूप से शामिल रहे।
- आपात राहत एवं आश्रय केन्द्रों का संचालन।
- स्वच्छता, चिकित्सा तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना।
- जन समुदाय को जागरूक एवं गतिशील करने के लिए अधिकाधिक सूचना/शिक्षा/संचार संसाधनों का निर्माण एवं वितरण।
- वृक्षारोपण इत्यादि में स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों समुदाय आधारित संगठनों, जन समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना।
- जंगल की आग की घटना तथा होने वाले नुकसान को कम करने के लिए यथोचित कार्य योजना का निर्माण करना।
- सड़क सफाई, मलवा सफाई में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- वृक्ष काटने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना।
- अस्थाई आश्रय स्थलों को तैयार करने हेतु उपलब्ध स्थानीय संसाधनों जैसे बॉस इत्यादि की व्यवस्था करना।

पुनः प्राप्ति हेतु गतिविधिः–

- वृक्षो को होने वाले नुकसानों को कम से कम करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित एवं लागू करना।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

निवारक गतिविधियाँ

- जिले के प्रमुख खतरो, आपदाओं के विषय में जन समुदाय को, मीड़िया का उपयोग करते हुए जागरूक करना।
- विभिन्न आपदाओं के दौरान क्या करें तथा क्या न करें के विषय में समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
- मीड़िया के साथ निरन्तर समन्वय।

अनुक्रिया गतिविधियाँ

- आपात स्थिति घटना की सही–सही एव पूरी जानकारी समुदाय को प्रदान करने को दृष्टिगत एक नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- निर्धारित समय पर आपदा के विषय में राज्य, समुदाय तथा अन्य अभिकरणों को जानकारी प्रदान करना।
- आपात स्थिति, संवेदनशील क्षेत्र, होने वाली मृत्यु, प्रभावित जनसंख्या के विषय में जन समुदाय को समय–समय पर जानकारी प्रदान करना।
- आपदा उपरान्त प्रदत्त किये जाने वाले विभिन्न सहायता, धनराशि इत्यादि के विषय में स्थानीय जन समुदाय को समय–समय पर जानकारी प्रदान करना।

राजस्व विभाग

- भारत सरकार तथा अन्य दाता संस्थाओं के साथ समन्वय एवं तालमेल।
- स्थिति पर नियन्त्रण तथा सुपरविजन।
- नुकसान ऑकलन, रिपोर्ट तैयार करना तथा आपदा स्तर की घोषणा करना।
- वित्त की व्यवस्था करनां

जोखिम विषयक पूर्व तैयारी–

बाढ़

1. जिले की प्रमुख नदियों पर जलस्तर मापक केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
2. प्रतिवर्ष मानसून आने से पूर्व जिले में स्थित सभी संरचनाओं जैसे– बांध, चेक डेम, नहर इत्यादि का रख–रखाव, मानीटरिंग एवं आवश्यक सुधार सम्पन्न किया जायेगा।
3. बांधों का समुचित रख–रखाव।
4. बांध के निचले हिस्सें में प्रभावित होने वाले नदी–नालो पर संकेत लगाया जायेगा।
5. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक ग्राम में नावों, तैराकों की सूची ग्राम पंचायतों में उपलब्ध होगी तथा बाढ़ के समय आवश्यक मुनादी तथा राहत शिविरों की व्यवस्था पंचायतों के माध्यम से किया जायेगा।
6. जागरूकता–समुदाय के लोगों को जागरूक एवं गतिशील करना।
7. नदियों के किनारें बसे गॉवों में कुशल तैराकों की सूची, नाव एवं अन्य जीवन रक्षक साधन (ट्यूब, औषधी आदि) पर्याप्त मात्रा में हो।
8. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को सूचीबद्ध कर उनके पुर्नवास स्थलों को चिन्हित करना एवं ऐसे स्थलों के लिए चिकित्सा दल पहले से ही तैयार रखना।
9. बाढ़ पूर्व सूचना तंत्र को प्रभावी करने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार एवं लागू की जायेगी।
10. जिले के प्रमुख नदियों में जलस्तर चिन्हांकन सामान्य एवं भीषण बाढ़ के हिसाब से तय किया जायेगा।
11. बाढ़ के दौरान उपयोग की जाने वाली सामग्री का संग्रहण पूर्व मे ही किया जायेगा।

12. बाढ़ प्रभावित गांवो हेतु संसाधन सूची का निर्माण संपर्क व्यक्ति के नाम एवं दूरभाष नम्वर सहित किया जायेगा।
13. बाढ़ हेतु संवदेनशील क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने हेतु कार्य योजना विकसित की जायेगी।
14. बाढ़ हेतु संवेदनशील स्थलों/ग्रामों मे रहने वाले स्थानीय जनसमुदाय/संस्थाओं /विभागों को बाढ़ से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान कर जागरूक एवं गतिशील किया जायेगा। इस हेतु (आई0ई0सी0) सूचना संचार संप्रेषण के विभिन्न तरीकों/पद्धतियों का उपयोग किया जायेगा।
15. परिवहन हेतु सुरक्षित मार्गो का चयन।
16. बांध के निचले हिस्से के संवेदनीशल क्षेत्रो को चिन्हांकित करना।
17. वैकल्पिक पुर्नवास की व्यवस्था।

2. औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटनायें

1. औद्यौगिक इकाई में चलित स्वास्थ्य सुविधा के उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्य योजना विकसित एवं लागू की जायेगी।
2. औद्यौगिक इकाई में आपातकालीन निकास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
3. अलार्म सिस्टम सही तरीके से कार्य करे इसके लिए समय–समय पर आवश्यक मानिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी।
4. औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा औद्यौगिक इकाईयों का समय–समय पर निरीक्षण, एवं परीक्षण कर सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे।
5. स्थानीय समुदाय तथा औद्यौगिक इकाई मे कार्यरत कर्मचारियों को किसी आपात स्थिति में सूचना देनें हेतु पर्याप्त मात्रा में ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था पूर्व मे ही सुनिश्चित की जायेगी।

6. औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय जन समुदाय को आपदा प्रबंधन के विषय में जानकारी प्रदान करने हेतु समय–समय पर बैठको का आयोजन किया जायेगा।

3. सड़क दुर्घटनाएं

1. मोबाईल मेडिकल टीम की क्रियाशीलता।
2. प्रमुख दुर्घटना संभावित स्थलों पर कार्यरत पुलिस बल को प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. सीट बेल्ट व हेलमेट संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही नियमों का पालन करने वालों को प्रोत्साहित भी किया जायेगा।
4. राष्ट्रीय राजमार्गों, मुख्य मार्गों, पर निवास करने वालें परिवारों/समुदायों को यातायात नियमों के विषय में जागरूक किया जायेगा।

4. रसायनों का परिवहन एवं संग्रहण

1. रासायनिक सामग्री यातायात की समय–समय पर सुरक्षा सम्बंधी जॉच।
2. खतरनाक रसायनों के विषय में स्थानीय लोगों को समय–समय पर जानकारी प्रदान करना।

5. सूखा

1. सूखाग्रस्त क्षेत्रों का चिन्हांकन।
2. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की क्षमता का निर्माण।

6. भूकंप

1. भूकम्परोधी मकानों के निर्माण से सम्बंधित कानूनों एवं मानकों का कडाई से अनुपालन।

7. मेला एवं त्योहार संबंधी आपदायें

1. मेला स्थलों पर कूडादान की व्यवस्था।
2. वाहन पार्किंग व्यवस्था।
3. आवागमन के मार्गों का निर्माण एवं निर्धारण।
4. प्राथमिक चिकित्सा कक्ष की स्थापना एवं चिकित्सा वाहन की तैनाती।
5. आवागमन के मार्गों एवं खोये हुए व्यक्तियों की जानकारी हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना।
6. मेला क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं, संसाधनों, स्वयंसेवको का उचित स्थलो पर प्रदर्शन।
7. मेला के दौरान स्थानीय अस्पतालो में अतिरिक्त बिस्तरों, डॉक्टरो, आकस्मिक सुविधा की व्यवस्था।
8. महिलाओं, बच्चो, वृद्धो, अशक्तो हेतु अलग से व्यवस्था।

8. आग

अ. घरेलू आग

1. आग से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में जन समुदाय को समय–समय पर जागरूक करना।

ब. जंगल की आग

1. तेन्दू पत्ता एवं महुआ संग्रहण स्थलों को सुरक्षित रखने हेतु ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिवों के माध्यम से ग्रामों में मुनादी कराकर सर्तक करना एवं ज्वलनशील पदार्थो को वनक्षेत्र में प्रतिबंधित करना।

9. खदान सम्बंधी दुर्घटनायें

1. संवेदनशील खदानों का सूचीकरण एवं चिन्हीकरण किया जायेगा।

10. रेल दुर्घटना

1. जिले के समस्त रेल्वे क्रासिंग पर बैरियर के निर्माण हेतु रेल्वे से तालमेल स्थापित किया जायेगा।
2. रेल्वे के किनारे बसे गॉवों को सूचीबद्ध किया जायेगा।

11.महामारी

1. मृत पशुओं के शवों के उचित निस्तारण हेतु जगह का निर्धारण।

अध्याय–5

जिला गुना
में चिन्हित कुछ प्रमुख आपदाओं
की शमन कार्य योजना

आपदा शमन

शमन से तात्पर्य उन क्रियाकलापों से है, जिनके द्वारा आपदा या जोखिम के प्रभाव को कम किया जा सकता हैं।

संरचनात्मक शमन से तात्पर्य है किसी भी ढांचागत निर्माण के पूर्व, क्षेत्र विशेष में विद्यमान खतरों/संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जाना। साथ ही विद्यमान खतरों के प्रभाव को कम करने के लिए निर्माण कार्य किया जाना भी इसी के अन्तर्गत आता है।

गैर संचरनात्मक शमन कार्य के अन्तर्गत सूचना संप्रेषण के विभिन्न तरीकों जैसे– समुदायिक बैठकों, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से चिन्हित विभिन्न खतरों के दौरान *''क्या करें क्या ना करें''* के विषय में समुदाय को जानकारी प्रदत्त करते हुए स्थानीय जनसमुदाय की क्षमता वृद्धि करना। जिला गुना में विद्यमान प्रमुख खतरों के अनुरूप शमन कार्य योजना तैयार की गई है। जिसका विवरण निम्नवत है।

1. बाढ़

संरचनात्क शमन

जिला गुना में बाढ़ आपदा प्रबंधन की दृष्टि से निम्नलिखित संरचनात्मक शमन कार्य किये जायेंगे –

18. भविष्य में समस्त संरचनाओं का निर्माण आपदारोधी तकनीक से किया जायेगा।
19. चिन्हित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र/स्थलों जहॉ से बाढ़ का पानी प्रवेश करता है उन स्थलों पर बाढ़रोधी संरचनाओं का विकास एवं निर्माण।
20. जिले की नदियों के प्राकृतिक बहाव क्षेत्रों (Natural Detention Basin) को चिन्हित कर आवश्यकतानुसार विकसित किया जायेगा।
21. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों/गांव में चेक डेम, स्टाप डेम, रिर्जव वायर, का निर्माण किया जायेगा।

22. बाढ़ प्रभावित एवं अन्य क्षेत्रों में बेहतर जल निकासी हेतु व्यवस्था की जायेगी।

23. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों/स्थलों/गाँव में बाढ़ के पानी के दिशा परिवर्तन हेतु आवश्यकता अनुरूप निर्माण किया जायेगा।

24. वर्षा पूर्व नालियों/नालों/पुलियों के पाईप आदि की सफाई कराई जाए।

25. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विशेष मानचित्रण जिसमें नदी के बहाव की दिशा, जल निकास क्षेत्र एवं उसकी दिशा, प्रभावित हो सकने वाले गांवो, सड़कों, कस्बों, नगरों का चित्रण किया जायेगा।

26. वर्षा जल संचयन कार्य योजना प्रभावी तरीके से लागू की जायेगी।

27. संपूर्ण जिले में मिट्टी कटाव को रोकने हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया जायेगा।

गैर संरचनात्मक शमन

1. मैपिंग–सुरक्षित एवं प्रभावित स्थानों का चिन्हांकन
2. जिले में स्थिति प्रमुख बाँधों के अधिकारियों के बीच समन्वय हेतु सूचना तंत्र स्थापित किया जायेगा।
3. जिन बाँधों का पानी छोड़ने पर गुना जिले में नदियों का जल स्तर बढ़ता है उनके द्वारा पानी छोड़ने के पूर्व राजस्व विभाग को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा, जिससे जल स्तर बढ़ने की स्थिति में प्रभावित होने वाली जनता को सुरक्षित स्थानों में ले जाया जा सके।
4. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को विभिन्न बीमा संबंधी जानकारी प्रदत्त करते हुए उपयोग हेतु प्रेरित किया जायेगा।

2. औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटनायें

जिला गुना में कुछ प्रमुख औद्योगिक इकाईयाँ जैसे एन0एफ0एल0, गेल, इत्यादि विद्यमान हैं। इन औद्योगिक इकाईयों द्वारा ऑन साइड एवं ऑफ साइड कार्ययोजना का निर्माण किया गया है। उपरोक्त योजना की प्रति प्राप्त कर जिला आपदा प्रबंध कार्ययोजना में सम्मिलित किया जायेगा। जिला स्तर पर किये जाने वाले प्रमुख संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक कार्य निम्नवत हैं–

संरचनात्मक शमन

1. किसी भी औद्योगिक इकाई के निर्माण के समय ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि औद्योगिक इकाई द्वारा कम से कम खतरे उत्पन्न हो।
2. औद्योगिक क्षेत्र (राघौगढ़) में भूकंपरोधी इमरतों को ही निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
3. भू–उपयोग योजना इस प्रकार हो कि उद्योग रिहायशी इलाकों से उचित दूरी पर स्थित हों।

गैरसंरचनात्मक

1. फैक्ट्री के मजदूरों को सुरक्षा संबंधी ''क्या करें, क्या न करे'' पर उचित प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3. सड़क दुर्घटनाएं

संरचनात्मक शमन

1. पूर्व चिन्हित दुर्घटना स्थलों पर आवश्यकता अनुरूप दो लेन (Two Lane) सड़क निर्माण।
2. संभावित दुर्घटना स्थलों पर आवश्यक साइन बोर्ड की स्थापना।

3. मुख्य मार्गो, राज्य मार्गो, राष्ट्रीय राज्य मार्गो पर लगने वाले हाट बाजारों को विस्थापित करने हेतु आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।
4. पुल–पुलियों की साइड रैलिंग का निर्माण एवं मरम्मत की जायेगी।
5. सड़कों पर मार्किंग की जायेगी।
6. बेहतर एवं त्वरित चिकित्सा हेतु जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीनागंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राघौगढ़, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूठियाई तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आवन पर ट्रॉमा मोबाईल वॅनों को तैनात किया गया है।
7. दुर्घटना संभावित स्थलों तथा प्रमुख चौराहों पर वाहन की गति कम करने हेतु रम्मबल स्ट्रीप का निर्माण किया जायेगा।
8. प्रमुख दुर्घटना स्थलों पर पिकेट स्थापना।

गैर संरचनात्मक शमन

1. निरंतर हाइवे पेट्रोलिंग।
2. खुले घूमने वाले पशुओं को कांजी हाउस में बन्द किया जायेगा एवं इस संदर्भ में लगातार मानिटरिंग एवं सुपरविजन किया जायेगा।

4. रसायनों का परिवहन एवं संग्रहण

संरचनात्मक

1. रासायनिक सामग्री भण्डारण हेतु सुरक्षित स्थान का चिन्हांकन।
2. आबादी क्षेत्र में रासायनिक सामग्री का भण्डारण एवं यातायात करने वाले वाहनों का रूकना प्रतिबंधित करना।

गैर संरचनात्मक

1. आपात स्थिति में बचाव एवं सुरक्षा सम्बंधी प्रशिक्षण विशेष रूप से चिकित्सा एवं पुलिस विभाग को।

5. सूखा

संरचनात्मक शमनः

1. **वर्षा जल संचयन** वर्षा जल के उचित संरक्षण एवं भू–जल संवर्धन हेतु वर्षा जल संचयन पद्धति को जिले में प्रभावी तरीके से लागू किया जायेगा। नये तालाबों का निर्माण किया जायेगा।

2. जलाशय गहरीकरण

जिले में स्थित प्रमुख जलाशयों में अधिक जल संग्रहण हेतु आवश्यक साफ–सफाई तथा गहरीकरण का कार्य किया जायेगा।

3. वृक्षारोपण

वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कार्य योजना विकसित एवं लागू की जायेगी।

4. भू–जल सुधार हेतु आवश्यक निर्माण

स्टॉप डॅम, चेक डॅम, सोख्ता गड्ढ़े इत्यादि के माध्यम से भू–जल स्तर में सुधार हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

5. सिंचाई क्षेत्र का विस्तार।
6. अनाज बैंक की स्थापना।

गैरसंरचनात्मक शमनः

3. जल संसाधन स्त्रोतों के उपयुक्त उपयोग हेतु जिला स्तर पर तंत्र विकसित किया जायेगा।
4. कृषि बीमा को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इस विषय में किसानों को जागरूक एवं गतिशील करने हेतु बीमा प्रोत्साहन केम्पों का आयोजन जिले में कार्यरत विभिन्न बीमा कंपनियों के सहयोग किया जायेगा।
5. जल स्त्रोतों के बेहतर रख–रखाव हेतु समुदाय को जागरूक एवं गतिशील किया जायेगा।
6. कम वर्षा में होने वाली फसलों के लिए स्थानीय जनसमुदाय को प्रोत्साहित किया जायेगा।
7. ग्रमा स्तर पर संचालित योजनाओं जैसे राजीव गांधी वाटर शेड योजना अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित किया जायेगा।

6. भूकंप

संरचनात्मक शमन

1. आधारभूत सेवाओं से सम्बन्धित संरचनाओं का प्राथमिकता के आधार पर मजबूतीकरण। प्रथम चरण में जिला गुना के दो प्रमुख भवनों जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला अस्पताल के दृढीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया जायेगा एवं एन. एफ. एल., गेल एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों का सिस्मिक जोन–2 के अनुसार मजबूतीकरण एवं निर्मित किया जायेगा।

(आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल द्वारा भूकम्पीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु एक मेनुअल विकसित किया गया है जिला प्रशासन द्वारा भवन निर्माण हेतु उक्त मेनुअल का उपयोग किया जा सकता है।)

2. द्वितीय चरण में सभी आंगबाडियों, स्कूलों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण किया जायेगा।

गैर संरचनात्मक शमन

भू–उपयोग योजना– बडी इमारतों, भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा। यदि निर्माण आवश्यक है तो भूकम्परोधी भवन निर्माण संबंधित मानदण्डों के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया जायेगा।

प्रशिक्षण एवं कार्यशाला– निर्माण कार्य में संलग्न विभिन्न वर्गों जैसे सिविल इंजीनियर, आर्कीटेक्ट, ठेकेदारों, सुपरवाइजरों, राजमिस्त्री इत्यादि के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

जन–जागरूकता– जान–माल की क्षति कम करने के लिए परिवार, समुदाय, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, विभागों को भूकम्प के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूक एवं गतिशील किया जायेगा। इस हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार के विभिन्न पद्धतियों एवं तरीकों का उपयोग किया जायेगा।

7. मेला एवं त्योहार संबंधी आपदायें

संरचनात्मक शमन

9. आवश्यक बैरीकेड्स का निमार्ण।
10. स्वच्छ पेयजल एवं स्थाई एवं अस्थाई शौचालयों का निर्माण।
11. क्लोज सर्किट कैमरों की स्थापना।
12. मेटल डिटेक्टर गेटों की स्थापना।

गैरसंरचनात्मक शमन

1. मेला आयोजन समिति का गठन एवं समय–समय पर बैठकों का आयोजन।
2. मेला आयोजन का प्लान, रूट चार्ट तैयार करना।
3. मेला सम्बंधी आवश्यक निर्देशों के पालनार्थ जन–जागरूकता।
4. आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती।

8. आग

अ. घरेलू आग

संरचनात्मक

1. विद्युत तार का सुरक्षित उपयोग।
2. बड़े भवनों विशेषकर सिनेमा घरों, स्कूल, सामुदायिक भवनो में आपात एवं वैकल्पिक मार्गों का निर्माण।
3. सामुदायिक एवं बड़े भवनों मे फायर अलार्म की स्थापना।
4. सामुदायिक एवं बड़े भवनों मे भवन निर्माण के समय ही आग बुझाने हेतु पानी के संग्रहण की उचित व्यवस्था।
5. अवैध विद्युत कनेक्शनों, कटिया प्रणाली पर नियंत्रण हेतु आवश्यक निगरानी।

गैर संरचनात्मक

1. रसोई गैस के सुरक्षित उपयोग हेतु समय–समय जन समुदाय को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना।
2. जन समुदाय को ज्वलनशील पदार्थों के सुरक्षित रख रखाव की जानकारी प्रदान करना।

ब. जंगल की आग

संरचनात्मक

1. आग फैलने से रोकनें हेतु वन विभाग द्वारा ट्रेंच का निर्माण।
2. क्षेत्र में जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण एवं चिन्हांकन।

गैर संरचनात्मक

1. अग्निशमन बिन्दु की जानकारी,
2. निगरानी दल का गठन,
3. वन क्षेत्र के पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से पूर्व सावधानी हेतु जागरूकता।
4. वनरक्षक, वनपालो एवं अधिकारियों द्वारा संभावित खतरों के विषय मे वनवासियों को आगाह करना।
5. निकटतम फायर बिग्रेड स्टेशन एवं जल संसाधनों की सूची एवं उपलब्धता।

9. खदान सम्बंधी दुर्घटनायें

संरचनात्मक

1. खदान में सुरक्षा सम्बंधी आवश्यक निमार्ण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
2. सुरक्षा उपकरणों की तैनाती की जायेगी एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी

गैर संरचनात्मक

1. खुली खदानों की पहचान, समीक्षा एवं सतत् निगरानी।
2. खदानों के आस–पास निवास करने वालो का क्षमता निर्माण एवं जन–जागरूकता।

3. सूचना तंत्र की स्थापना।
4. सुरक्षा उपकरणों की जानकारी।

10. रेल दुर्घटना

संरचनात्मक

1. रेल्वे फाटकों के एक कि0मी0 पूर्व से साइन बोर्ड लेखन।
2. रेल्वे फाटकों के पास रम्बल स्ट्रीम का निर्माण किया जायेगा।
3. सभी मानव रहित फाटकों को मानव युक्त किया जायेगा।

गैरसंरचनात्मक

1. रेल्वे नियमों के प्रति जन–समुदाय में जन–जागरूकता।
2. रेल में सफर करनें वाले यात्रियों को सुरक्षा सम्बंधी जानकारी।
3. ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा न करने के लिए जागरूकता।

11.महामारी

संरचनात्मक शमन

2. गंदे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था एवं नाली का निर्माण।
3. कूडा–कचडा निस्तारण की समुचित व्यवस्था एवं आवश्यकता अनुरूप कुडेदान का निर्माण।
4. स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था एवं उचित संख्या में शौचालयों का निर्माण, रख–रखाव एवं निरंतर साफ–सफाई।

गैरसंरचनात्मक शमन

1. समय–समय पर संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।
2. महामारी फैलने के कारणों एवं रोकथाम के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

3. टीकाकरण की समुचित व्यवस्था।
4. जागरूकता हेतु सूचना, शिक्षा, एवं संचार सामग्री का प्रभावी उपयोग जैसे– दीवार लेखन, नुक्कड नाटक, लोक गीत, इत्यादि।

अध्याय 6

आपदा अनुक्रिया कार्य योजना–

जिला गुना

अनुक्रिया योजना

किसी भी आपदा अथवा आपदा संभावित स्थिति में अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा एक आपात बैठक कर अनुक्रिया हेतु गठित दलों को गतिशील किया जायेगा। घटना की सूचना राज्य आपदा प्रबंन प्राधिकरण, राज्य शासन को प्रेषित की जायेगी। राज्य प्राधिकरण तथा राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशो का पालन किया जायेगा। किसी भी आपदा के समय प्रभावी अनुक्रिया हेतु कुल दस प्रकार के दलों का गठन किया गया है जिनका विवरण निम्नवत है –

अनुक्रिया हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर गठित दलों का विवरण

क्र.	कार्य	दलों की संख्या	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
1	संचार, सहायता एवं सूचना	7+1	उपजिलाधिकारी	पुलिस, रेवेन्यू, वायरलैस, प्रायवेट मो. ऑपरेटर, वन विभाग, एन.जी.ओ., रेडक्रास
2	स्थल खाली कराना	7+1	राजस्व (तहसीलदार)	पुलिस, राजस्व, होम गार्ड इत्यादि
3	खोज एवं बचाव	7+1	होमगार्ड विभाग	पी.डब्ल्यू.डी.,नगर पंचायत/ नगर पालिका, अग्निशमन, स्वयंसेवी संगठन, एन.एस.एस., एन.सी.सी.
4	कानून व्यवस्था	7+1	पुलिस विभाग	होमगार्ड, नगर/ग्राम सुरक्षा समिति, राजस्व, एन.सी.सी
5	चिकित्सा एवं परामर्श	7+1	चिकित्सा	रेडक्रास, प्राइवेट डाक्टर, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेदिक चिकित्सा, पशु चिकित्सा,
6	भोजन एवं पेयजल व्यवस्था, राहत/पुर्न स्थापना	7+1	राजस्व विभाग	ट्रान्सपोर्ट, जल संसाधन, पी.डब्ल्यू.डी., नगर निगम, नगरपालिका, ग्रामीण विकास, लोक स्वाथ्य यांत्रिकी विभाग, वन विभाग
7	मलवा सफाई एवं रास्ता निर्माण, मृत पशुओ कूडे कचरे का निपटारा	7+1	पी0डब्ल्यू0डी0	नगर निगम, नगर पालिका / नगर पंचायत /ग्राम पंचायत, पशु चिकित्सा विभाग
8	बिजली	7+1		एम.पी.ई.बी.

प्रभावी अनुक्रिया हेतु दलों द्वारा किये जाने वाले कार्यो का विस्तृत विवरण निम्नवत है–

1. संचार, सहायता एवं चेतावनी प्रसारण दल

यह दल मुख्य रूप चेतावनी प्रसारण से संचार सेवाओं के बहाली हेतु उत्तरदायी होगा।

नोडल विभाग : उप जिलाधिकारी

सहयोगी विभागः पुलिस, रेवेन्यू, वायरलैस, प्रायवेट मोबाइल ऑपरेटर, वन विभाग, एन. जी.ओ., रेडक्रास।

दल द्वारा किये जाने वाले कार्यः

- जिला आपदा प्रबन्ध कार्यालय द्वारा आपदा की सूचना मिलने के उपरान्त दल प्रमुख द्वारा संचार दलों को सूचित एवं गतिशील किया जायेगा।
- सहयोगी विभागों के नोडल अधिकारियों को सूचित किया जायेगा।
- जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी।
- सहयोगी विभागों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर एक समिति गठित कर वास्तविक नुकसान का ऑकलन किया जायेगा।
- आपदा क्षेत्र में तत्काल, वैकल्पिक एवं प्रभावी संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- सहयोगी विभागों को आपदा क्षेत्र के संसाधनों, उपकरणों की स्थिति के विषय में अवगत करायेंगे।
- स्थिति के विषय में कलेक्टर, अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत करायेगें।
- समस्त सहयोगी विभागों की बैठक आयोजित करेंगे तथा आवश्यकतानुरूप निजी, गैर–सरकारी टेलीफोन ऑपरेटरों हेतु कार्य योजना विकसित करेंगे।

- किये गये कार्यों के विषय में जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को अवगत कराया जायेगा। आवश्यकतानुरूप मोबाईल एक्सचेन्ज की स्थापना की जायेगी।
- आम जनता हेतु अस्थायी दूरभाष नम्बर जारी किये जायेंगे तथा इसकी सूचना समाचार पत्रों, मीडिया तथा प्रेस के माध्यम से प्रचारित किया जायेगा।
- यदि जिले में हैम रेडियो है तो उनके संचालको को सूचित किया जायेगा तथा वर्तमान स्थिति तथा उससे निपटने के लिए किये गये प्रयास के विषय में अवगत कराया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा सघन निगरानी की जायेगी तथा आवश्यकता अनुरूप और अधिक स्टॉफ की भर्ती की जायेगी।
- सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रो में त्वरित कार्यवाही हेतु आवश्यक उपकरण एवं संसाधन भेजा जायेगा।
- घटना से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी से राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण को अवगत कराते हुए आवश्यक धन राशि संग्रह हेतु अपील जारी की जायेगी।
- आपात सहायता सूचना हेतु टोल फ्री नम्बरो की स्थापना।

त्वरित कार्यदल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किये जाने वाले कार्य

- सूचना मिलने के बाद यथाशीघ्र नोडल कार्यालय पहुंचेगें तथा दल प्रमुख से आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे।
- जमीनी हकीकत का ऑकलन कर रिपोर्ट दल प्रमुख को प्रेषित किया जायेगा।
- त्वरित कार्यदल द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में निम्न तथ्यों को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा।

1 लगभग कुल नुकसान।

2 कुल कितने कि0मी0 तक नुकसान हुआ है।

3 कुल नुकसान केबल (मीटर में)

4 जनसमुदाय के उपयोग हेतु स्थायी कनेक्शन की स्थापना।

5 संचार सेवाओं के यथाशीघ्र बहाली हेतु मानव संसाधन, उपकरण, परिवहन, मोटरगाड़ी इत्यादि संसाधनो की आवश्यकता का ऑकलन।

6 अस्थायी मजदूरो की सहायता से सड़क पर बिखरे खम्बो, तारो को हटाते हुए पुनः बहाली का कार्य प्रारम्भ करना।

7 प्राप्त सामग्री, उपकरण तथा बचाये हुए सामग्री, के सुरक्षित भण्डारण हेतु किसी चिन्हित भवन की मरम्मत।

8 समस्त गतिविधियों की सूचना दल प्रमुख तथा जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को प्रेषित किया जायेगा।

2. स्थल खाली कराना दल :

इस दल का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित एवं नजदीकी रास्तों की पहचान तथा स्थल खाली करने की कार्य योजना विकसित करना होगा।

नोडल ऐजेन्सी : राजस्व

सहयोगी विभागः पुलिस, राजस्व, होमगार्ड।

दल द्वारा किये जाने वाले कार्यः

- आपदा की सूचना प्राप्त होते ही दल प्रमुख द्वारा समस्त सदस्यो को गतिशील किया जायेगा।
- सहयोगी विभागो के नोडल अधिकारियों को आपदा के विषय में आवश्यक जानकारी प्रदान की जायेगी।

- त्वरित कार्यवाही दल को आपदा प्राभावी क्षेत्र में भेजने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
- स्थल खाली कराने हेतु पूर्व चिहिन्त रास्तो के विषय में जानकारी प्राप्त की जायेगी। जहॉ पूर्व चिहिन्त रास्ते उपलब्ध नही होंगे नोडल अधिकारी जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष में उपलब्ध अन्य नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करेगा तथा वैकल्पिक मार्गों की पहचान करेगा।

त्वरित कार्यवाही दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- दल प्रमुख से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त दल के सदस्य शीघ्र अतिशीघ्र नोडल कार्यालय पहुंचेगें।
- नोडल कार्यालय से आदेश प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही दल अतिशीघ्र आपदा स्थल पर पहुंचेगे।
- आपदा स्थल पर पहुंचकर घटना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे।
- स्थानीय कार्यदल की सहायता से लोगो को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाने का कार्य प्रारम्भ करेंगे।
- सर्वाधिक प्रभावित आपदा स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर खाली कराया जायेगा।
- कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष तथा नोडल कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. खोज एवं बचाव दलः

किसी भी आपदा के तुरन्त बाद खोज एवं बचाव एक प्रमुख गतिविधि है। इस गतिविधि के सक्रिय कार्यवाही से जान/माल की क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है।

नोडल विभाग : होम गार्ड

सहयोगी विभागः लो0नि0विभाग, नगर पंचायत/ नगर पालिका, स्वयंसेवी संगठन, एन. एस.एस., एन.सी.सी.

खोज एवं बचाव दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- कलेक्टर, अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दल प्रमुख को घटना के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
- दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागो के नोडल अधिकारियों को घटना की विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
- दल प्रमुख द्वारा जिला स्तरीय त्वरित कार्य दल को रवाना किया जायेगा।
- यदि आवश्यक हो तो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा खोज एवं बचाव कार्य का ऑकलन किया जायेगा।

त्वरित कार्यदल खोज एवं बचाव द्वारा किये जाने वाले कार्य

- क्षति का ऑकलन क्षतिग्रस्त कुल भवनो की संख्या, क्षति ग्रस्तता का स्तर इत्यादि।
- त्वरित कार्यदल खोज एवं बचाव को सबसे अधिक प्रभावित स्थलो पर पहले भेजा जायेगा।
- खोज एवं बचाव हेतु आवश्यक उपकरणो, वस्तुओ की सूची तैयार किया जायेगा।
- त्वरित कार्य दल खोज एवं बचाव द्वारा प्रगति की सूचना जिला आपदा प्रबंधन कक्ष को प्रेषित की जायेगी।

4. कानून व्यवस्था दलः

कानून व्यवस्था की बहाली एवं नियन्त्रण, महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा, लूटमार को रोकना, दंगे की स्थिति को नियन्त्रण में करना इत्यादि इस दल का प्रमुख कार्य है।

नोडल ऐजेन्सी : पुलिस विभाग

सहयोगी विभाग : होमगार्ड, नगर/ग्राम सुरक्षा समिति, राजस्व विभाग, एन.सी.सी.

- कलेक्टर द्वारा दल प्रमुख कानून व्यवस्था को घटना की जानकारी प्रदान कर आपात सेवा को गतिशील किया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा समस्त सहयोगी विभागो के नोडल अधिकारियों को घटना से अवगत कराया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा त्वरित कार्यदल को गतिशील किया जायेगा।
- त्वरित कार्य दल को प्रभावित क्षेत्रो में तैनात किया जायेगा।
- यदि आवश्यक हो तो समन्वय हेतु पूरे क्षेत्र में अथवा घटना स्थल पर दर्शकों, वाहनों तथा पैदल आने–जाने वाले लोगो पर रोक लगा दी जायेगी।

त्वरित कार्यवाही दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति का ऑकलन।
- स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय एवं सहयोग। कानून व्यवस्था की स्थिति के विषय में प्रत्येक 4 घण्टे मे उच्चाधिकारियों/जिला आपदा प्रबंधन कक्ष को अवगत कराना।
- दंगे तथा लूट की स्थिति पर नियन्त्रण तथा संवेदनशील स्थलो की घेराबन्दी करना।
- प्रभावित स्थलों के महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा।

- यातायात का नियन्त्रण एवं निगरानी।
- आवश्यकता होने पर यातायात की दिशा बदलना।
- विभिन्न मार्गो पर यातायात दबाव का ऑकलन विशेषकर संकरे स्थलों का।
- समस्त कार्यवाही की सूचना पुलिस नियन्त्रण कक्ष तथा जिला आपदा प्रबंधन कक्ष को उपलब्ध कराना।
- आवश्यक सामग्री के विषय में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अवगत कराना।

5. चिकित्सा एवं परामर्श दलः

इस दल द्वारा आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सकीय एवं आवश्यक परामर्श सेवायें प्रदान की जायेगी।

नोडल विभाग : जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

सहयोगी विभाग : रेडक्रास, प्राइवेट चिकित्सक, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग।

चिकित्सा एवं परामर्श दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- कलेक्टर द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुना को आपात सहयोग दल को गतिशील करने का निर्देश दिया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागो की बैठक बुलायी जायेगी।
- दल प्रमुख द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों का दल घटना स्थल पर पहुंचे, यदि आवश्यकता हो तो नजदीकी जिलो के विशेषज्ञ चिकित्साको को भी घटना स्थल पर भेजने हेतु आवश्यक प्रयास किया जायेगा, चिकित्सकीय दल को घटना स्थल पर भेजने हेतु वाहनों के लिए दल प्रमुख यातायात के साथ समन्वय किया जायेगा।

- यदि आपदा प्रभावित व्यक्तियों के रहने हेतु अस्थायी व्यवस्था किया गया है तो उस स्थिति में घटना के बाद महामारी फैलने से रोकने हेतु उच्च स्तरीय स्वच्छता व्यवस्था की जायेगी।

- आपदा प्रभावित क्षेत्रो में दवाई, डाक्टर तथा अन्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में निरंतर पहुंचे इसकी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा।

- भूकम्प आपदा के समय आर्थोपेडिक केसों के फालोआप हेतु आपदा प्रभावित लोगो/क्षेत्रों के पास ही अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

- पर्याप्त एवं उपयुक्त चिकित्सा सेवा, दवाईयाँ इत्यादि प्रदान करने के लिए दल प्रमुख चिकित्सा द्वारा राज्य शासन से सहायता प्राप्त करने हेतु आवश्यक समन्वय किया जायेगा।

- जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष के निर्देश पर दल प्रमुख चिकित्सा द्वारा निम्न सामग्री भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1 दवाईया, वैक्सीन, प्लास्टर, सिरिंज एवं अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सकीय सामग्री।

2 अतिरिक्त ब्लड, अतिरिक्त डाक्टर, अतिरिक्त सहायक कर्मचारी तथा चिकित्सकीय उपकरण।

3 सुगम यातायात हेतु साधन।

त्वरित कार्य दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- त्वरित कार्यदल द्वारा सम्बन्धित प्रगति विवरण तथा किये गये कार्यों के विषय में जिला आपदा प्रबंधन कक्ष को अवगत कराया जायेगा।

- त्वरित कार्यदल चिकित्सा द्वारा, चोटों के प्रकार, प्रभावित लोगों की संख्या तथा आवश्यक चिकित्सकीय सहायता का ऑकलन किया जायेगा।

- त्वरित कार्यदल चिकित्सा द्वारा आपदा प्रभावित लोगो की आवश्यकता अनुरूप चिकित्सा हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगी।

  1 आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उपचार केन्द्रो एवं स्वास्थ्य सुविधा की स्थापना।

  2 जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष, जिला चिकित्सालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराना।

  3 आपदा उपरान्त महामारी फैलने से रोकने हेतु आपदा प्रभावित क्षेत्रो के प्रवेश एवं निकास स्थलो पर निरीक्षण, निगरानी केन्द्रों की स्थापना।

6. भोजन एवं पेयजल व्यवस्था, राहत पुर्न स्थापना दल

इस दल द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीने तथा अन्य कार्यों हेतु समुचित एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना है। जिससे आपदा के उपरान्त प्रभावित क्षेत्रो में महामारी न फैल सके। इस दल द्वारा घटना से प्रभावित लोगो, राहत कार्य से जुडे प्रबंधको, कार्यकताओं हेतु अस्थायी आश्रय, भोजन, पानी इत्यादि का प्रबन्ध किया जायेगा।

नोडल विभागः राजस्व विभाग

सहयोगी विभागः परिवहन, जल संसाधन, पी.डब्ल्यू.डी., नगर निगम, नगरपालिका, ग्रामीण विकास, लोक स्वाथ्य यांत्रिकी विभाग, वन विभाग

भोजन एवं पेयजल व्यवस्था, पुर्न स्थापना दल के कार्य

- जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष से आपदा की सूचना प्राप्त होते ही दल को गतिशील किया जायेगा।
- इस दल द्वारा घटना से प्रभावित लोगो, राहत कार्य से जुडे प्रबन्धको, कार्यकताओं हेतु आवश्यक अस्थायी आश्रय, भोजन, पानी इत्यादि का प्रबंध किया जायेगा।

- दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागों को त्वरित सूचना प्रेषित कर गतिशील किया जायेगा।
- पानी, भोजन, राहत वितरण मे महिलाओं, बच्चो, बूढ़ो एवं बीमार व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

त्वरित कार्य दल भोजन एवं पेयजल व्यवस्था पुर्न स्थापना हेतु आवश्यक निर्देश

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों एवं राहत शिविरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- अस्थायी सीवर तथा नाली की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- प्रगति एवं कृत कार्यवाही के विषय में जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को सूचित करना।
- दल प्रमुख को आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों के विषय में अवगत कराना।
- पानी के समुचित वितरण हेतु आवश्यक आपात सुधार करना।
- पीने योग्य पानी के श्रोतों का चिन्हिकरण तथा इस विषय में स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- अनुपयोगी पानी के श्रोतों की पहचान करना तथा जन समुदाय को उन श्रोतों से पानी लेने से रोकने की उपयुक्त व्यवस्था करना।
- पानी के सामान्य वितरण प्रारम्भ होने तक ट्रांसिट शिविरों, राहत शिविरो, पशु शिविरों तथा प्रभावित क्षेत्रो में पानी वितरण एवं संग्रहण की वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों में स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- राहत सामग्री वितरण हेतु आवश्यक प्रबन्धन करना।

- घटना स्थल के समीप राहत शिविर स्थापना हेतु आवश्यक साफ–सफाई किया जायेगा।
- स्थानीय प्रशासन, दूरसंचार विभाग के सहयोग से राहत शिविरों में दूरभाष सेवाओं की स्थापना।
- खाद सामग्री की प्राप्ति तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों को खाद्य सामग्री का वितरण सुनिचित किया जायेगा।
- परिवारों को घर ले जाने हेतु भोजन पैकेटों का निर्माण एवं वितरण।
- समुदाय विशेषकर महिलाओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बूढ़ों एवं अपाहिजों को प्राथमिकता के आधार पर राहत सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना।

7. मलवा सफाई रास्ता निर्माण एवं मृत पशुओं कूडे कचरे का निपटारा दल

इस दल द्वारा मुख्य रूप से विभिन्न उपकरणों की सहायता से मलवा हटाने तथा मुख्य सड़को से मलवा हटाकर उसे साफ किया जायेगा, जिससे राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लायी जा सके। दल द्वारा प्रभावित व्यक्तियों, जानवरों के मृत शरीरों का समुचित निस्तारण किया जायेगा। जिससे आपदा उपरान्त महामारी फैलने से रोका जा सके।

नोडल एजेन्सीः पी0डब्ल्यू0डी0

सहयोगी विभागः नगर निगम, नगरपालिका/ नगर पंचायत/ग्राम पंचायत, पशु चिकित्सा विभाग।

मलवा सफाई रास्ता निर्माण एवं मृत पशुओ कूडे कचरे का निपटारा दल के कार्य

जिला आपदा प्रबंधन कक्ष से सूचना प्राप्त होते ही दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागों/दलों को गतिशील कर किया जायेगा।

- दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागों के प्रमुखों को त्वरित सूचना प्रेषित की जायेगी।
- दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागों से उपकरण प्राप्त करने हेतु आवश्यक समन्वय किया जायेगा।
- सहयोगी विभागों द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को केन्द्रीय माल गोदाम से उपकरण प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया जायेगा।
- उपकरण जे0सी0बी0, कांक्रीट कटर, डम्पर तथा अन्य आवश्यक उपकरणों को घटना स्थल पर भेजा जायेगा।
- नोडल अधिकारी द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों, भवनों इत्यादि का ऑकलन किया जायेगा।
- सभी सहयोगी विभागों द्वारा आपदा क्षेत्र के सड़कों, रेल नेटवर्क इत्यादि का निरीक्षण किया जायेगा।

त्वरित कार्यदल मलवा सफाई एवं रास्ता निर्माण, मृत पशुओं कूडे कचरे का निस्तारण के कार्य

- नुकसान ऑकलन, क्षतिग्रस्त भवनो की संख्या एवं क्षति ग्रस्तता के स्वरूप का ऑकलन किया जायेगा।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रो से मलवा हटाने एवं सड़क सफाई हेतु आवश्यक उपकरणो की सूची तैयार की जायेगी।
- त्वरित कार्यदल द्वारा प्रगति के विषय में जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
- आपदा प्रभावित लोगो को राहत शिवरो तक पहुंचाने, चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने के लिए अस्थायी सड़कों का निर्माण किया जायेगा।

- त्वरित कार्य दल द्वारा मृत व्यक्तियों, पशुओं के शवों का उचित निस्तारण किया जायेगा।

8. विद्युत व्यवस्था दलः

विद्युत दल द्वारा आपदा उपरान्त विद्युत वितरण की प्रभावी व्यवस्था की जायेगी।

नोडल ऐजेन्सी : म0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड

सहयोगी विभाग : विद्युत यांत्रिकी लोक निर्माण विभाग

विद्युत विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य

- घटना की सूचना प्राप्त होते ही दल प्रमुख विद्युत द्वारा सम्बन्धित दलों को गतिशील किया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा त्वरित कार्य दल को गतिशील किया जायेगा।
- त्वरित कार्यदल को घटना प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जायेगा, इनके साथ आकस्मिक मरम्मत की आवश्यक सामग्री, टेन्ट तथा भोजन भी होगा।

त्वरित कार्यदल विद्युत द्वारा किये जाने वाले कार्य

- दल प्रमुख विद्युत द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद दल के सदस्य यथाशीघ्र नोडल कार्यालय पहुंचेंगे।
- नोडल अधिकारी से आवश्यक सूचना प्राप्त कर घटना स्थल पर पहुंचेंगे।
- घटना स्थल पर स्थिति के विषय में स्थानीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करेंगे।
- मरम्मत एवं पुर्न निर्माण का कार्य प्रारम्भ करेंगे।
- अस्पतालों में त्वरित बिजली आपूर्ति जनरेटर के मद्द से चालू किया जायेगा।

- सरकारी/गैर–सरकारी पानी की व्यवस्था चालू करने हेतु बिजली के अस्थायी प्रबन्ध किया जायेगा।
- ट्रांजिट शिविरों, रिलीफ शिविरों, तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर बिजली का अस्थायी प्रबन्ध किया जायेगा।
- राहत सामग्री गोदाम में आवश्यक रूप से बिजली की व्यवस्था की जायेगी। विभिन्न उपकेन्द्रों तथा रिसिविंग केन्द्रो के उपकरणों की मदवार सूची तैयार कर जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. यातायात व्यवस्था दलः

इस दल का प्रमुख कार्य यातायात व्यवस्था करना है, जिससे राहत एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।

नोडल विभाग : परिवहन विभाग,

सहयोगी विभाग : पी.डब्ल्यू.डी. रेल्वे, नगर निगम, नगरपालिका

यातायात दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त दल प्रमुख द्वारा सहयोगी दलों को गतिशील किया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा सहयोगी विभागो के नोडल अधिकारियों को आपदा एवं आपात सहयोग क्रिया की गतिशीलता के विषय में अवगत कराया जायेगा।
- दल प्रमुख द्वारा वर्तमान स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष से सम्पर्क किया जायेगा।

त्वरित कार्य दल–यातायात दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- दल प्रमुख से सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्य दल के सभी सदस्य नोडल विभाग पहुंचेगे।
- नोडल अधिकारी से आवश्यक सूचना प्राप्त कर त्वरित कार्य दल घटना स्थल पर पहुंचेगे।
- त्वरित कार्य दल द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को विभिन्न प्रकार के वाहनो जैसे ट्रक, नाव, बस, जीप इत्यादि की आवश्यकता के विषय में जानकारी प्रेषित किया जायेगा।

10. आश्रय प्रबन्धन एवं नुकसान आकलन दल

इस दल द्वारा क्षति एवं क्षति के स्वरूप का ऑकलन किया जायेगा तथा आपदा प्रभावित जन समुदाय हेतु आश्रय प्रबंधन का कार्य किया जायेगा।

नोडल विभागः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

सहयोगी विभागः नगरपालिका, होटल एवं लॉज ऐसोसिएशन, शिक्षा विभाग, ऑगनवाड़ी, ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, आर.ई.एस., लोनिवि, कृषि विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग।

आश्रय प्रबन्धन एवं नुकसान आकलन दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष से आपदा की सूचना प्राप्त होते ही दल प्रमुख द्वारा सहयोगी दलो को सूचित एवं गतिशील किया जायेगा।
- घटना की सूचना नोडल विभागों को प्रदत्त की जायेगी।
- नोडल विभाग द्वारा त्वरित कार्य दल को आश्रय प्रबन्धन एवं नुकसान ऑकलन सम्बन्धी विभिन्न सामग्री के साथ रवाना किया जायेगा।

त्वरित कार्यदल– आश्रय प्रबंधन नुकसान आकलन द्वारा किये जाने वाले कार्य

- घटना की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्य दल को घटना स्थल पर रवाना किया जायेगा।
- त्वरित कार्य दल द्वारा घटना का ऑकलन कर यथाशीघ्र शिविर स्थापित किया जायेगा।
- आश्रय स्थल पर बिजली, पानी राहत इत्यादि हेतु सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को सूचित किया जायेगा।
- त्वरित कार्यदल द्वारा त्वरित ऑकलन कर रिपोर्ट जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष को प्रेषित की जायेगी।
- प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राहत सामग्री, उपकरणों इत्यादि को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रेषित किया जायेगा।

अध्याय 7

पूर्व स्थिति की प्राप्ति

या

सामान्य स्थिति की बहाली

सामान्य स्थिति की बहाली

सामान्य स्थिति की बहाली आपदा प्रबंधन का अंतिम पड़ाव होता है। पूर्व स्थिति की प्राप्ति/सामान्य स्थिति की बहाली तब तक चलती है, जब तक कि सारा वातावरण प्रक्रियाएं सामान्य स्थिति में न आ जाएं। यह अत्यन्त दीर्घ कालिक गतिविधि होती है तथा कुछ स्थितियों में सामान्य स्थिति की बहाली 5 से 10 वर्षों अथवा इससे भी अधिक समय तक चलती है। पूर्व स्थिति की प्राप्ति/सामान्य स्थिति की बहाली में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इस कार्य में स्वयं सेवी संगठनों से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जायेगा। सामान्य स्थिति की बहाली के अंतर्गत निम्न की बहाली प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

1. भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं की बहालीः

भौतिक आधारभूत ढांचा अर्थात सड़क, बिजली पानी संचार आदि साधनों की प्राथमिकता के आधार पर बहाली की जायेगी। इस हेतु संदर्भित विभागो द्वारा त्वरित रूप से नुकसान का ऑकलन किया जायेगा। आवश्यक निर्माण हेतु कार्य योजना विकसित एवं लागू की जायेगी। योजना क्रियान्वयन हेतु संदर्भित विभाग में उपलब्ध कोष का उपयोग किया जायेगा, और आवश्यकता पड़ने पर राज्य शासन से अतिरिक्त कोष की मांग भी की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों हेतु ग्रामीण विकास विभाग से भी कोष प्राप्त किया जा सकता है। आधारभूत ढांचे की पुनः स्थापना हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 और एम0पी0एस0ई0बी0, संचार विभाग, जल संसाधन विभाग आदि की प्रमुख भूमिका होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायते और नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायते सक्रिय भागीदारी निभायेगी।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की पुनः स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार एवं लागू की जायेगी तथा स्थानीय निकायो (पंचायते, नगर निगम आदि) द्वारा इसमें सक्रिय भागीदारी की जायेगी।

2. स्थायी आवास हेतु संरचनाओं की बहालीः

हाउससिंग बोर्ड एवं पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा आवास मरम्मत और पुर्न र्निमाण में मुख्य भूमिका निभाई जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं गैर सरकारी आवसीय इमारतों की मरम्मत हेतु हुडको एवं वाणिज्यिक बैंको की सहायता प्राप्त की जायेगी।

3. जीवनयापन एवं रोजगार की बहालीः

आपदा के पश्चात जीवन यापन एवं रोजगार के साधनों की समस्या आती है। इसके लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासशील एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान किया जायेगा। इसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का सहयोग लिया जायेगा। ग्रामस्तर पर लघु उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

4. व्यवसाय, व्यापार, कृषि की बहालीः

पूर्व स्थिति की प्राप्ति एवं सामान्य स्थिति की बहाली में व्यवसाय, व्यापार, कृषि भी एक महत्वपूर्ण भाग हैं। आपदाओं का प्रभाव कृषि एवं अन्य व्यवसायों पर भी असर पड़ता है। खेतों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। व्यवसाय एवं व्यापार के साधन अस्त–व्यस्त हो जाते हैं। आपदा उपरान्त व्यवसाय, व्यापार एवं कृषि के बहाली हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जायेगा इस कार्य में कृषि विभाग, जिला पंचायत, जिला उद्योग एवं व्यापार विभाग से आवश्यक सहायता प्राप्त की जायेगी। इन क्षेत्रों में कृषि, व्यवसाय एवं बहाली हेतु राष्ट्रीयकृत एवं गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण का कार्य किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में ऋण वसूली का कार्य कुछ समयावधि के लिए रोका जायेगा तथा उपरोक्त के बहाली हेतु आवश्यक अनुदान भी प्रदत्त किया जायेगा।

5. चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक पुर्नस्थापनाः

चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक पुर्नस्थापना सामान्य स्थिति की बहाली का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। आपदा के उपरान्त ऐसे लोगों की संख्या में भारी वृद्धि होती है जो

चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं, शरीरिक मानसिक रूप से टूट जाते है, तथा आसपास के वातावरण से सामंजस्य बैठाने में असहज महसूस करते हैं, ऐसे में उन्हें शरीरिक, मानसिक सम्बल तथा मनोविशेषज्ञों के परामर्श एवं उपचार की आवश्यकता होती है। हालांकि सदमें से बाहर निकलना और सामान्य जीवन जीने की प्रक्रिया लंबी होती है, और इसमें धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को आगे आकर लोगों हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता एवं परामर्श नियमित रूप से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक पहल किया जायेगा। इस कार्य हेतु जिले में कार्यरत प्रमुख स्वयं सेवी संगठन की भी सहायता प्राप्त की जायेगी। आपदा प्रभावित लोगों के शरीरिक एवं मनोवैज्ञानिक पुर्नलाभ एवं बहाली हेतु विशेषज्ञों की मद्द से परामर्श केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

आपदा राहत निधिः

भारत सरकार द्वारा विभिन्न आपदाओं के दौरान होने वाली मृत्यु/क्षति के लिए आपदा राहत निधि (सी0आर0एफ0) तथा राष्ट्रीय आकस्मिकता निधि (एन0सी0सी0एफ0) की स्थापना की गयी है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षति के लिए निर्धारित क्षति पूर्ति का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार एवं जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा आपदा राहत निधि से प्राप्त राशि का उपयोग सामान्य स्थिति की बहाली में किया जा सकता है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा जिला स्तर पर आपदा राहत निधि स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक प्रयास एवं पहल की जायेगी।

अध्याय 8

आपदा के दौरान मीडिया प्रबन्धन

जिला– गुना

मीडिया प्रबंधन

समय पर एवं सही सूचना द्वारा जान एवं माल, की क्षति को रोका/न्यूनतम किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर गलत या असमय सूचना द्वारा समुदाय में अफवाह एवं भ्रम की स्थिति सृजित हो सकती है। *समाज के विकास के लिए आवश्यक सकारात्मक पहलुओं के बेहतर प्रस्तुतिकरण हेतु मीडिया का अनुकूलतम उपयोग ही ''मीडिया प्रबंधन'' है।*

- यदि किसी आपदा की केवल संभावना हो तथा सूचना देने से लोगों में घबराहट फैलने का भय हो इस स्थिति में सूचना केवल मुख्य शासकीय विभागों, अधिकारियो एवं प्रमुख संस्थाओं को दी जायेगी।
- जन समुदाय को सुनियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से ही सूचना प्रदान की जायेगी।
- यदि सूचना तुरंत समुदाय तक पहुंचानी हो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियों, टेलीविजन, केबल टीबी, टेलीफोन एवं इंटरनेट का उपयोग किया जायेगा।
- रेडियो से आपदा पूर्व तैयारी एवं शमन के संबंध में आवश्यकतानुसार प्रतिदिन अथवा एक दिन के अन्तराल से अथवा सप्ताह में एक बार कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा जायेंगे।
- आपातकाल एवं आपदा के समय प्रति घण्टा रेडियो पर जनहित में सूचनाएं एवं विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे।
- टेलीविजन पर चल रहे कार्यक्रम के नीचे एक पट्टी में सूचना प्रसारित की जायेगी।
- स्थानीय केवल/टेलीविजन पर ग्राफिक्स, रडार एवं सेटेलाइट चित्र, नक्शे, जी0आई0एस0 आदि के माध्यम से आपदा के विषय मे जानकारी चित्रित एवं प्रदर्शित की जायेगी।

- आधुनिक टेलीकम्युनिकेशन पद्धति इंटरनेट, मोबाईल फोन, एस0एम0एस0 संदेश के माध्यम से भी सूचना प्रदान की जायेगी।
- समाचार पत्रों के माध्यम से जिला स्तर पर आपदा रोकथाम, पूर्व तैयारी, शमन एवं अनुक्रिया संबंधी शासकीय एवं गैर शासकीय विभागों द्वारा तैयार योजनाओं का प्रकाशन।
- समाचार पत्रों के माध्यम से जिले में चिन्हित आपदाओ के दौरान क्या करे क्या न करे के माध्यम से लोगो को जागरूक किया जायेगा।
- समाचार पत्रों के माध्यम से जन समुदाय को आपदा विषयक घटनाओं, सूचनाओं, चेतावनी इत्यादि की सूचना प्रदत्त की जायेगी।

जिला प्रशासन एवं मीडिया प्रबंधन

- सामान्यकाल में जिले में मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला सूचना अधिकारी की होगी। जिला सूचना अधिकारी द्वारा आपदा रोकथाम, पूर्व तैयारी, शमन तथा अनुक्रिया के विषय में समाचार पत्रों के माध्यम से जन समुदाय को जानकारी प्रदत्त की जायेगी।
- आपदा या आपदा संभावित काल मीडिया प्रबंधन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकृत सक्षम प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- अफवाहों एवं अनावश्यक परेशानियों सें बचने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा आपात स्थिति में किये गये कार्यो तथा अन्य संभावित कार्यों के विषय में आवश्यकतानुसार एवं समय–समय पर प्रेस नोट/बुलेटिन/संक्षेपिका (जिला आपदा प्रबंधन कक्ष द्वारा) मीडिया प्रतिनिधियों को जारी किया जायेगा।
- अव्यवस्था से बचने के लिए घटना स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्तियों/मीडिया प्रतिनिधियों को (अध्यक्ष, आपदा प्रबंध प्राधिकरण की सहमति से) जाने की छूट होगी।

आपदा के पहले मीडिया की भूमिका

- जिले में विद्यमान जोखिमों, संवदेनशील क्षेत्रों के विषय में जन समुदाय को अवगत कराना।
- आपदा संवेदनशीलता बढ़ाने वाले कारको के विषय में जन समुदाय को अगवत कराना।
- ''पूर्व सूचना तंत्र'' के विषय में जन समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
- जिले के विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों, उद्यौगिक इकाईयो द्वारा तैयार आपदा प्रबंध योजना के विषय में जन समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
- संभावित जोखिमों को कम करने हेतु नीति निर्माणकर्ता, अधिकारियों द्वारा प्रदत्त जनकारी को स्थानीय जनसमुदाय को प्रदत्त कर जागरूक एवं गतिशील करना।
- आपदा प्रबंधन में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा इस संबंध में किये जा रहे प्रयासों, गतिविधियों का प्रकाशन।

आपदा के दौरान मीडिया की भूमिका

- जन समुदाय को समय पर एवं तथ्यसंगत सूचना प्रदान करना।
- आपदा अनुक्रिया, विभिन्न ''क्रियाकलापों'' के संबंध में लोगों को समय पर, सही सूचना प्रदान करना।
- सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहायता के विषय में जन समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
- सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले राहत कार्यों की जानकारी देना।

- सर्वाधिक प्रभावित अथवा आपदा में फंसे लोगों के विषय में प्रशासन तक संदेश पहुंचाना।
- प्रभावित लोगों, उनके रिश्तेदारों दोस्तों व परिवारों के बीच संपर्क हेतु सूचनाओं का समय–समय पर प्रकाशन।
- आपदा से प्रभावित जनसमुदाय की आवश्यकताओं को राहत कार्य में लगे सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को अवगत कराना।
- संभावित द्वितीयक जोखिमों (उदाहरणार्थ बाढ़ के पश्चात् महामारी का डर) के विषय में जन समुदाय को समय–समय पर अवगत कराना।
- जिला प्रशासन द्वारा किए गए व्यवस्थाओं, शिविरों, राहत कार्यों आदि की सूचना प्रभावित जन समुदाय को उपलब्ध कराना।
- जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत कार्यों पर नजर रखना एवं जन समुदाय को को उसके बारे में समय–समय पर सूचना प्रेषित करना।

आपदा के पश्चात् मीडिया की भूमिका

- समुदाय को पुर्नवास संबंधी, शासन एवं अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों संबंधी सूचनाएं प्रदान करना।
- जन माल की क्षति, धन–हानि, पशुधन–हानि आदि के विश्लेषण में समुदाय को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- स्वास्थ्य केन्द्रों, उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, फोन नंबर के विषय में समुदाय को जानकारी देना।
- आपदा के कारण सदमें से ग्रसित जन समुदाय हेतु संचालित को पूर्व स्थिति में लाने हेतु शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रदत्त मनोचिकित्सा, परामर्श केन्द्रो के विषय में समय–समय पर जानकारी एवं सूचना प्रदान करना।

- आपदा प्रभावित एवं विशेष समूहो (विशेषकर बच्चे वृद्धजन, विकलांग, महिलाएं बीमार एवं इत्यादि) की ओर प्रशासन एवं अन्य संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करवाना एवं उनके लिए उचित पुर्नलाभ व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक पेरोकारी करना।
- पुर्नवास एवं पुर्नव्यवसाय संबंधी शासकीय एवं गैर शासकीय प्रक्रियाओं एवं कार्यों के सबंध में सूचना उपलब्ध करवाना।
- स्थानीय मीडिया का उपयोग जिले में चिन्हित खतरों की रोकथाम, पूर्व तैयारी, शमन एवं अनुक्रिया हेतु किये गये कार्यो/गतिविधियों को जन समुदाय तक पहुंचाने में किया जायेगा।
- मीडिया के सहयोग से विभिन्न आपदाओं के समय क्या करें क्या न करे के विषय में जन समुदाय को जानकारी प्रदान की जायेगी।
- मीडिया के सहयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं, कानूनों, नियमों इत्यादि के विषय में लोगों को जागरूक एवं गतिशील किया जायेगा।

अनुलग्नक

(अनुलग्नक–1)

जिला गुना में डी0डी0एम0ए0 के प्रमुख अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं दूरभाष

नाम एवं पदनाम	ऑफिस	निवास	मोबाईल नं.
श्री संदीप यादव कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी **अध्यक्ष**	07542–255626 फेक्स: 07542–255408	07542–255727	9406900101
अध्यक्ष जिला पंचायत, **सहअध्यक्ष** **श्री सुमेर सिंह गड़ा**	07542– 255231		9425310033
पुलिस अधीक्षक, सदस्य	07542– 256300	07542– 256301	9425059554
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, **सदस्य**	07542– 252746	07542– 256223	9425937877
कार्यपालन यंत्री, लोनिवि, **सदस्य**	07542– 252608	07542–255360	9425135984
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, **सदस्य**	07542– 254309, 252228 फेक्स: 07542–255462	07542– 256396	9926581755
श्री अपर कलेक्टर, अपर कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी, **सदस्य**	07542– 251636	07542– 256849	9977742118
अध्यक्ष नगर पालिका, गुना	07542–254554		9425708624

(अनुलग्नक–2)

जिला एवं विकासखण्डों का सड़क एवं रेल मानचित्र

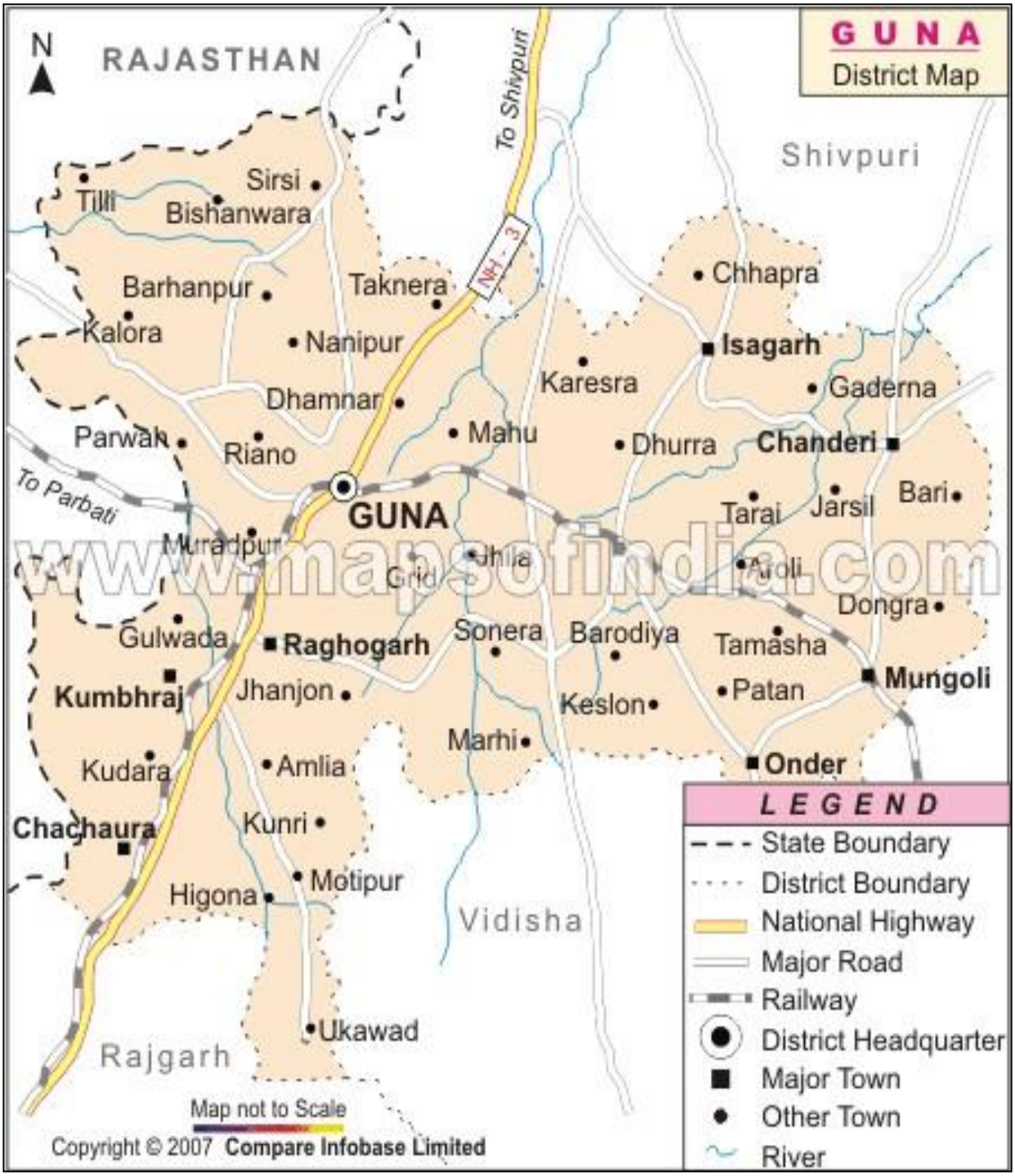

www.mapsofindia.com

(अनुलग्नक–3अ)

जिले में चिन्हित प्रमुख खतरों से संवेदनशील क्षेत्रों का तहसीलवार विवरण

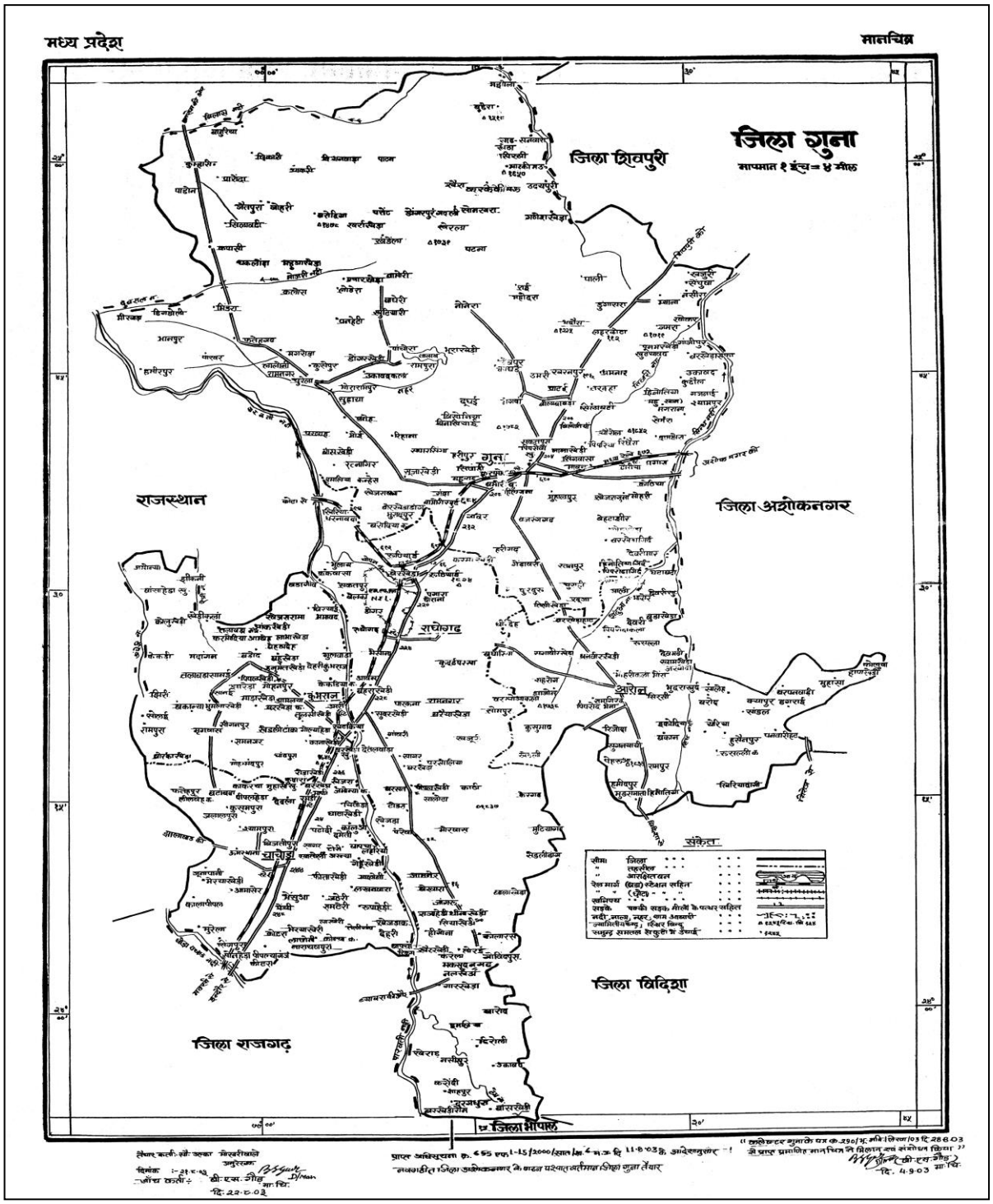

(अनुलग्नक–3ब)

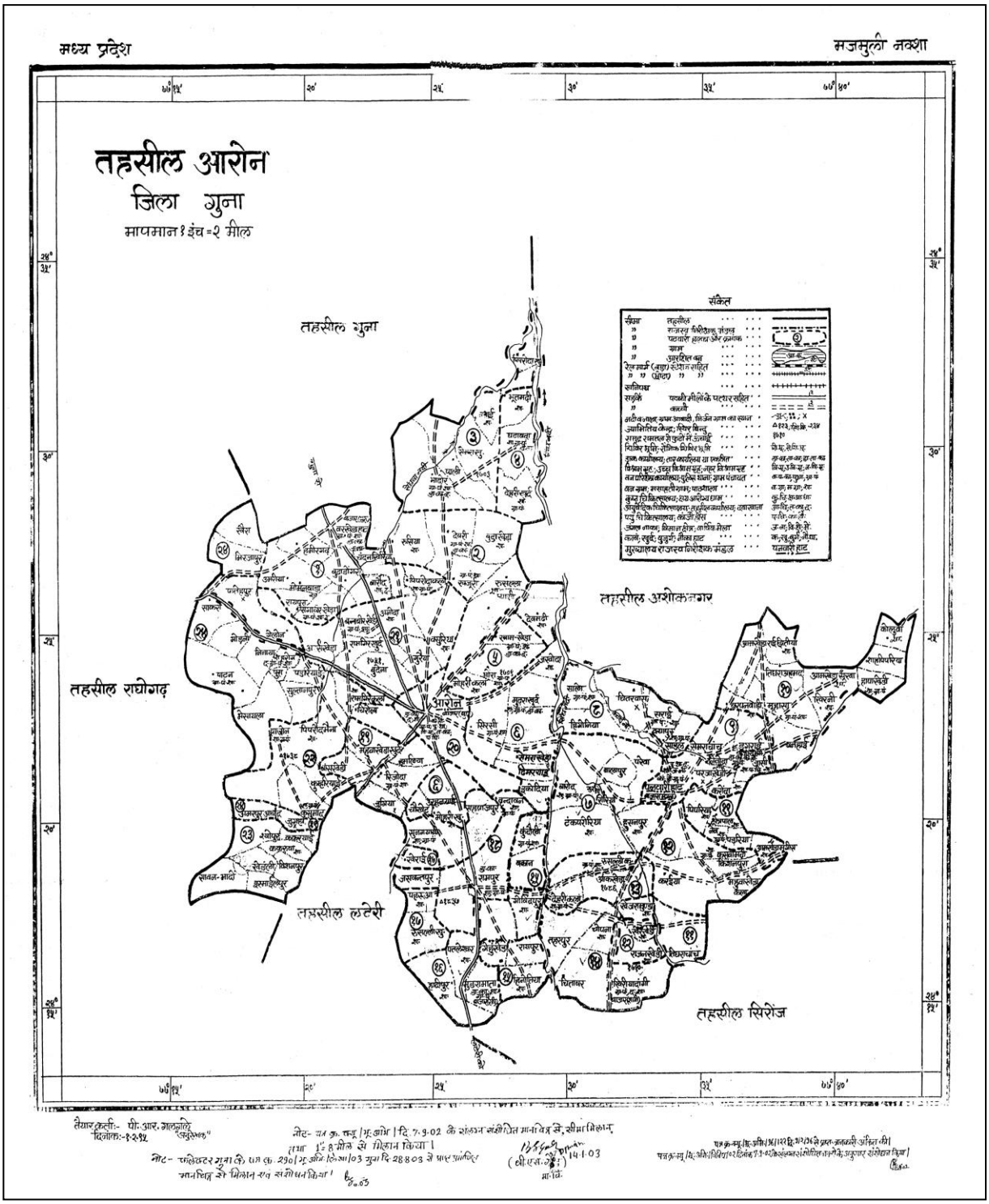
मध्य प्रदेश
मजमूली नक्शा
तहसील आरोन
जिला गुना
मापमान 1 इंच = 2 मील
संकेत
तहसील गुना
तहसील अशोकनगर
तहसील राघोगढ़
तहसील लटेरी
तहसील सिरोंज
आरोन

(अनुलग्नक–3स)

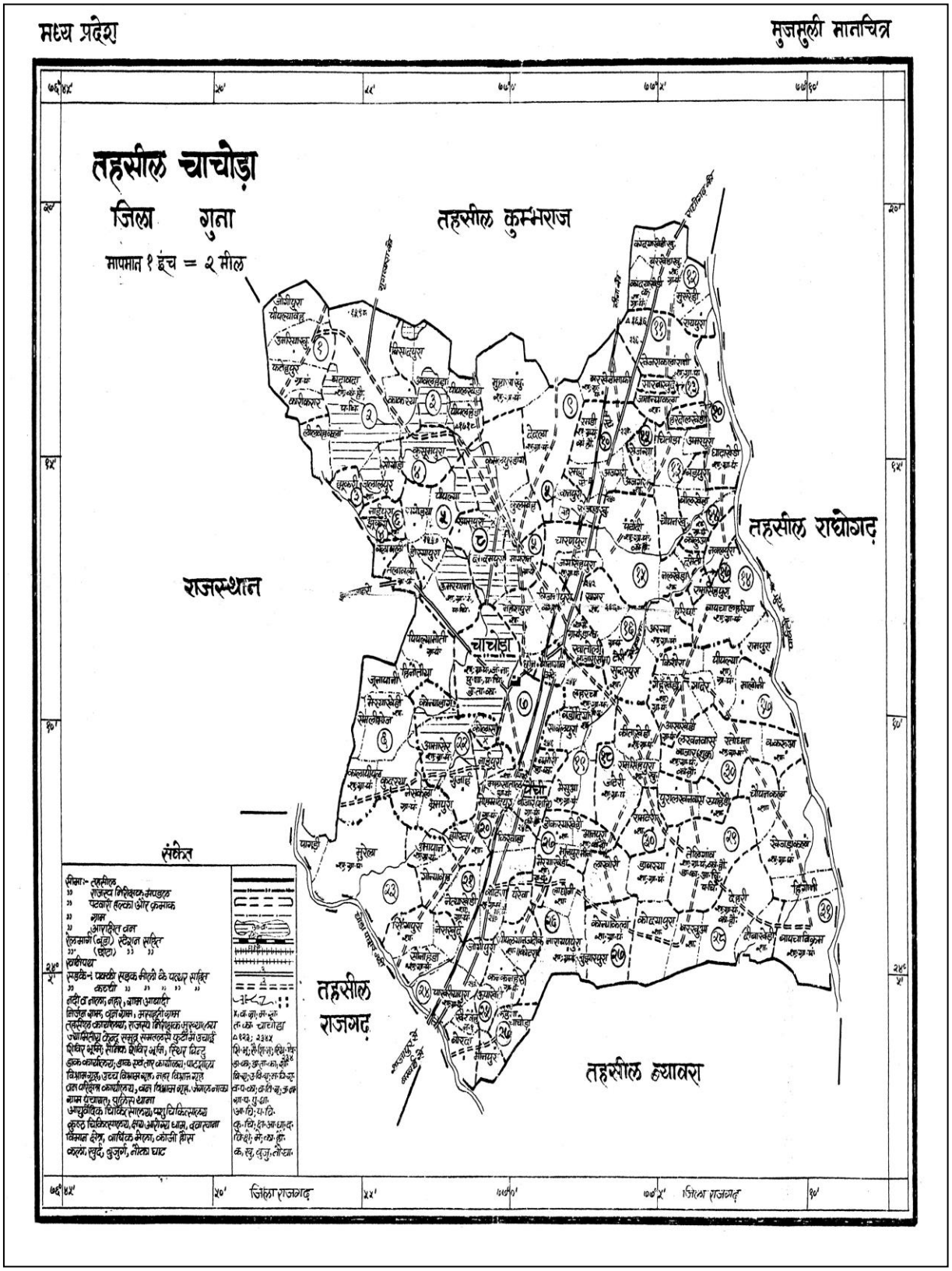
मध्य प्रदेश
मुजमुली मानचित्र
तहसील चाचोड़ा
जिला गुना
मापमान १ इंच = २ मील
तहसील कुम्भराज
तहसील राघोगढ़
राजस्थान
चाचोड़ा
तहसील राजगढ़
तहसील ब्यावरा
संकेत
जिला राजगढ़
जिला राजगढ़

(अनुलग्नक–3द)

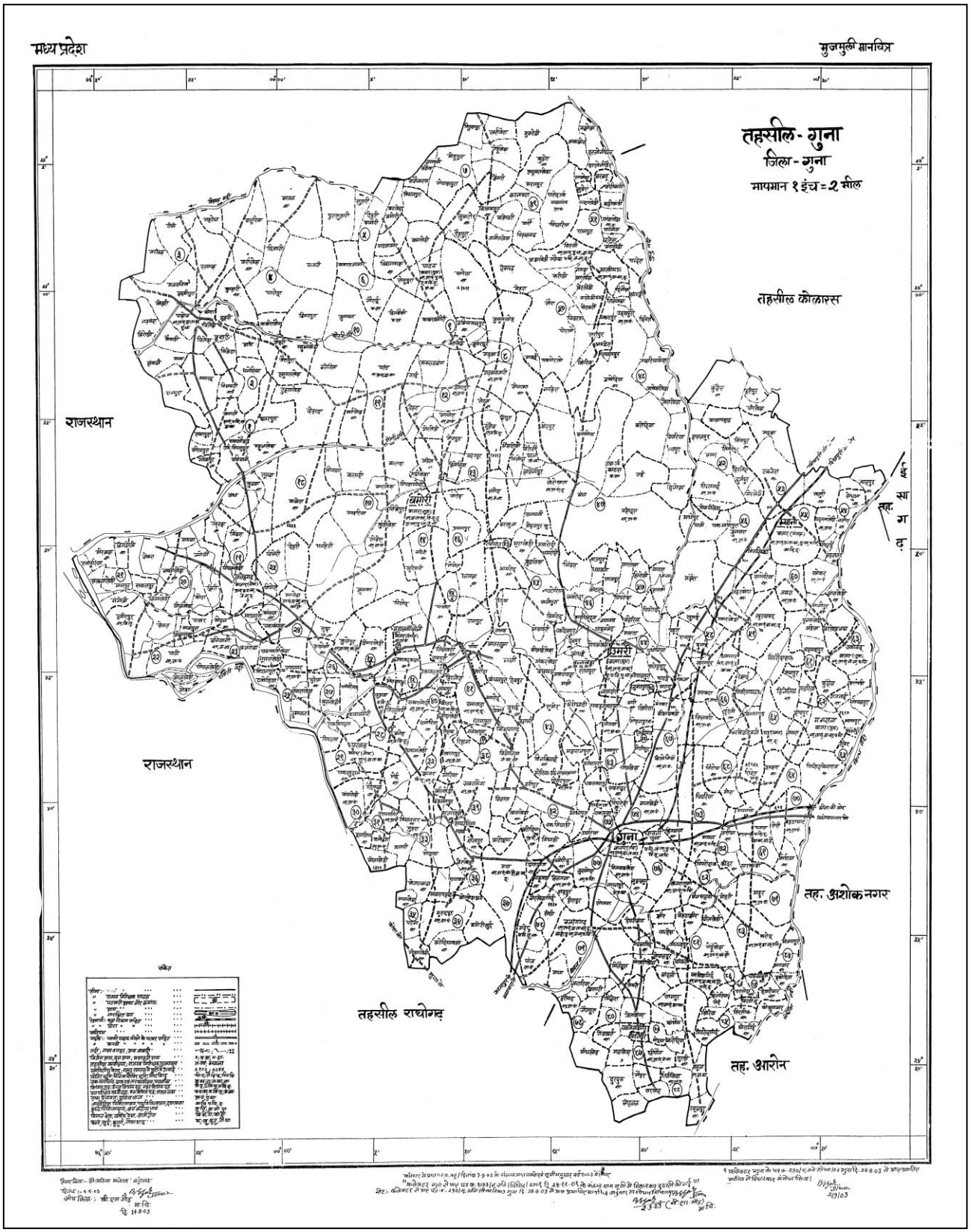

मध्य प्रदेश
मुजमुली मानचित्र
तहसील - गुना
जिला - गुना
मापमान १ इंच = २ मील
तहसील कोलारस
राजस्थान
राजस्थान
तहसील राघोगढ़
तह. अशोकनगर
तह. आरोन
गुना
बमोरी
उमरी

(अनुलग्नक–3इ)

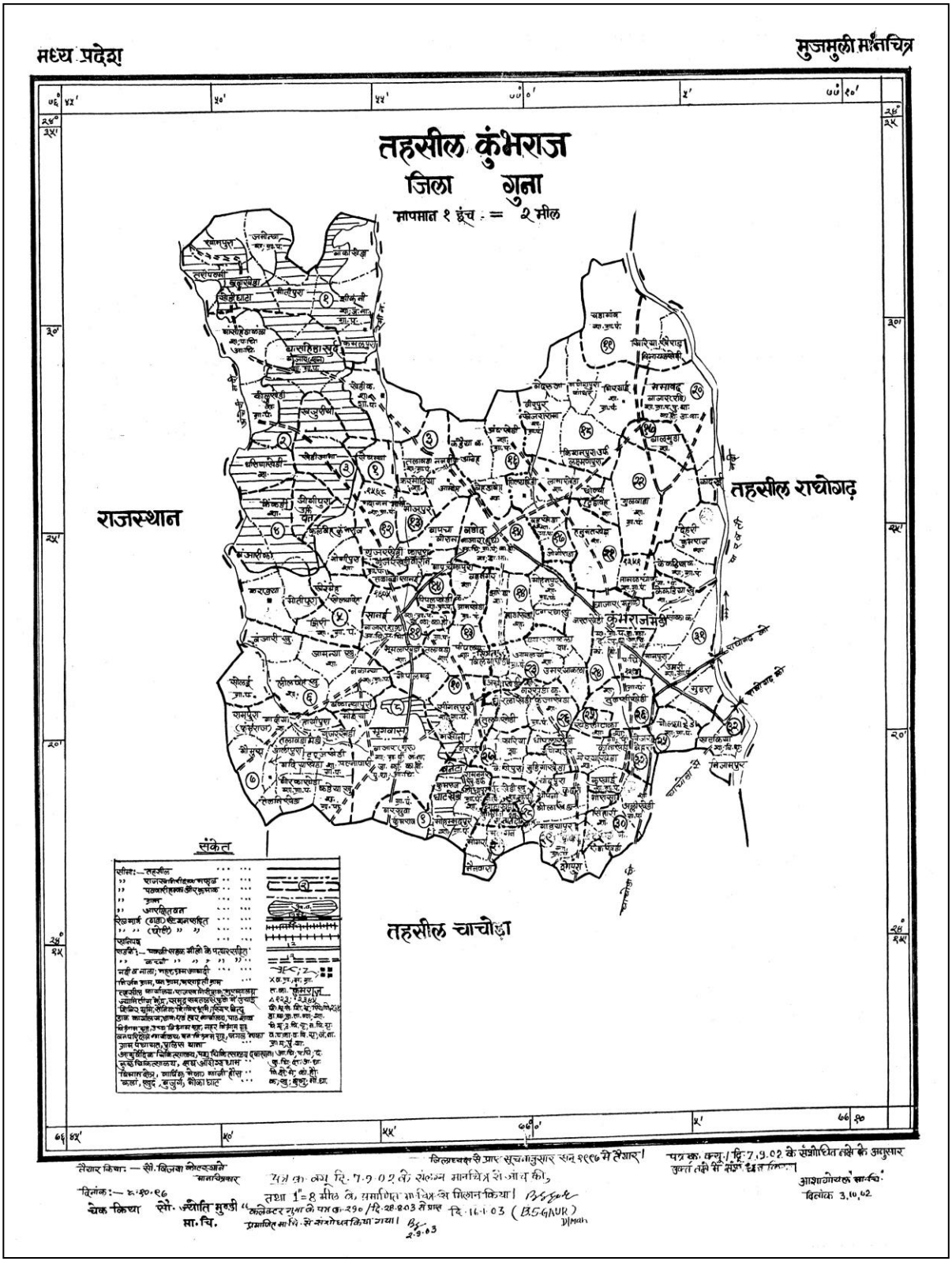
मध्य प्रदेश
मुजमुली मानचित्र
तहसील कुंभराज
जिला गुना
मापमान १ इंच = २ मील
राजस्थान
तहसील राघोगढ़
तहसील चाचोड़ा
संकेत

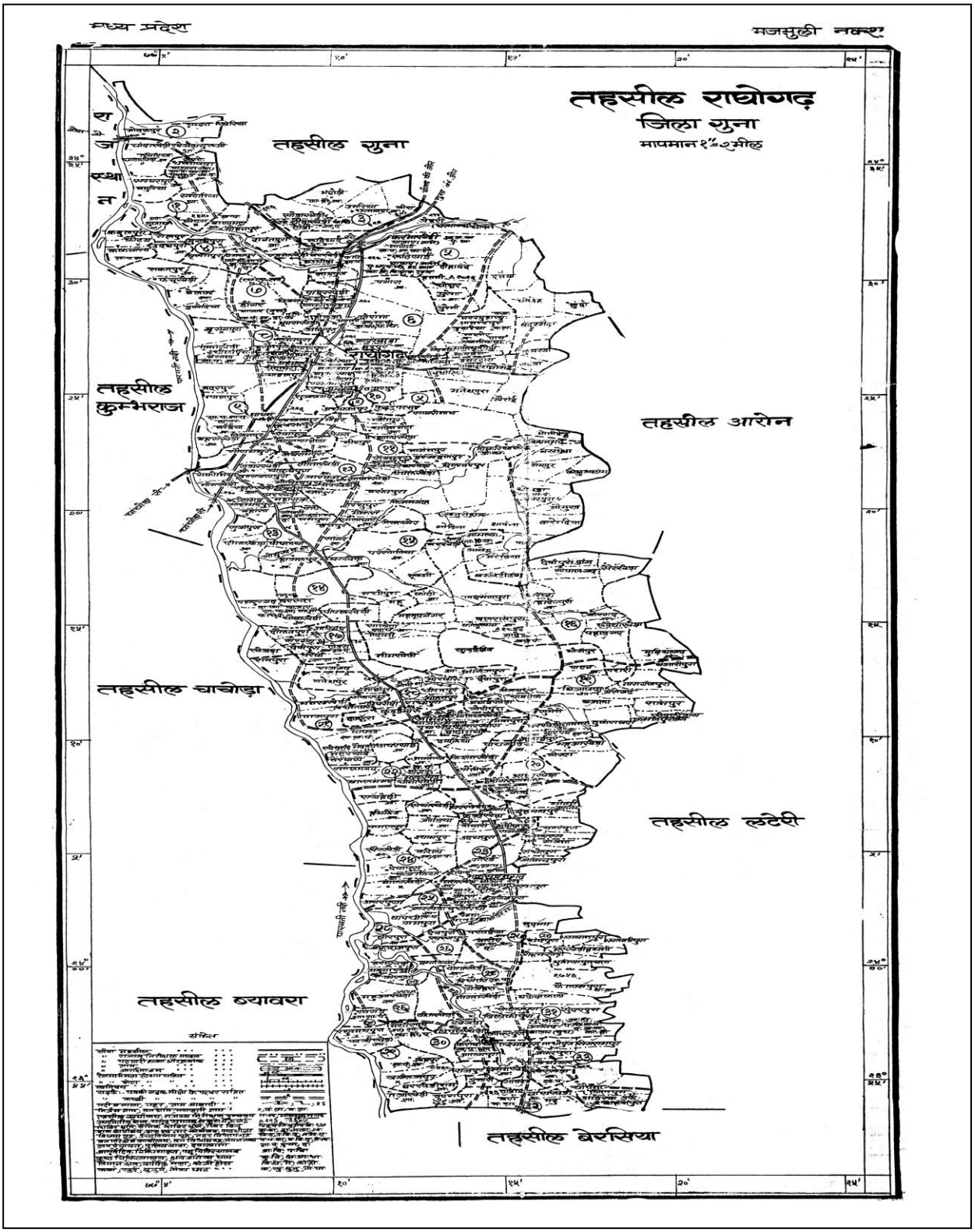

मध्य प्रदेश
मजमुली नक्शा
तहसील राघोगढ़
जिला गुना
मापमान १"=२ मील
तहसील गुना
राजस्थान
तहसील कुम्भराज
तहसील आरोन
तहसील चाचोड़ा
तहसील लटेरी
तहसील ब्यावरा
तहसील बेरसिया

(अनुलग्नक–4)

जिला गुना के प्रमुख अधिकारियों के नाम,पता,एवं दूरभाष नम्बर

क्र.	पद	स्थान	टेलीफोन ऑफिस	टेलीफोन निवास	मोबाईल
1	पुलिस अधीक्षक गुना	गुना	07542–256300	07542–256301	9425059554
2	अति.पुलिस अधीक्षक	गुना	07542–255745	07542–252545	8989117755
3	कमाण्डेण्ट 26 वाहिनी एस.ए.एफ	गुना	07542–251038		9425380185
4	सी0एस0पी0	गुना	07542–250704	07542–256345	9630139505
4	एस0डी0ओ0पुलिस	गुना	07542–250338		9926670086
5	एस0डी0ओ0पुलिस	राघौगढ	07544–262228	07544–262226	9425145559
6	थाना प्रभारी	राघौगढ	07544–262226	–	9425106749
7	थाना प्रभारी	विजयपुर	07544–262144	–	9826869569
8	थाना प्रभारी	चाँचौडा	07546–240228	–	9425127390
9	थाना प्रभारी	जामनेर	07544–261052		9425097487
10	थाना प्रभारी	कुंभराज	07546–243242		9425094938
11	थाना प्रभारी	धरनावदा	07544–264116	07544–264310	9893847204
12	थाना प्रभारी	आरोन	07545–258227		9981295081
13	थाना प्रभारी	थाना कोतवाली गुना	07542–254882		9425337542
14	थाना प्रभारी	थाना केन्ट	07542–252225	07542–250099	9425133551
15	थाना प्रभारी	थाना बजरंगगढ़	07542–257623		9826359236
16	थाना प्रभारी	थाना फतेहगढ़	07540–247622		9425339840

(अनुलग्नक–5)

जिला,ब्लॉक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

क्र	चिकित्सक का नाम	पद	अस्पताल का नाम	अस्पताल का पता	टेलीफोन ऑफिस	मोबाईल नं.
1	डॉ. वाय.एस.रघुवंशी	सिविल सर्जन	जिला चिकि. गुना	जिला चिकि. गुना	07542–251560	9425131419
2	डा. साधना वर्मा	चिकित्सा अधि.	सामु.स्वा.केन्द्र राधोगढ़	राधोगढ़	07544–262249	9425631970
3	डॉ. के.के. श्रीवास्तव	शिशुरोग विशेषज्ञ	सामु.स्वा.केन्द्र आरोन	आरोन	07545–258078	9893917838
4	डा. शेख जलालउद्दीन	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र बीनागंज	बीनागंज	07546–240034	9893170876
5	डा. ए.डी. विंचुरकर	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र कुंभराज	कुंभराज	–	9425778481
6	डा. एन.के.टेंटवाल	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द बमोरी	बमौरी	07540–270446	9685481943
7	डॉ. अनुराधा नैयर	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र बजरंगगढ	बजरंगढ़	–	8871222787
8	डॉ. ताहिर फिरोज	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र मारकीमऊ	मारकीमहू	–	9425799367
9	डॉ. सुनील कुमार दांगी	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र फतेहगढ़	फतेहगढ़	–	9479341937
10	डॉ. मुकेश शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र मक्सूदनगढ़	मक्सूदनगढ़	–	9827520788
11	डॉ. हेमंत कुमार आर्य	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र रुठियाई	रुठियाई	07544–264604	9907025464
12	डॉ. सरोजिनी बैक	सी.बी.एम.ओ	प्राथ. स्वा. केन्द्र भदौरा	भदौरा	–	9893572346
13	डा. सुशील शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र तेलीगॉव	तेलीगॉव	–	9977733171
14	डा. शरतचंद्र टांटिया	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र विजयपुर	विजयपुर	–	9425631991
15	डॉ. प्रदीप गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र म्याना	म्याना	–	9479303353
16	डॉ. पीयूष दत्त स्वामी	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र चाचौड़ा	चाचौड़ा	–	7879702959

(अनुलग्नक–6)

जिले में उपलब्ध रक्त बैंकों का विवरण

क्रं.	तहसील का नाम	रक्त बैंक का नाम	संपर्क व्यक्ति का नाम	फोन/मो.नं.
1.	जिला गुना	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय, गुना	डॉ. प्रकाश नारायण धाकड़, पैथोलॉजिस्ट	9630195174
2			श्री आर.पी. शर्मा, लॅब टेक्नीशियन	9826206710

(अनुलग्नक–7)

जिलें के स्वैच्छिक रक्त दाताओं की सूची

क्र.	नाम	उम्र / लिंग	पता	फोन न.	रक्त समूह
1	अजय गर्ग	23 / पु	एन.बी.एच.	9179002830	B-VE
2	रीसू चिकारा	35 / म	बी–129,गैल कम्पलेक्स	9425135795	AB+VE
3	शसांग मिश्रा		एन.वी.एच.	9425310142	O+VE
4	विभा जैन	20 / म	सी–22,गैल कम्पलेक्स	9752537976	A+VE
5	अमित रंजन	31 / पु	बी–99,गैल कम्पलेक्स	9755020665	B+VE
6	श्रीमति नीरजा पाल	42 / म	डी–13,गैल कम्पलेक्स	9425354101	B+VE
7	अनिंदया पांण्डे	23 / पु	एन.वी.एच.	7869819667	O+VE
8	पीयुष जैन	30 / पु	सी–22,गैल कम्पलेक्स	9752537976	AB+VE
9	जी.नरेन्द्रनाथ रैड्डी	29 / पु	सी–40,गैल कम्पलेक्स	9993269064	O+VE
10	संदीप करकैटा	29 / पु	एन.वी.एच.	9755559128	O+VE
11	विषम्बट खट्री	41 / पु	डी–62,गैल कम्पलेक्स	8989781855	O+VE
12	सुभाषिस मित्र	49 / पु	डी–42,गैल कम्पलेक्स	9452131510	B+VE
13	ऊषा गौतम	45 / म	बी–20,गैल कम्पलेक्स	9179027100	B+VE
14	अनूप मिश्रा	42 / पु	सी–28,गैल कम्पलेक्स	9993264254	B+VE
15	पी.के.माती	51 / पु	डी–8,गैल कम्पलेक्स	9981165344	O+VE
16	अरविन्द वियावार	48 / पु	डी–15,गैल कम्पलेक्स	9425307961	
17	राहुल पटेरिया	28 / पु	एन.वी.एच.	9425309938	AB+VE
18	एच.एस.रूनिवाल	42 / पु	बी–164,गैल कम्पलेक्स	9425381454	B+VE
19	वी.के.पाल	45 / पु	डी–13,गैल कम्पलेक्स	9425354101	B+VE
20	एन.बालासुब्रान्हयम	40 / पु	सी–43,गैल कम्पलेक्स		A+VE
21	योगेश राव	28 / पु	एन.वी.एच.	9179007597	B+VE
22	अमरीश	24 / पु	बी–141,गैल कम्पलेक्स	9425136539	O+VE
23	जी.एम.कुलश्रेष्ठ	48 / पु	सी–48,गैल कम्पलेक्स	7544274017	AB+VE
24	श्रीमति ममरा पतरो	36 / म	बी–85,गैल कम्पलेक्स	9425761237	O+VE
25	श्रीमति ललिता पाण्डे	40 / म	बी–86,गैल कम्पलेक्स	9425408555	B+VE
26	अंकुर	30 / पु	सी–70,गैल कम्पलेक्स		AB+VE
27	प्राची माथुर	18 / म	डी–29,गैल कम्पलेक्स	9425131264	O+VE
28	जगदीश राजपूत	28 / पु	बी–10,गैल कम्पलेक्स	9755417654	A+VE
29	आशीष दास	31 / पु	सी–68,गैल कम्पलेक्स	9229110112	B+VE
30	श्रीमति कमला मिंज	34 / म	बी–75,गैल कम्पलेक्स		A+VE
31	अंजू थोमस	40 / म	बी–71,गैल कम्पलेक्स	9425354599	AB+VE
32	इमरत लाल कोरी	43 / पु	बी–59,गैल कम्पलेक्स	9425761312	A+VE
33	राजेश अग्रवाल	43 / पु	डी–18,गैल कम्पलेक्स	942531713	O+VE
34	वेद प्रकाश यादव	24 / पु	एन.वी.एच.	9425133008	A+VE
35	मेजर राजीव सिंह पावइया	32 / पु	बी–38,गैल कम्पलेक्स	9406989978	A+VE
36	योगेश सक्सेना	48 / पु	बी–148,गैल कम्पलेक्स	9630058500	O+VE
37	अमित शर्मा	29 / पु	एन.वी.एच.	9300012482	A+VE

38	सत्वीर सिंह	46 / पु	बी–119,गैल कम्पलेक्स	9425767578	B+VE
39	मनोज कुमार मिश्रा	42 / पु	बी–82,गैल कम्पलेक्स	9425309922	O+VE
40	दिलीप गुप्ता	42 / पु	बी–36,गैल कम्पलेक्स		B+VE
41	रामसिंह भील	44 / पु	बी–135,गैल कम्पलेक्स	9993264357	AB+VE
42	रूपवती सिंह	42 / म	बी–125,गैल कम्पलेक्स	9981122319	B+VE
43	बसंत कुमार मोहन्ती	43 / पु	जूट राघौगढ़	9425135311	O+VE
44	सुचिसमता मोहन्ती	39 / म	जूट राघौगढ़	9425135311	O+VE
45	अमन कोनरक मोदी	24 / पु	एन.बी.एच.	9424368190	B+VE
46	श्रीमति बालविन्दर कोर वाधवा	40 / म	बी–143,गैल कम्पलेक्स	9425354556	B+VE
47	प्रवीन कुमार सिंह	29 / पु	बी–30,गैल कम्पलेक्स	9179010800	B+VE
48	सुमेर सिंह राजपूत	37 / पु	किला राघौगढ	9407210385	AB+VE
49	विजय लम्क्षी	35 / म	गेल कम्पलेक्स	9425133107	O+VE
50	श्रीमति आरती प्रसाद	38 / म	गेल कम्पलेक्स	9425761292	
51	एल.के.प्रसाद	42 / पु	गेल कम्पलेक्स	9425761292	O+VE
52	पंकज प्रजापति	27 / पु	एन.बी.एच.	9425131178	B+VE
53	वनकत रमन	28 / पु	ओ.बी.एच.	89852586079	A+VE
54	बी.केश्वन	24 / पु	ओ.बी.एच.	8878156960	A+VE
55	श्रिया कुमार	19 / म	जी.एम.बग्लों	9425310022	
56	श्रधा कुमार	22 / म	जी.एम.बग्लों	9425310022	
57	भास्कर	24 / पु	ओ.बी.एच.	7869911361	AB+VE
58	देंवेश सरस्वत	41 / पु	बी.–58,गैल कम्पलेक्स	9425003806	O+VE
59	श्रीमति अनुपमा झा	44 / म	बी.–9,गैल कम्पलेक्स	9425408041	O+VE
60	श्रीमति कल्पना मिश्रा	42 / म	सी–28,गैल कम्पलेक्स	9981379700	
61	अनिल कुमार दोहरे	41 / पु	बी–14 गैल कम्पलेक्स	9425761320	A+VE
62	श्रीमति माया माधवी	38 / म	बी–73 गैल कम्पलेक्स	9425761318	AB+VE
63	रोहित वंसल	25 / पु	एन.बी.एच.		A+VE
64	रवि निकम	24 / पु	एन.बी.एच.	9425309944	
65	जे.एस.रथवा	40 / पु	बी.–154,गैल कम्पलेक्स	9425617609	AB+VE
66	श्रीमति साक्षी श्रीवास्तव	36 / म	बी.–58,गैल कम्पलेक्स	9406975952	AB+VE
67	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	32 / पु	ए–3गैल कॉम्प्लेक्स	9755495578	AB+VE
68	श्री नंदकिशोर लववंशी	–	सिसौदिया कॉलोनी गुना	9754314213	B+POS
69	शोभा धाकड़	–	विकास कॉलोनी गुना	9425131623	B+POS
70	कु0 सपना चौहान	–	ब्यास कॉलोनी केन्ट गुना	9425131623	A+POS
71	श्री खगेश अहिरवार	–	गोपालपुरा केन्ट गुना	9977209618	A+POS
72	श्री गेंदालाल ग्वाल	–	शिवाजीनगर गुना	9893221667	A+POS
73	श्री दिनेश धाकड़	–	छाबडा कॉलोनी गुना	9425786199	B+POS
74	श्रीहरीशंकर धाकड़	–	भार्गव कॉलोनी गुना	9826211892	B+POS
75	श्री योगेश शर्मा	–	पुरानी नगरपालिका क्वा0नं.12 गुना	9039434399	A+POS

76	श्री राकेश कुशवाह	–	बॉसखेडी गुना	9617126997	A+POS
77	श्री दिलीप सिंह सिकरवार	–	गुलाबगंज रेल्वे फाटक के पास गुना	8959725975	B+POS
78	श्री मनोज प्रजापति	–	गोपालपुरा केन्ट गुना	98936644848	A+POS
79	श्री मुकेश प्रजापति	–	गोपालपुराकेन्ट गुना	7898228798	B+NEG
80	श्री गजानंद कश्यप	–	सैयदपुरा गुना	9755514336	B+POS
81	श्री विवके दोहरे	–	घोषीपुरा गुना	7898636164	B+POS
82	श्री कृष्णगोपाल यादव	–	विजयपुर राघौगढ गुना	9639507030	AB+POS
83	श्री राकेश धाकड	–	ग्राम सूजाखेडी	9009936963	O+POS
84	श्री किशोर कुमार	–	रूठियाई	9993269181	AB+POS
85	श्री हरीप्रसाद लोधा	–	कुसमौदा	9926250658	O+POS
86	श्री जगदीश कुशवाह	–	अवंतिका कॉलोनी सकतपुर रोड गुना	9685331022	B+POS
87	श्री चन्दन सिंह राजपूत	–	अन्नपूर्णा कॉलोनी गुना	9425759514	O+POS
88	श्री अजय परीक	–	मधुसूदनगढ	9981206177	O+POS
89	श्रीभागीरथ लोधी		मधुसूदनगढ	7697216109	B+POS
90	श्री दिगपाल सिंह गुर्जर		मधुसूदनगढ	9893362416	A+POS
91	श्री सी0एम0पारीक		मधुसूदनगढ	07544–260655	B+POS
92	श्री सत्यपाल सिंह		मधुसूदनगढ	8103148586	B+POS
93	श्री गोपाल शर्मा		मधुसूदनगढ	9893471801	B+POS
94	पुरूषोत्तम		मधुसूदनगढ	9098825888	B+POS
95	श्रीमति विमला खन्ना		मधुसूदनगढ	9826517446	O+POS
96	श्री देवेन्द्र		मधुसूदनगढ	9827073548	O+POS
97	कु0पूनम चौहान		मधुसूदनगढ	7566699957	A+POS
98	श्रीमति प्रेमलता चौहान		मधुसूदनगढ	9630700697	B+POS
99	मधुसिंह		मधुसूदनगढ	7566699957	A+POS
100	श्री अनिल शर्मा		मधुसूदनगढ	9630333819	A+POS

(अनुलग्नक–8)

जिले में पदस्थ पशु चिकित्सकों का विवरण

क्र.	तहसील	पशु चिकित्सक का नाम	पदस्थापना स्थान	दूरभाष कार्यालय	मोबाईल नं.
1	2	3	4	5	6
1	गुना	डॉ0 बी0के0पटेल उपसंचालक	कार्यालय गुना	252422	9691964748
2	गुना	डॉ0 एम0एस0हुसैन पशु चिकि0 कार्यक्रम अधि0	कृ0ग0 केन्द्र गुना	–	9827315553
3	गुना	डॉ0 एम0के0गुप्ता पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	कार्यालय गुना	–	9425479123
4	गुना	डॉ0 आर0एस0सिकरवार पशु चिकित्सा विस्तार अधि0	विकासखण्ड गुना	–	9425361038
5	गुना	डॉ0 सुरेशसिंह पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प0चि0 गुना	–	9425761042
6	गुना	डॉ0 एल0आर0शर्मा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प0चि0 गुना	–	9800941972
7	गुना	डॉ0 के0डी0शर्मा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प0चि0 म्याना	–	9826085198
8	गुना	डॉ0 अपर्ण उपाध्याय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प0चि0 उमरी	–	9416851389
9	राघौगढ	डॉ0 के0के0पाण्डेय पशु चिकित्सा विस्तार अधि0	प0चि0 राघौगढ	–	9926485432
10	राघौगढ	डॉ0 उदय कुमार नदिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प0चि0 रूठियाई	–	9406974789
11	राघौगढ	डॉ0 एम0एस0धार्वे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	कृ0ग0 केन्द्र राघौगढ	–	9926916100
12	राघौगढ	डॉ0 जगवीर सिंह नरवरिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प0चि0 मक्सूदनगढ	–	8817925548
13	चॉचौडा	डॉ0 पी0एन0मीना पशु चिकित्सा विस्तार अधि0	प0चि0 चॉचौडा	–	9993843742
14	कुंभराज	डॉ0 जी0एन0शर्मा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प0चि0 कुंभराज	–	9977819667
15	आरोन	डॉ0 व्ही0आर0रावत पशु चिकित्सा विस्तार अधि0	प0चि0 आरोन	–	9425940298
16	बमोरी	डॉ0 एल0के0एस0 लोधा पशु चिकित्सा विस्तार अधि0	प0चि0 बमोरी	–	9425361006

(अनुलग्नक – 9)

जिले के पेट्रॉल पम्पों का विवरण

क्र	फर्म का नाम	स्थान	लायसेंस क्रमांक	कंपनी का नाम	दूरभाष सम्पर्क
1	मे. प्रताप चन्द्र,प्रकाशचन्द्र जैन गुना	ए.बी.रोड,गुना	07 / 1980	बी.पी.सी.	07542 / 268131
2	मे.सदानंद अरोरा एडं संस गुना	ए.बी.रोड,गुना	8 / 80	आई.ओ.सी	225758
3	मे.सत्यसांई फ्यूल्स केन्ट गुना	केन्ट गुना	20 / 2006	आई.ओ.सी	250585
4	मे.कमला फिल एण्ड फिलाई ए बी रोड गुना	ए.बी.रोड,गुना	18 / 2006	आई.ओ.सी.	268113
5	मे. रिलायंस पेट्रोल पम्प एबीरोड नानाखेड़ी गुना	नाना खेड़ीगुना	15 / 2005	रिलायंस	9955678097
6	मे. रिलायबल सेल्स एवं सर्विस गुना	ए.बी.रोड,गुना	9 / 80	एच.पी.सी.	222580
7	मे.लकी नं 2 नानाखेड़ी गुना	नाना खेड़ीगुना	10 / 81	बी.पी.सी.	265771
8	मे. भूरेलाल एण्ड संस गुना	गौशाला गुना	11 / 80	बी.पी.सी.	222526
9	मे.प्रतापचन्द्र, प्रकाशचन्द्र,जैन गुना	चिन्ताहरण गुना	1 / 93	बी.पी.सी.	9425131631
10	मे.सेट भूरेलाल एण्ड संस गुना	चिन्ताहरण गुना	2 / 93	बी.पी.सी.	268120
11	मे.कार्तिकेय सेल्स एण्ड सर्विस भदौरा	ए.बी.रोड भदौरा	9 / 2006	बी.पी.सी.	282771
12	मे एम बी सेल्स एण्ड सर्विससेनबोर्ड तिराहा कुशपुर	सेनबोर्ड तिराहा कुशुपुर गुना	6 / 2004	आई.ओ.सी.	9425133470
13	मे देव फ्यूल्स एण्ड संस गुना	ग्राम सुहाया तह. गुना	10 / 2005	बी.पी.सी.	9411486810
14	मे.श्याम पुलिस कल्याण पेट्रोल पम्प गुना	ए.बी.रोड,गुना	5 / 2004	बी.पी.सी.	254600
15	मे.आनंद हाइवे फ्यूल सेंन्टर म्यादाना	ए.बी.रोड,गुना	11 / 2005	एच.पी.सी.	247644
16	मे.बी पी पेट्रोल पम्प पीलावाबडी गुना	बीला बावडी गुना	36 / 2011	बी.पी.सी.	225631
17	मे.सांई फ्यूल्स पेट्रोल / डीजल पम्प संजिना बजरंगढ़	ग्राम सोजना बजरंगढ़	13 / 2005	बी.पी.सी.	
18	मे. अरिहंत सेल्स एण्ड सर्विस 146, बजरंगगढ़ गुना	बजरंगढ़ गुना	17 / 2006	एच.पी.सी.	320731
19	मे.कोको वॉटलिंग प्लांट ग्राम–डोंगर तह. राद्योगढ़	ग्राम डोंगर तह. राघौगढ़	19 / 2006	आई ओ सी	273039
20	मे. अंजनी लाल किसान सेवा केन्द्र, उकावद तह.राद्योगढ़	नसीरपुर रोड उकावद तह. राद्योगढ़	22 / 2005	बी.पी.सी.	

क्र	फर्म का नाम	स्थान	लायसेंस क्रमांक	कंपनी का नाम	दूरभाष सम्पर्क
21	मे. सचिव राघोगढ़ विजयपुर सह स्वायत्त संस्था मर्या. दौराना।	दौराना तह. राघोगढ़	1 / 95	आई.ओ.सी.	262150
22	मे. पीलाघाटा फिलिंग स्टेशन मकसूदनगढ़	ग्राम मकसूदनगढ़तह. राघौगढ़	2 / 2001	बी.पी.सी.	260840
23	मे.मुण्डी इंटरप्राइजेस विजयपुर	खिरिया ए.बी. रोड़ गैल विजयपुर तह. राघौगढ़	8 / 2004	आई.ओ.सी.	274044
24	मे.चौधरी फांइट मकसूदनगढ़ भोपाल रोड	भोपाल रोड मकसूदनगढ़ राघोगढ़	14 / 2005	बी.पी.सी.	260489
25	मे. नाथूलाल सोढ़ानी बीनागंज	ए.बी.रोड़ बीना गंज	6 / 80	बी.पी.सी.	240252
26	मे. श्रीराम मीना आटोमोबाइल्स कुंभराज	कुंभराज	7 / 2004	आई.ओ.सी.	999374672
27	मे.श्रीरामधन कृषि सेवा केन्द्र पेट्रोल पम्प सानई तह. कुंभराज	ग्राम सानईरोड तह. कुंभराज	12 / 2005	बी.पी.सी.	243893
28	मे.श्रीनाथ किसान सेवा केन्द्र कुंभराज खटकिया रोड़	खटकिया रोड कुंभराज	16 / 2005	आई.ओ.सी.	999383281
29	मे. सुनील ऑटोमोबाइल्स आरोन	आरोन	4 / 80	बी.पी.सी.	258265
30	मे. राघवेन्द्र पेट्रोल पम्प सिरोज रोड आरोन।	नई कृषि उपज मंडी के सामने सिरोज रोड आरोन	21 / 2007	बी.पी.सी.	7489071933
31	मे. प्रीति किसान सेवा केन्द्र पवाडी हाट तह.आरोन	पनवाडी हाट तह. आरोन	23 / 2008	आई.ओ.सी.	9926858961
32	मे.सोलंकी नेकसियाराम फिलिंग सेन्टर एबीरोड खटकिया कुंभराज	खटकिया।	25 / 09	बी.पी.सी.	283358
33	मे. रिलायंस मार्के. प्राय. लि. नारोनी	नारोनी	4 / 04	रिलायस	284542
34	में श्री प्रभुकृपा पेट्रोल पंप,आरोन		27 / 2010	बी.पी.सी.	258371
35	में.मॉ भगवती किसान सेवा केन्द्र,मुडरामाता	टारोन	28 / 2011	आई.ओ.सी.	9955678097
36	में.गेल इंडिया लिमिटेड पैट्रोल पंप गैल विजयपुर	राघौगढ़	29 / 2011	आई.ओ.सी.	

क्र	फर्म का नाम	स्थान	लायसेंस क्रमांक	कंपनी का नाम	दूरभाष सम्पर्क
37	में.एस.एस.सेल्स एण्ड सर्विस कोलुआ राघौगढ़	राघौगढ़	30 / 2011	बी.पी.सी.	274743
38	में.नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमि. विजयपुर राघौगढ़	राघौगढ़	31 / 2011	आई.ओ.सी.	
39	में.रामेश्वरदयाल के.एस.के.ग्राम पिपरोदा,गुना		32 / 2011	आई.ओ.सी.	226698
40	में. धूलजी जयनारायण फ्यूल सेन्टर बीजनीपुरा चॉचौड़ा	चॉचौड़ा	33 / 2011	आई.ओ.सी.	9893931380
41	में.श्री श्याम मीना फिलिंग स्टेशन जामनेर मधुसूदनगढ़		34 / 2011	एच.पी.सी.	9893182690
42	में.बी.एस.एण्ड संस इमझरा गुना		35 / 2011	बी.पी.सी.	9425791569
43	में.केशर सेल्स छबड़ा रोड धरनावदा		37 / 2011	बी.पी.सी.	99933458017

(अनुलग्नक–10)

जिले के कुशल तैराक उपलब्ध कराने वाले अधिकारी का नाम एवं टेलीफोन न.

क्र	अधिकारी का नाम	पद	टेलीफोन नं.	मोबाईल
1	श्री एम.के.हिनोतिया	डिस्ट्रक्ट कमाण्डेन्ट होमगार्ड,गुना	07542–252266	9926735265
2	श्री एम.एस.पवार	ए.एस.आई. होमगार्ड,गुना	07542–252266	9826926478

कितने सैनिक तैराक हेतु प्रशिक्षित है		कितने सैनिक मोटर वोट चलाना जानते है		कितने सैनिक फर्स्टएड (प्रथमोपचार) की जानकारी रखते है		रिर्माक
क्र.	नाम	क्र.	नाम	क्र.	नम	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	45 हरवीर सिह 29 शेर सिहं 262 जमना प्रसाद 86 भेरों सिहं 102 रुमाल सिहं 203 नवतेज सिहं 276 रंजीत समर 43 नीलम सिहं 139 उस्मान खॉ 281 मनिराम 260 बावूलाल 239 विमल कुमार 77 गुलाव सिहं 180 रोडूलाल 215 विजय सिहं 314 रामनारायण 216 भगवान सिहं 274 बंकट लाल 298 महीपाल सिहं 231 अजुर्न कुमार 101 वीरेन्द्रसिहं 219 मिश्री लाल 253 ओमप्रकाश 170 विजय सिहं	1	43 नीलम सिह	1 2 3 4 5	262 जमना प्रसाद 274 बंकट लाल 101 वीरेन्द्र सिहं 86 भैरो सिहं 203 नवतेज सिहं	मोटर वोट चलाने के लिए नगर पालिका राघोगढ के एक मोटर वोट चालक एवं दो अन्य सहयोगियो का उपयोग किया जाता है ।

(अनुलग्नक –11)

गुना जिलें में कार्यरत स्वंय सेवी संगठनों का विवरण

क्र	संस्था का नाम	पता	दूरभाष /मो.
1	शिवांगी एज्युकेशन सोसायटी	श्रीमती ममता सिंह नाना खेड़ी	268639, 9425131834
2	प्रशांत शिक्षा समाज कल्याण समिति	श्री सूर्यकुमार कोकाटे,दूरसंचार के पास गुना	251854
3	बाल विकास समिति	श्रीमती इंदिरा जैन, दुर्गा कलोनी गुना	9893170334
4	स्व गजानंद शिक्षा समिति	श्री मनोज चतुर्वेदी, भार्गव कॉलोनी,गुना	9425135150
5	युगबोध शिक्षा समिति,	श्री अखिलेश विजयवर्गीय,पंजाबी मोहल्ला गुना	9425131090
6	जागरूक महिला मण्डल	श्रीमती अर्चना सक्सेना, शुभंम कलैक्शन, बीनागंज	957546 9425310340
7	सोनाली शिक्षा समिति	श्रीमती बीना लॉबा, दुबे कॉलोनी बीना	401178, 400803
8	श्रीमती सुशील ज्ञान विज्ञान समिति	श्री ओम गोस्वामी, रघुवंशी कॉलोनी, एक्सचेंज के सामने ,गुना	251383, 9425135591
9	कल्पतरू विकास समिति	श्री पवन कुशवाह, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गुना	9993572401
10	मिलेनियम शिक्षा समिति	भूदेव भार्गव गुना	9329420254
11	स्व. कैलाश चन्द्र शिक्षा समिति	श्री संजीव विजयवर्गीय गुना	9425735343
12	सांझी संस्कार सेवा समिति	श्री चन्द्रेश जैन गुना	9300609020
13	प्रगति मानव सेवा संस्थान	श्री एस के श्रीवास्तव, राद्योगढ़	07544262742, 9425467120
14	माधव सोशल वेलफेयर सोसायटी	श्री नीरज निगम, गुना	9300912121

क्र	संस्था का नाम	पता	दूरभाष /मो.
15	राधे जनकल्याण समिति	श्री दिलीप जैन, कुम्हार मोहल्ला, गुना	9826130351
16	स्व. रूद्रसिंह शिक्षा समिति	श्री इन्द्रजीत सिंह गुना	9425134453
17	खेलकूद शिक्षा समिति	श्री चन्द्रेश सोनी, गुना	9826228755
18	नव आदर्श शिक्षा समिति	श्री पकंज शर्मा, अशोक नगर	9993484071
19	श्रीमती सीमासिंह जनकल्याण समिति	श्री एम एस परिहार, सीताराम कॉलोनी गुना	9329684258
20	एफ्को	श्री संजय शर्मा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गुना	408058, 9893886933
21	दुर्गे वेष्णवी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति	श्रीमती करूणा शर्मा राधा कॉलोनी गुना	9993006101
22	युग शक्ति महिला मण्डल	श्रीमती कौशल्या सोनी सिसोदिया कॉलोनी गुना	251871
23	विराट विकास शिक्षा एवं समाज सेवा समिति	श्रीमती आशा बाधवानी बीनागंज	9893972426
24	गीता शिक्षा समिति	शिवेन्द्र यादव, गुना	9753202145

(अनुलग्नक–12)

जिले के महत्वपूर्ण दूरभाष केन्द्रों का विवरण

क्र.	तहसील	दूरभाष केन्द्र	संपर्क व्यक्ति	मो. नं.
1	बमोरी	बमोरी	श्री के.एन.वर्मा. जे.टी.ओ.	9425132576
2	आरोन	आरोन	श्री आर.सी.शर्मा एस.डी.ओ.टी.	94251325587
3	चॉचौड़ा	कुंभराज	श्री दीपेश गुप्ता जे.टी.ओ.	9425133344
3	चॉचौड़ा	चॉचोड़ा		
3	चाचौड़ा	चाचौड़ा		
4	कुम्भराज	कुम्भराज		
5	गुना	गुना	श्री भागीरथ सोनी जे.टी.ओ.	9425611775
	गुना	गुना मेन	श्री व्ही.के.जैन एस.डी.ओ. टी.	9425132568
6	राघौगढ़	मकसूदनगढ़	श्री प्रहलाद शर्मा एस.डी.ओ.टी.	9425132575
7	राघौगढ	राघौगढ		
8	राघौगढ	विजयपुर गैल		
9	राघौगढ	विजयपुर एन.एफ.एल.		

जिले के प्रमुख विद्युत उपकेन्द्रों का विवरण

गुना संभागीय कार्यालय अन्तर्गत आने वाले निम्न उपकेन्द्र है। जो कि क्षेत्र को विद्युत प्रदाय करते हैं, जिनकी सुरक्षा नितांत आवश्यक है।

क्र0	तहसील का नाम	उपकेन्द्र का नाम	स्थान	संबंधित अधिकारी	पदनाम	मोबाईल नं.
1	गुना	33/11के0व्ही0	पावर हाऊस	ए.के.हाडे	सहा.यंत्री	9406902352
2	गुना	33/11के0व्ही0	नानाखेड़ी	ए.के.हाडे	सहा.यंत्री	9406902352
3	गुना	33/11के0 व्ही0	ए.आई.आर.	ए.के.हाडे	सहा.यंत्री	9406902352
4	गुना	33/11के0 व्ही0	केन्ट गुना	ए.के.हाडे	सहा.यंत्री	9406902352
5	गुना	33/11के0व्ही0	बूड़े बालाजी	ए. के. जैन	कनि.यंत्री	9425785814
6	गुना	33/11के0 व्ही0	भैारा	ए. के. जैन	कनि.यंत्री	9425785814
7	गुना	33/11के0 व्ही0	झागर	ए. के. जैन	कनि.यंत्री	9425785814
8	गुना	33/11के0 व्ही0	गढा	ए. के. जैन	कनि.यंत्री	9425785814
9	गुना	33/11के0 व्ही0	रतनागिर	ए. के. जैन	कनि.यंत्री	9425785814
10	गुना	33/11के0 व्ही0	हरिपुर	ए. के. जैन	कनि.यंत्री	9425785814
11	गुना	33/11के0 व्ही0	म्याना	मनोज कुशवाह	कनि.यंत्री	9713407814
12	गुना	33/11के0 व्ही0	भदौरा	सौरभ साहू	कनि.यंत्री	9691288146
13	गुना	33/11के0 व्ही0	ऊमरी	सौरभ साहू	कनि.यंत्री	9691288146
14	बमोरी	33/11के0 व्ही0	सिरसी	सौरभ साहू	कनि.यंत्री	9691288146
15	बमोरी	33/11के0 व्ही0	अमरोद	सौरभ साहू	कनि.यंत्री	9691288146
16	बमोरी	33/11के0 व्ही0	पाटई	सौरभ साहू	कनि.यंत्री	9691288146
17	बमोरी	33/11के0 व्ही0	बमोरी	रविकांत चौहान	कनि.यंत्री	9425132748
18	बमोरी	33/11 के0व्ही0	गडला	रविकांत चौहान	कनि.यंत्री	9425132748
19	बमोरी	33/11 के0व्ही0	कालोनी	रविकांत चौहान	कनि.यंत्री	9425132748
20	बमोरी	33/11 के0व्ही0	पराठ	रविकांत चौहान	कनि.यंत्री	9425132748
21	बमोरी	33/11 के0व्ही0	कर्राखेड़ा	रविकांत चौहान	कनि.यंत्री	9425132748
22	बमोरी	33/11 के0व्ही0	रहपुरा	रविकांत चौहान	कनि.यंत्री	9425132748
23	बमोरी	33/11 के0व्ही0	फतेहगढ़	आशीष सक्सेना	कनि.यंत्री	9406902327
24	बमोरी	33/11 के0व्ही0	माना	आशीष सक्सेना	कनि.यंत्री	9406902327
25	बमोरी	33/11 के0व्ही0	जोहरी	आशीष सक्सेना	कनि.यंत्री	9406902327
26	बमोरी	33/11 के0व्ही0	क्पासी	आशीष सक्सेना	कनि.यंत्री	9406902327
27	बमोरी	33/11 के0व्ही0	बीसनवाड़ा	आशीष सक्सेना	कनि.यंत्री	9406902327
28	बमोरी	33/11 के0व्ही0	सेनबोट	आशीष सक्सेना	कनि.यंत्री	9406902327
29	बमोरी	33/11 के0व्ही0	मगरोडा	आशीष सक्सेना	कनि.यंत्री	9406902327
30	बमोरी	33/11 के0व्ही0	कलोरा	आशीष सक्सेना	कनि.यंत्री	9406902327

क्र0	तहसील का नाम	उपकेन्द्र का नाम	स्थान	संबंधित अधिकारी	पदनाम	मोबाईल नं.
31	गुना	33/11 के0व्ही0	बेहटाघाट	डीपी नायक	कनि.यंत्री	9406902326
32	गुना	33/11 के0व्ही0	सिंगवासा	डीपी नायक	कनि.यंत्री	9406902326
33	गुना	33/11 के0व्ही0	बरखेडगिर्द	डीपी नायक	कनि.यंत्री	9406902326
34	गुना	33/11 के0व्ही0	मगराना	डीपी नायक	कनि.यंत्री	9406902326
35	गुना	33/11 के0व्ही0	बजरंगढ़	पूनाराम डहेरिया	कनि.यंत्री	9406902657
36	गुना	33/11 के0व्ही0	भादौर	पूनाराम डहेरिया	कनि.यंत्री	9406902657
37	आरौन	33/11 के0व्ही0	आरौन	व्ही.के. पांडे	कनि.यंत्री	9826480016
38	आरौन	33/11 के0व्ही0	बरखेड़ाहाट	व्ही.के. पांडे	कनि.यंत्री	9826480016
39	आरौन	33/11 के0व्ही0	रामपुर	इलेश सस्तीया	कनि.यंत्री	7879683526
40	आरौन	33/11 के0व्ही0	पनवाडीहाट	इलेश सस्तीया	कनि.यंत्री	7879683526
41	आरौन	33/11 के0व्ही0	बरोद	इलेश सस्तीया	कनि.यंत्री	7879683526
42	आरौन	33/11 के0व्ही0	खामखेड़ा	इलेश सस्तीया	कनि.यंत्री	7879683526
43	आरौन	33/11 के0व्ही0	हापाखेड़ी	इलेश सस्तीया	कनि.यंत्री	7879683526

(अनुलग्नक –14)

गुना जिले में संभावित बाढ़ प्रभावित ग्राम का विवरण

क.	तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों का नाम	पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	सचिव का नाम	मोबाईल सरपंच	मोबाईल सचिव
1	मकसूदनगढ़	खेराड़ (बनियॉटोडी)	खेराड़	भगवतसिंह लोधी	प्रेमनारायण शर्मा	8085254232	9754462462
2	मकसूदनगढ़	कांदीखेड़ा	कांदीखेड़ा	द्रोपतीवाई	इन्द्रभान सिंह	9754462356	9754462391
3	मकसूदनगढ़	रघुनाथपुरा	कांदीखेड़ा	द्रोपतीवाई	इन्द्रभानसिंह	9754462356	9754462391
4	मकसूदनगढ़	तेजाखेड़ी	कांदीखेड़ा	द्रोपतीबाई	इन्द्रभानसिंह	9754462356	9754462391
5	मकसूदनगढ़	हिंगोना	करेला	जयनारायण मीना	बद्रीलाल मीना	9754453162	9893390403
6	आरोन	बरोद	बरोद	गीताबाई	श्री बिदुर उपरिंग	8120074864	9893895913
7	आरोन	कुन्दोगी	कुन्दोली	श्रीमति तेजबाई	श्यामलाल अहिरवार	उपलब्ध नहीं	9926963718
8	आरोन	देहरीकला	देहरीकला	श्रीमति मुन्नीबाई	रामस्वरूप श्रीवास्तव	9754016722	9993273772
9	आरोन	देहरीखुर्द	देहरीखुर्द	हरगोविन्द	गजेन्द्रसिंह रघुवंशी	उपलब्ध नहीं	9826231408
10	आरोन	भूतमढ़ी	घाटावादा	श्री गोपाल आदिवासी	ओमप्रकाश रघु.	9165583164	9993262741
11	बमोरी	सोडा	पाठी	श्री मुकुट बिहारी मीना	राधेश्याम भार्गव	9893168587	9770426045
12	बमोरी	पाठी	पाठी	श्री मुकुट बिहारी मीना	राधेश्याम भार्गव	9893168587	9770426045
13	बमोरी	बनियानी	कोहन	श्री मति ममता बाई	छीतरलाल नागर	9977423756	9907484314
14	बमोरी	टकोदिया	किसनपुर	श्री हरिचरण यादव	ब्रजेश भार्गव	9981317500	9425791602
15	बमोरी	रामनगर	रामनगर	श्री कृष्ण गोपाल यादव	श्यामबाबू यादव	9009409136	9425720697
16	बमोरी	पीपल्या	परवाह	श्री जयराम किरार	परमाल सिंह यादव	9893081395	9425749252
17	चॉचौड़ा	वापचविक्रम	वापचविक्रम	कांताबाई	हुकुमसिंह प्रजापति	9589609556	9893636162
18	चॉचौड़ा	खेजड़कलां	खेजड़कलां	हरिओमबाई	इन्दरसिंह सिंह लोधी	9893429956	9755128554
19	चॉचौड़ा	कंकरुआ	रतोधना	ळरिसिंह	रामवेसक मीना	9981021326	9993274262
20	चॉचौड़ा	मालोनी	पीपल्या कलां	चन्द्रभानसिंह यादव	गिरीराज पालीवाल	9893675401	9981138183
21	चॉचौड़ा	रामपुरा	बापचालहरिया	भानुप्रताप शर्मा	हुकुमसिंह मीना	9827565951	9755691210
22	चॉचौड़ा	बापचालहरिया	बापचालहरिया	भानुप्रदाप शर्मा	हुकुमसिंह मीना	9827565959	9755691210
23	चॉचौड़ा	सांकाखुर्द	खेजड़ा कलां रानी	विजय सिंह मीना	मुरारीलाल मीना	9669192486	9981050425
24	चॉचौड़ा	रायपुरा	बरखेड़ा खुर्द	धोरीबाई मीना	प्रेमनारायण मीना	7566878419	9993003375
25	चॉचौड़ा	नवलपुरा	नलखेड़ा	बाबूलाल	रामजीवन सेन	9755713635	9893636280
26	चॉचौड़ा	बड़पुरा	घाटाखेड़ी	ओमश्रीबाई मीना	मुरारी मीना	9981557380	9981050425
27	चॉचौड़ा	घाटाखेड़ी	घाटाखेड़ी	ओमश्रीबाई मीना	मुरारी मीना	9981557380	9981050425
28	चॉचौड़ा	मुसरेली	बरखेड़ा खुर्द	धोरीबाई मीना	प्रेमनारायण मीना	7566878419	9993003375
29	राघौगढ़	ब्रसंगपुरा	भैसाना	सरजनसिंह	बाबूलाल पारिक	9425761124	9407214549
30	राघौगढ़	तूमनखेड़ी	भैसाना	सरजसिंह	बाबूलाल पारिक	9425761124	9407214549
31	राघौगढ़	जनकपुर	भैसाना	सरजसिंह	बाबूलाल पारिक	9425761124	9407214549
32	राघौगढ़	मोहोम्मदपुर	नरायणपुरा	सुमित्राबाई	हेमलता धाकड़	9981316221	8889023404
33	कुंभराज	खटकिया	खटकिया	मिश्रीलाल	प्रेमनारायण मीना	9300631942	9993003375
34	कुंभराज	निजामपुर	खटकिया	मिश्रीलाल	प्रेमनारायण मीना	930063942	9993003375
35	कुंभराज	केकड़याखुर्द	केकड़याखुर्द	रामहेत मीना	रामभरोषा मीना	9993379985	9993273855

36	कुंभराज	सांकाकलॉ	केकड़याखुर्द	रामहेत मीना	रामभरोषा मीना	9993379985	9993273855
37	कुंभराज	ऊपरी	ऊपरी	रामपतिबाई	ओमप्रकाश श्रीवास्तव	9755327270	9754765621
38	कुंभराज	बड़ागॉव	बड़ागॉव	महेन्द्र सिंह	चित्रभानसिंह	9685679350	9755627999
39	कुंभराज	खिरिया	बड़ागॉव	महेन्द्र सिंह	चित्रभान सिंह	9685679350	9755627999
40	कुंभराज	भमावद	भमावद	रघुवीर सिंह	नरेन्द्र मीना	9179331973	9993129733
41	कुंभराज	केकड़याकलॉ	केकड़याकलॉ	खेमचंद मीना	राधेश्याम मीना	9893064993	9981493667
42	कुंभराज	देहरी	केकड़याकलॉ	खेमचंद मीना	राधेश्याम मीना	9893064993	9981493667

(अनुलग्नक –15)

जिले में स्थापित ख़तरनाक उद्योगों की सूची

क्र	उद्योग का नाम	प्रोडक्ट का नाम	प्रमुख सम्पर्क व्यक्ति	टेलीफोन– ऑफिस	मोबाईल	उपलब्ध सुविधायें
1	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर जिला गुना	अमोनिया,यूरिया	श्री एस.के.जिन्दल	07544–273101	9425132921	1.फायर ब्रिगेड, 2.पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट
2	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, विजयपुर गुना	एलपीजी,प्रोपेन, पेंटेन,नेफथा	श्री एस.के शर्मा, डीजीएम	07544–274277 पी एन टी 074203	9425701181	1.फायर बिग्रेड 2.पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट

(अनुलग्नक –16)

जिले में उपलब्ध गैर सरकारी संसाधनों का विवरण

क्र0	ठेकेदार का नाम	दूरभाष नं.	कटर मशीन	डम्पर	जेबीसी	ट्रेक्टर	रोलर	पानी का टैंकर	मिक्सर मशीन	बेचिंग प्लांट
1.	वी0डी0 शर्मा, गुना	94253 10053	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	
2.	राजकुमार रघुवंशी	94251 31103	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	
3.	विभा कंस्ट्रक्शन, गुना	94251 32946	हॉ	हॉ	–	–	–	–	–	–
4.	राजेश गुप्ता, गुना	94251 31204	हॉ	हॉ	–	–	–	–	–	–
5.	नवीन अग्रवाल, गुना	94250 37555	हॉ	हॉ	–	–	–	–	–	–
6.	सतीश अग्रवाल, गुना	–	हॉ	हॉ	–	–	–	–	–	–
7.	संजय गुप्ता, गुना	94251 31707	हॉ	हॉ	–	–	–	–	–	–

(अनुलग्नक –17)

जिले में उपलब्ध सरकारी संसाधनों का विवरण

क्र0	विभाग का नाम	दूरभाष नं.	एम्बुलेंस	जेबीसी मसीन	कटर मसीन	नव		अग्निशमन वाहन
						मशीन चलित	हाथ चलित	
1	लोक निर्माण विभाग	07542–252608	–	–	–	–	–	–

(अनुलग्नक –18)

जिले के प्रमुख यातायात सड़क परिवहन अधिकारी के नाम,पद,पता,टेलीफोन एवं मो.नं.

क	अधिकारी का नाम	पद	पता	टेलीफोन ऑफिस	मोबाईल
1	श्री एस.एल.बरेलिया	अति.क्षे.परि.अधिकारी	लाल परेड ग्राउंड कैन्ट गुना	221905	9425944111

(अनुलग्नक –19)

जिले के प्रमुख बाँधों की सूची

क्रं.	तहसील का नाम	बांध का नाम	संपर्क अधिकारी	दूरभाष
1	राघौगढ़	मध्यम तालाब संजय सागर	श्री एन.के.राठौर अनु.अधि.	9425368131
2	–''–	गोपीकृष्ण सागर	श्री यू.वी.एस.मर्सकोले अनु.अधि.	9407275171
3	–''–	लघु तालाब डोंगर तालाब	–''–	–''–
4	–''–	कुंवरपुरा तालाब	–''–	–''–
5	मकसूदनगढ़	राजीवसागर तालाब	श्री एस.डी. मैकानिया एस.डी.ओ.	9993279110
6	–''–	उकावदा तालाब	–''–	–''–
7	–''–	बारोद तालाब	–''–	–''–
8	–''–	गोविन्दपुरा तालाब	–''–	–''–
9	–''–	सुमेटी तालाब	–''–	–''–
10	चाचौड़ा	खानपुरा तालाब	श्री व्ही.के. जैन	9425759244
11	–''–	देदला तालाब	–''–	–''–
12	–''–	चाचौड़ा तालाब	श्री व्ही.के. जैन एस.डी.ओ.	9425759244
13	–''–	काँकरिया तालाब	–''–	–''–
14	–''–	जटेरी तालाब	–''–	–''–

15	–''–	उमर थाना तालाब	–''–	–''–
16	–''–	पीपल्या खुशाल	–''–	–''–
17	कुंभराज	झिरी तालाब	–''–	–''–
18	–''–	तातुजखेड़ी	–''–	–''–
19	–''–	आम्बेह	–''–	–''–
	बमोरी	मकरोदा	श्री एम.एल.रघुवंशी	8103866675
	बमोरी	रामपुर	श्री एम.एल.रघुवंशी	8103866675
	बमोरी	बांडियानाला	श्री एस.के.राजोरिया अनुविभागीय अधिकारी श्री के.के.भार्गव, उपयंत्री	9981749200 07542–250039
	बमोरी	**मध्यम तालाब** मकरोदा	श्री एम.एल.रघुवंशी	8103866675
	बमोरी	रामपुर	श्री एम.एल.रघुवंशी	8103866675
		लघु तालाब		
	गुना	गोपालपुरा	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	गुना	सूखानाला	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	गुना	मोहरी तालाव	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	बमोरी	बीलाखेड़ी	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	बमोरी	समरसिंगा	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	बमोरी	कलोरा	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	बमोरी	बंधा	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	बमोरी	खण्डेला	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	गुना	माली	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	बमोरी	भैसाटोरी	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	गुना	टारी	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	बमोरी	सिरसी	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	बमोरी	धानवाडी	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	गुना	रेझाई	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526
	गुना	इमझरा	श्री ए.के.श्रीवास्तव	94255135526

(अनुलग्नक –20)

जिले के प्रमुख शैक्षणिक अधिकारियों के नाम,पद,पता,टेलीफोन एवं मोबाईल नम्बर

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता	टेलीफोन	मोबाईल
1	डॉ0 नुतन कुलश्रेष्ठ	प्राचार्य शा.स्ना.म.वि.	लूशनबगीचा केन्ट गुना	07542–251639	9425135965
2	डॉ0 सरला शुक्ला	प्राचार्य शा.क.म.वि.	सिसौदिया कॉलोनी गुना	07542–226192	9425134695
3	डॉ0डी.के.गौतम	प्राचार्य शा.महा वि.	बीनागंज जिला गुना	07546–240389	9425786060
4	डॉ0जे.एल.द्विवेदी	प्राचार्य शा.महावि. राघौगढ	राघौगढ जिला गुना	07544–283361	9425724206
5	डॉ0ए.के.मुदगल	प्राचार्य शा.महावि. आरोन	आरोन जिला गुना	07545–258283	9893100983

(अनुलग्नक –21)

जिले/तहसील में अस्थाई शिविर उपलब्ध कराने वाले अधिकारी

क.	अधिकारी का नाम	पता	टेलीफोन	मोबाईल
1	श्री सूर्यकांत त्रिपाठी	तहसीलदार आरोन	07545–258254	9425490269
2	श्री सुनील गोयल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरोन	07545–258313	9827003684
3	श्री सूर्यकांत त्रिपाठी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी (प्रभारी) नगर परिषद् आरोन		9425490269
4	डॉ रश्मि श्रीवास्तव	तहसीलदार गुना	07542–252661	9425196205
5	श्री लक्ष्मण सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना		9425944042
6	श्री पीएस बुंदेला	मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका गुना	07542–252622	9893163050
7	श्री एस.के.खरे,एस.डी.ओ.	मकरावदा परियोजना	7542252715	9425097674
8	श्री विनोद सक्सेना,एस.डी.ओ.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,गुना		9827456602
9	श्री बृजेश शर्मा	तहसीलदार बमोरी	07540–270311	9752880802
10	श्री जितेन्द्र धाकरे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बमोरी	07540–270348	9425758572
11	श्री एच.एस.गहलोत	नायब तहसीलदार,वृत फतेहगढ़,तहसील बमौरी	07540–252661	9826217349
	श्री गजेन्द्र सिंह मीना	राजस्व निरीक्षक फतेहगढ़		9893748544
12	श्री पीसी जैन	तहसीलदार राघोगढ़	07544–255625	9827760989
	श्री गौरी शंकर बैरवा	नायब तहसीलदार राघोगढ़	07544–262225	7354755824
13	श्री संजय अग्रवाल	मुख्य कार्यपालन आधिकारी जनपद पंचायत राघोगढ़	07544–262223	9407060106
14	कार्यपालक यंत्री	जल संसाधन विभाग राद्यौगढ़	07544–262234	9926056355
15	आरबी सिंडोसकर	तहसीलदार, मकसूदनगढ	07544–260030	9425361201
16	श्री अजमेर सिंह	प्रभारी तहसीलदार, चाँचौड़ा	07546–240223	8103911726
17	श्री ओपी झा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चाँचौड़ा	07546–240239	9893938088
19	श्री जेएल पुरोहित	तहसीलदार, कुंभराज	07546–243133	9630297465
20	श्री रामाशंकर शर्मा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद् कुंभराज		9981020867
21	श्री हरवीरसिंह रघुवंशी	राजस्व निरीक्षक कुंभराज	07546–243133	09425769061
22	श्री कमल सिंह मंडेलिया	नायब तहसीलदार, कुंभराज	07546–243133	8103912884

(अनुलग्नक–22)

जिले /में उपलब्ध टेन्ट हाऊसों की सूची

क्रं.	तहसील का नाम	टेन्ट हाउस का नाम	स्वामी का नाम	फोन/मोबाईल
1.	राघौगढ़	अग्रवाल टेन्ट हाउस, मण्डी प्रांगण	–	–
2.	राघौगढ़	सांई टेन्ट हाउस, जगदीश कालोनी	–	–
3.	राघौगढ़	पूनम टेन्ट हाउस आवन	शिवचरण	9893575262
4.	राघौगढ़	ईश्वर टेन्ट हाउस धरनावदा	ईश्वरसिंह	9179548641
5.	राघौगढ़	मदीना टेन्ट हाउस	–	–
6	राघौगढ़	सांई टेन्ट हाउस	–	–
7	राघौगढ़	निसार टेन्ट हाउस	–	9993516076
8	राघौगढ़	अमन टेन्ट हाउस	–	–
9	राघौगढ़	अन्नू भाई टेन्ट हाउस	–	9826206546
10	राघौगढ़	शराफत खां टेन्ट हाउस	–	9993933639
11	राघौगढ़	इब्राहिम टेन्ट हाउस	–	–
12	राघौगढ़	खालील टेन्ट हाउस	–	–
13	राघौगढ़	ईखलाख भाई टेन्ट हाउस	–	–
14	कुंभराज	जाकिर टेन्ट हाउस	जाकिर खान	9584849560
15	कुंभराज	मंगल टेन्ट हाउस	जगदीश अग्रवाल	9925485444
16	कुंभराज	शर्मा टेन्ट हाउस	हेमलता शर्मा	9074364598
17	चाचौड़ा	श्रीकृष्ण टेन्ट हाउस	प्रमोद शर्मा	9993367253
18	चाचौड़ा	इंदिरा टेन्ट हाउस	ओमप्रकाश महेश्वरी	9893636453
19	चाचौड़ा	पिंकी टेन्ट हाउस	श्री खलील खॉन	9893486446
20	चाचौड़ा	सोनी टेन्ट हाउस	ओमप्रकाश सोनी	9425188880
21	चाचौड़ा	रानी टेन्ट हाउस	मेहनसिंह मीना	9993934230
22	चाचौड़ा	दिव्या श्री टेन्ट हाउस	मोहनप्रसाद साहू	9893637005
	मकसूदनगढ़	धर्मादा ट्रस्ट की धर्मशाला भोपाल रोड पर मकसूदनगढ़	श्री जगमोहन अग्रवाल अध्यक्ष एवं सचिव	9993386963
	मकसूदनगढ़	उत्सव भवन ग्राम पंचायत मकसूदनगढ़ व गुना रोड पर	श्री सुन्दरलाल प्रजापति सचिव	9993415962

		मकसूदनगढ़		
	मकसूदनगढ़	आंनद गार्डन एवं लॉज भोपाल रोड पर मकसूदनगढ़	श्री अमित कुमार अग्रवाल	9981301905
	मकसूदनगढ़	सावरिया गार्डन एवं लॉज सुठालिया रोड मकसूदनगढ़	श्री संजय अग्रवाल	9893823344
	मकसूदनगढ़	पी.डब्यलू डी.रेस्ट हाऊस	श्री ए.के.चौहान	9406580510
	आरोन	राघव टेन्ट	राजेश शर्मा	9893464326
	आरोन	आमीद टेन्ट	रहीश खॉ	9693745193
	आरोन	रघु टेन्ट	सीताराम रघुवंशी	9617644983
	आरोन	मुकेश टेन्ट	राकेश जैन	9693744804
	आरोन	रघुवंशी टेन्ट	सोनू रघुवंशी	9693155007
	बमौरी	हिना टेन्ट हाऊस,फतेहगढ़	श्री शहजाद खॉ	9085327684
	बमौरी	अखिलेश टेन्ट हाऊस,मुहाल कॉलौनी	श्री अखिलेश अग्रवाल	9425785660
	बमौरी	सुरेश टेन्ट हाऊस,मुहाल कॉलोनी	श्री सुरेश अग्रवाल	9425799408
	बमौरी	बलवंत टेन्ट हाऊस,मुहाल कॉलोनी	श्री वलवंत कुशवाह	

(अनुलग्नक–23)

जिले में उपलबध जल संसाधन टैंकों का विवरण

क्र.	तहसील	बांध का नाम	क्षमता	संपर्क अधिकारी का नाम	दूरभाष
		मध्यम तालाब			
1	बमोरी	मकरोदा तालाब	46.57	श्री एस.के.शर्मा उपयंत्री	9425310035
2		रामपुर तालाब	18.55	श्री के.सी.जैन उपयंत्री	9425743927
3		बांडियानाला तालाब	15.71	श्री बी.के.कोचेटा उपयंत्री	9425380915
		लघु तालाब			
4	गुना	गोपालपुरा तालाब	1.41	श्री एम.एम.खेमरिया उपयंत्री	9993592075
5		सूखानाला	2.94	श्री एम.एम.खेमरिया उपयंत्री	9993592075
6		मोहरी	2.67	श्री एम.एम.खेमरिया उपयंत्री	9993592075
7	बमोरी	बीलाखेडी	5.24		
8		सामरसिगा	5.53	श्री एस.सी.जैन उपयंत्री	9425132988
9		कलोरा	5.40	श्री पी.के.शर्मा उपयंत्री	9425361074
10		बंधा	1.60	श्री पी.के.शर्मा उपयंत्री	9425361074
11		खंडेला	1.03		
12	गुना	माली	1.18	श्री एस.के.शर्मा उपयंत्री	9425310035
13	बमोरी	भैंसाटोरी तालाब	8.87	श्री राकेश बाजपेयी उपयंत्री	9407245187
14	गुना	आरी	1.14	श्री एस.के.शर्मा उपयंत्री	9425310035
15	बमोरी	सिरसी	–	श्री एस.के.शर्मा उपयंत्री	9425310035
16		धानबाडी	–	श्री एस.सी.जैन उपयंत्री	9425132988
17	गुना	हिलगना	0.94	श्री एस.सी.जैन उपयंत्री	9425132988
18		रेंझाई	1.89	श्री राकेश बाजपेयी उपयंत्री	9407245187
19	मकसूदनगढ	राजीव सागर	16.142	श्री आर.आर.चा	9893240414
20		डोंगर तालाब	0.733	श्री राकेश गोयल, उपयंत्री	9827314868
21	राघोगढ	कुंवरपुरा तालाब	0.614	श्री राकेश गोयल, उपयंत्री	9827314868
22	मकसूदनगढ	गोविन्दपुरा	0.753	श्री आर.आर.चा	9893240414
23		उकावद तालाब	1.506	श्री आर.आर.चा	9893240414
24		बारोद तालाब	1.452	श्री आर.आर.चा	9893240414
25	राघोगढ	सुमेरी	5.73	श्री बी.एल.उरैया उपयंत्री	9827645474
26	कुंभराज	झिरी	0.838	श्री एम.एस.नरवरिया उपयंत्री	9425133833
27		आम्बेह	0.949	श्री आर.एस.तोमर उपयंत्री	9425133290
28		नीलबेह	0.814	श्री एम.एस.नरवरिया उपयंत्री	9425133833
29		भोजपुरा	3.99	श्री एम.एस.नरवरिया उपयंत्री	9425133833
30	चाँचौडा	उमरथाना	0.770	श्री एम.के.जैन उपयंत्री	9425134551
31	कुंभराज	गोमुख	0.899	श्री एम.एस.नरवरिया उपयंत्री	9425133833
32	चाँचौडा	महेशपुरा	1.126	श्री आर.एस.तोमर उपयंत्री	9425133290
33		देदला	1.481	श्री एम.के.जैन उपयंत्री	9425134551
34		पीपल्या खुशाल	1.560	श्री एम.के.जैन उपयंत्री	9425134551
35	कुंभराज	तातुजखेड़ी	0.867	श्री आर.एस.तोमर उपयंत्री	9425133290
36	चाँचौडा	कांकरिया	0.636	श्री आर.एस.तोमर उपयंत्री	9425133290
37		चांचौड़ा	0.632	श्री एम.के.जैन उपयंत्री	9425134551
38		बरखुआ	0.400	श्री एम.के.जैन उपयंत्री	9425134551
39		जटेरी	0.610	श्री एम.के.जैन उपयंत्री	9425134551

(अनुलग्नक–24)

जिले में उपलब्ध होटल, लॉज, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस का विवरण

क्रं.	तहसील	नाम एवं पता	सम्पर्क व्यक्ति	फोन / मेबाइल नं.
1.		होटल नवलोक, रेल्वे स्टेशन रोड		253264, 254664
2.		प्रतिष्ठा होटल, बस स्टेण्ड के सामने		507365
3.		होटल सम्राट, एबी रोड		252165
4.		होटल प्रेमश्री, रेल्वे स्टेशन चौधरन धर्मशाला, रेल्वे स्टेशन		254421
5.		होटल शुभम, एबी रोड		256319
6.		होटल उत्सव, एबी रोड		252386
7.		होटल सारा, एबी रोड		–
8.		होटल जगत, बस स्टेण्ड		–
9.		पवन श्री मांगलिक भवन		–
10.	गुना	होटल वरूण, एबी रोड		225280,221280
11.		जैन मांगलिक भवन, जैन मंदिर रोड		–
12.		जैन धर्मशाला, दुर्गा चौक		–
13.		अग्रवाल धर्मशाला, जाटपुरा		–
14.		जे0जे0 पैलेस, एबी रोड		268236,223387
15.		होटल प्रेमश्री		254421,500945
16.		होटल महालक्ष्मी		220630
17.		के0के0 लॉज		252455
18.		मानस भवन		254457
19.		मंगल लॉज		256272
20.		शुभम लॉज		252410,252610
21.		सवेरा लॉज		252160
22.		त्रिमूर्ती भवन		224114
23.		प्रकाश लॉज		500680
24.		मांगलिक भवन		230799
25.		श्रीराम कृष्ण मांगलिक भवन		259290
26.		होटल अप्सरा		252298
27.		गोयल भवन		224382
28.		कस्तूरी गार्डन		223207,225607
29.		होटल सांई पैलेस		502479
30.		राजश्री होटल		–
31.		शिमला होटल मिष्ठान भण्डार		225509
32.		बीकानेर मिष्ठान भण्डार		–
33.		सतगुरू मिष्ठान भण्डार		–
34.		मारवाडी प्लाजा		–

35.		जैन भोजनालय नई सड़क		–
36.		पटैरिया भोजनालय हनुमान चौराहा		–
37.	मकसूदनगढ़	घर्मादा ट्रस्ट की धर्मशाला भोपाल रोड पर मकसूदनगढ़	श्री जगमोहन अग्रवाल अध्यक्ष एवं सचिव	9993386963
38.	मकसूदनगढ	उत्सव भवन ग्राम पंचायत मकसूदनगढ़ व गुना रोड पर मकसूदनगढ़	श्री सुन्दरलाल प्रजापति सचिव	9993415962
39.	मकसूदनगढ	आनन्द गार्डन एवं लॉज भोपाल रोड पर मकसूदनगढ़	श्री अमित कुमार अग्रवाल	9981301905
40.	मकसूदनगढ	सावरिया गार्डन एवं लॉज सुठालिया रोड मकसूदनगढ़	श्री संजय अग्रवाल	9893823344
41.	मकसूदनगढ	पी.डब्लयू डी. रेस्ट हाउस	श्री ए.के.चौहान	9406580510
42.	आरोन	रेस्ट हाऊस आरोन	श्री बृजपुरिया उपयंत्री पी.डव्यलू डी.	9993571920
43.	बमौरी	प्राथमिक शाला भवन,सोडा	श्री जयनारायण कश्यप	9303873390
44.	बमौरी	प्राथमिक शाला भवन,पाठी	श्री प्रमोद भार्गव	7828015224
45.	बमौरी	प्राथमिक शाला भवन,बनियानी	श्री बालकृष्ण भार्गव	9303002855
46.	बमौरी	प्राथमिक शाला भवन,टकोदिया	श्री रामेश्वर मीना	9977914378
47.	बमौरी	प्राथमिक शाला भवन,रामनगर	श्री चंदू मीना	9753084135
48.	बमौरी	प्राथमिक शाला भवन,पीपल्या	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	9981277873
49.	चॉचौड़ा	मनीष लॉज बीनागंज	अनिल जैन	9993104845
50.	चॉचौड़ा	अर्पण लॉज बीनागंज	गौविन्द सोनी	9425462321
51.	चॉचौड़ा	सुभम इंटरनेशनल होटल,बीनागंज	धर्मेन्द्र जैन	9407200990
52.	चॉचौड़ा	विश्राम ग्रह बीनागंज,लोक निर्माण विभाग चॉचौड़ा	श्री पुनीत खरे,एस. डी.ओ.लो.नि.वि. चॉचौड़ा	9425447441
53.	राद्यौगढ़	संजय सागर रेस्ट हाउस	श्री एस.के.जैन. उपयंत्री	9407200410
54.	राद्यौगढ़	रेस्ट हाउस राद्यौगढ़	श्री एस.जैन उपयंत्री	9926292550
55.	राद्यौगढ	मेट्रो रिर्सोट राद्यौगढ़	श्री राणा	9425135110
56.	राद्यौगढ	एन.एफ.एल.रेस्ट हाउस	श्री ई.एम.बी.नाईर	9407245576
57.	राद्यौगढ	गेल रेस्ट हाउस	श्री एस.मित्रा	274204
58.	कुभराज	पी.डब्लयू डी. विश्राम ग्रह खटकिया	श्री आर.एन.पचौरी (उपयंत्री)	9425309724

(अनुलग्नक –25)

जिले में उपलब्ध दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्रों का विवरण

क्र0	तहसील का नाम	समाचार पत्र का नाम	पत्रकार का नाम	मोबाईल न0	दूरभाष नं0
1		मध्य स्वदेश गुना	श्री अतुल तारे	9425401406	224270
2		दै.सांध्य आलाप गुना	श्री तरूण गुप्ता	9425132151	251521
3		दै. सांध्य क्रियाकलाप गुना	श्री महेन्द्र सिंह किरार	9826256403	401801
4		दै.नई दुनिया ग्वालियर	श्री अतुल लुम्बा श्रीराजा श्रीवास्वत फो.	9407200017 9827273570	
5		दै.चौथा संसार इंदौर	श्री संजीव प्रकाशशर्मा	9425131232	251650
6		दै.भारस्कर भोपाल	श्री रवि जैन	9926584999	259221
7			श्री कल्याण भार्गव		
8			श्री संजीव श्री अमित फोटोग्राफर	900903987 9425133518	259221
9		दै.राजएक्स प्रेस भोपाल	श्री बारेलाल धाकड़	9893764980	407343
		दै.फ्री प्रेस	कु. नूर अख्तर	9300691870	407343
		दै. नवभारत भोपाल	श्री शिवदान सिंह सिकरणर	9302932911	
		दै. जागरण भोपाल	श्री कमल काक	9425133664	250165
		दै.पत्रिका भोपाल	श्री रमाकांत चौबे	94251919953	259555
		दै.सा.क्रियाकलाप गुना	श्री महेन्द्र सिंह किरार	9826256403	401801
		दै. सा.आलाप गुना	श्री तरूण गुप्ता	9425132151	251521ए 400605
		दै.उदय देश ग्वा.	श्री महावीर सिंहतोमर	9425131203	253233
		दै.नई दुनिया भोपाल	श्री सुशील कुमार जैन	9425132260	254098
		दै.समय जगत भोपाल	श्री वेद प्रकाश आर्य	8109725107	
		दै.देशबन्धु भोपाल	श्री प्रमोद भार्गव	8827733288	
		दै.फ्री प्रेस इंदौर	कु.नूर अख्तर	9300691870	
		दै. स्वदेश भोपाल	श्री महावीर जैन	9425131215	255915
		दै.मध्यराज ग्वालियर	श्री जगवीर सिंह		
		दै.जागरण ग्वालियर	श्री चन्द्रेश अग्रवाल	9425131222	254626
		दै.चम्बल वाणी	श्री वीरेन्द्र शर्मा	7869146653	
		दै. मध्य जनदर्शन	श्री अशोक कुशवाह	9993930565	408291
		दै.नव प्रभात ग्वालियर	श्री गोविन्द सोनी	9907515665	

इलेक्ट्रानिक मीडिया					
		सहारा समय सहारा सयम	श्री आलोक श्रीवास्तव श्री मंयक दुबे	9425309996 9425342340	
		ई.टी.व्ही.	श्री महेश शिवहरे	9425120433	
		साधना न्यूज	श्री राकेश बांझल	9407200707	
		एकता केवल	श्री तरूण जैन	9893057151	
		टाईम्सटीवी, न्यूज टाईम आजाद न्यूज वॉच न्यूज स्टार न्यूज वाईस आफ इण्डिया	श्री परितोष जैन श्री विवेक राठौर श्री रमेश जैन श्री हरिशंकर श्री रितेश राजपूत	9098383586 9827734701 9300691762 9329420039 9425119633	
स्वतंत्र पत्रकार					
		स्वतंत्र पत्रकार	श्रीनारायणजे आचार्य	942542741	
		स्वतंत्र पत्रकार	श्री अनिरूद्वसिंह सेंगर	07544262273	
मासिक पत्रिका					
		फोर्थ पिलर	श्री विवेक श्रीवास्वत	9425759077	
		साहित्य क्रांति	श्री अनिरूद्वसिंह सेंगर		
		मणिधारी टाइम्स गुना	श्रीमती मधुरानी लोढ़ा	9425068199	
पाक्षिक समाचार पत्र					
		चंचल एक्सप्रेस गुना अंशवाण विश्व परिक्रमा भीम गर्जना शब्द कोष	श्री कमल काक श्री वीरेन्द्र शर्मा श्री दिलीप सिंह श्री कैलाश अत्रोटिया श्री मोहन लाल मोदी	942513364 9425762263 975431670 9329237859 9981656440	250165
साप्ताहिक समाचार पत्र					
		सा. उच्छवास सा. राष्ट्रहेतु जागउठो सा. प्रेस शक्ति गुना सा. वीर अभिमन्यु नेत्र ज्योति	श्री लक्ष्मीकांतशाक्य श्री बाबूलाल सोनी श्री राजेश राठिया श्री बृजेश भानूशर्मा श्री अनिरूद्व सिंह सेंगर	9755082986 9425380692 9425798370 9425798370	

(अनुलग्नक –26)

जिले के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची

क्र0	संवाददाता का नाम	समाचार पत्र का नाम	टेलीफोन	मोबाईल	पता
1.	श्री नारायण आचार्य	स्वतंत्र पत्रकार	2633744	9425462741	सदर बाजार गुना
2.	श्री निर्मल कुमार साहू	स्वतंत्र पत्रकार	407676	9425467091	तहसील के सामने राघौगढ़
3.	श्री योगेनद्र लुम्बा	स्वतंत्र पत्रकार	251521	9630855092	ज्गत लॉज गुना
4.	श्री तरूण गुप्ता	दैनिक सां आलाप गुना	251650	9425132151	बड़ा पुल
5.	श्री संजीव प्रकाश शर्मा	दै.चौथा संसार इंदौर	254098	9425131232	श्रेता मशीनरी गुना गणेया
6.	श्री सुशील जैन	दैनिक नई दुनियॉ भोपाल	255915	9425132260	प्रकास टाकीज गली
7.	श्री महावीर जैन	दै. स्वदेश भोपाल	250165	9425131215	मटकरी कालोनी गुना
8.	श्री कमल कुमार काक	दै. जागरण भोपाल	251521	9425133664	ल्लघानी
9.	श्री मोहर सिंह लोधी	दै. सा. आलाप गुना	220422	9755010420	सुभाष कालोनी शिवमंदिर के पास
10. ल	श्री सीताराम नाटानी	ईएमएस बंसल न्यूज		9425132116	प्रेमी कालोनी
11.	श्री राकेश बांझल	साधना न्यूज	253233	9993164122	डॉ.छाया शर्मा गली
12.	श्री महावीर सिंह तोमर	दै. उदय दंश		9425131203	ळनुमान चौराहा वकील
13.	श्री धमेंन्द्र उत्प्रेती	दै. आलाप गुना	401077	9406579103	खतोली रोड़ बीनागंज
14.	श्री रविन्द्र तिवारी टीटू	दै. जनदर्शन		9425781574	चिचेक कसलसेनी गुना
15.	श्री भूपेन्द्र सिंह सिसोदिया	दै. राज एक्सप्रेस		9993252648	जगदीश स्वामी मंदिर मधुसूदनगढ़

16.	श्री राजेश राठिया	सा.प्रेस शक्ति	408361	9425380692	गुलाब गंज केंट
17.	श्री राज कुमार सिंह	सा.गुना का पंतीक		9425462532	रूठियाई
18.	श्री महेश कुमार दीप	पा. जनआधार राघौगढ़		9425761213	शीतलामाता गली राघौगढ़
19.	श्री आर.डी.नामदेव	पा.ग्राम स्पर्श		7898230481	बीच घाटी मधुसूदनगढ़
20.	श्री राजेश पलिया	दै.फ्री प्रेस इंदौर		9425134789	
21.	श्री महावीर जैन	दै. स्वदेश भोपाल		9425131215	
22.	श्री रविन्द्र श्रीवास्तव	दै.मध्यराज ग्वालियर		9425634389	
23.	श्री चन्द्रेश अग्रवाल	दै.जागरण ग्वालियर		9425131222	
24.	श्री वीरेन्द्र शर्मा	दै.चम्बल वाणी		9329690352	
25.	श्री अशोक कुशवाह	दै. मध्य जनदर्शन		9993930565	
26.	श्री मनोज शिवहर श्री विजयसिंह जाट श्री आनंद कृष्णानी श्री जगवीर चौहान	दै.नव प्रभात ग्वालियर दै.अग्निवाण भोपाल दै.चम्बल सुर्खी मुरैना दै. गुडनाईट रात्रिकालीन		9893636811 9926956543 9425759159 9425132182	
27.	श्री निर्मल कुमार साहू	प्रतिनिधि		9425467091	
28.	श्री योगेन्द्र लुम्बा	भाषा प्रतिनिधि		9425131217	
29.	श्री कैलाश मंथन	लोक वार्ता प्रतिनिधि		9827766385	
30.	श्री लक्ष्मण भडेरिया श्री सीताराम नाटानी	आर.एन.एस. प्रतिनिधि ई.एम.एम. प्रतिनिधि		9425361082 9425132116	

(अनुलग्नक –27)

जिलें में उपलब्ध केबल नेटवर्क ऑपरेटरों की सूची

क्रं.	तहसील का नाम	केवल ऑपरेटरों का नाम	पता	फोन/मोबाईल
1	गुना	श्री विजय सिंह परिहार	बैजू केवल नयापुरा गुना	224007
2		श्री तरूण कुमार जैन	सोनाली केवल गुना	9893051151
3		श्री रविन्द्र रघुवंशी	एकता केवल गुना	9425133766
4		श्री निकित जुनेजा	राधा कालोनी गुना	9827352283
5		श्री अतुल जैन	बतासा वाली गली गुना	9993110566
6		श्री नजीर अहमद	मुंशीपुरा गुना	9752870042
7		श्री रियाज खान	केवल आपरेटर गुना	9993270277
8		श्री मनोज रहवर	जी.सी.एन.केवल नेटवर्क गुना	9329672151
9		श्री बबलू कुशवाह(तेजसिंह)	पंजाबी मौहल्ला गुना	
10		श्री हमीद खां	ढोगापुरा गुना	9425361228
11		श्री अधीर शर्मा श्री लक्ष्मण धाकड़	नयापुरा गुना	9425134449
12		श्री अवरार खॉ	गुना	
13		श्री आलोक विजयवर्गीय	गुना	9425191561
14		श्री शमसेर सिह	वरवटपुरा गुना	07542224007
15		श्री इरसाद खां	गुना	9981316290
16		श्री परविन्दर सिंह ग्रेवाल	गुना	9993271236
17		श्री दीपक क्षत्रिय	गुना	07542224007
वृत – राघौगढ़				
1	राघौगढ़	श्री विजय सिंह परिहार	एन.एफ.एल.विजयपुर	9300912007
2	राघौगढ़	श्री ओमप्रकाश परिहार	सांई विजन केवल आरोन	9977097111
3	राघौगढ़	श्री राकेश मेर	मोनू केवल राघौगढ़	9993439964
4	राघौगढ़	श्री हरिओम शिवहरे	केवल ऑपरेटर राघौगढ़	9893560532

5	राघौगढ़	श्री महेश ग्वाल	गांधी नगर आरोन	9993922840
6	राघौगढ़	श्री शकील खां	केवल ऑपरेटर आरोन	9993922810
7	आरौन	श्री सचिन आर्य	आरौन	
वृत – चांचौड़ा				
1	चांचौड़ा	श्री बाबीता देवी	कुम्भराज	9981050429
2	चांचौड़ा	श्री दीपक श्रोत्रिय	हर्ष राधे–राधे बीनागंज	9893884330
4	चांचौड़ा	श्री कृष्ण पाल सेन	भावना टी.वी.सेन्टर चाचौड़ा	9993811873
5	चांचौड़ा	श्री दुवीचंद	केवल ऑपरेटर बीनागंज	9993387035
6	चांचौड़ा	श्री रामस्वरूप अग्रवाल	केवल ऑपरेटर बीनागंज	9300431366

(अनुलग्नक –28)

जिले में उपलब्ध रेस्टोरेन्टों एवं केटरर्स की सूची

क्रं.	तहसील का नाम	नाम एवं पता	सम्पर्क व्यक्ति	फोन/ मेबाइल नं.
1.		होटल नवलोक, रेल्वे स्टेशन रोड		253264, 254664
2.		प्रतिष्ठा होटल, बस स्टेण्ड के सामने		507365
3.		होटल सम्राट, एबी रोड		252165
4.		होटल प्रेमश्री, रेल्वे स्टेशन चौधरन धर्मशाला, रेल्वे स्टेशन		254421
5.		होटल शुभम, एबी रोड		256319
6.		होटल उत्सव, एबी रोड		252386
7.		होटल सारा, एबी रोड		–
8.		होटल जगत, बस स्टेण्ड		–
9.		पवन श्री मांगलिक भवन		–
10.	गुना	होटल वरूण, एबी रोड		225280,221280
11.		जे0जे0 पैलेस, एबी रोड		268236,223387
12.		होटल प्रेमश्री		254421,500945
13.		होटल महालक्ष्मी		220630
14.		के0के0 लॉज		252455
15.		होटल सांई पैलेस		502479
16.		राजश्री होटल		–
17.		शिमला होटल मिष्ठान भण्डार		225509
18.		बीकानेर मिष्ठान भण्डार		–
19.		सतगुरू मिष्ठान भण्डार		–
20.		मारवाडी प्लाजा		–
21.		जैन भोजनालय नई सड़क		–
22.		पटैरिया भोजनालय हनुमान चौराहा		–
23.	कुंभराज	बालाजी भोजनालय	श्री देवेन्द्र गुप्ता	9300631989
24.	कुंभराज		विष्णु सेन	9752955730
25.	कुंभराज	शिवहरे भोजनालय	श्री कमलेश	
26.	कुंभराज	भारत भोजनालय	श्री भारत सिंह	
27.	कुंभराज	जैन होटल	श्री अजय कुमार जैन	
28.	कुंभराज	सूर्या रेस्टोरेंट	श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता	
29.	कुंभराज	खंण्डेलवाल रेस्टोरेंट	श्री योगेश	

30.	राघौगढ़	प्रकास होटल ए.बी.रोड़ भरसूला राघौगढ़	श्री प्रकास साहू	9893716596
31.	राघौगढ	मैट्रो रिर्सोट ए.बी.रोड़ विजयपुर	श्री जसवंतसिंह मुंडी	9425131390
32.	चाचौड़ा	होटल शिवानी	आशीष खंडेलवाल	9893530796
33.	चाचौड़ा	जोधपुर मिष्ठान भंडार	माधोलाल	
34.	चाचौड़ा	पालीवाल मिष्ठान भंडार	सुधीर पालीवाल	
35.	चाचौड़ा	चौकसे मिष्ठान भंडार	रामस्वरूप चौकसे	9893637166
36.	चाचौड़ा	यादव मिष्ठान भंडार	मुकेश यादव	9893073253
37.	चाचौड़ा	बालाजी रेस्टोरेंट	जितेन्द्र राजपूत	9893933160
38.	चाचौड़ा	बागीस रेस्टोरेंट	नरेन्द्र यादव	
39.	चाचौड़ा	जैन मिष्ठान भंडार	पवन जैन	
40.	आरौन	श्री शिवम रेस्टोरेंट	श्री कैलाश हलवाई	
41.	आरौन	श्री गोविन्द रेस्टोरेंट	श्री ज्वाला प्रसाद हलवाई	
42.	आरौन	श्री जनता रेस्टोरेंट	श्री सत्यनारायण हलवाई	
43.	आरौन	श्री गणेश रेस्टोरेंट	श्री हरिप्रसाद हलवाई	
44.	आरौन	श्री शिमला रेस्टोरेंट	श्री भूपेन्द्र शर्मा	
45.	आरौन	श्री पुरषोत्तम रेस्टोरेंट	श्री मुन्नालाल दांगी	
46.	आरौन	श्री जैन रेस्टोरेंट	श्री फूलचंद जैन	
47.	आरौन	श्री गुप्ता रेस्टोरेंट	श्री हरिऔम गुप्ता	
48.	आरौन	श्री जनता टी स्टॉल	श्री गोविन्द सिंह राजपूत	
49.	आरौन	श्री जैन रेस्टोरेंट	श्री फूलचंद जैन	
50.	आरौन	श्री चड्डा रेस्टोरेंट	श्री गुड्डा जैन	
51.	आरौन	श्री सुरेश रेस्टोरेंट	श्री सुरेश शर्मा	
52.	आरौन	श्री शर्मा भोजनालय	श्री हरि शर्मा	
53.	आरौन	श्री मदन रेस्टोरेंट	श्री केशरी कुश्वाह	
54.	आरौन	श्री शिवानी रेस्टोरेंट	श्री पप्पू कुश्वाह	
55.	आरौन	श्री शर्मा रेस्टोरेंट	श्री मुन्ना शर्मा	
56.	आरौन	श्री दिजान रेस्टोरेंट	श्री रामनारायण श्रीवास्तव	
57.	आरौन	श्री चौरसिया रेस्टोरेंट	श्री चुन्नू चौरसिया	
58.	आरौन	श्री शर्मा रेस्टोरेंट	श्री राजू शर्मा	
59.	आरौन	श्री रघुवीर रेस्टोरेंट	श्री बड्डे कुश्वाह	
60.	आरौन	श्री कमल रेस्टोरेंट	श्री नरेन्द्र कुश्वाह	
61.	आरौन	प्रेम रेस्टोरेंट	श्री रामसिंह ग्वाल	

(अनुलग्नक –29)

जिले के प्रमुख सरकारी/ग्रामीण बैंकों का तहसीलवार विवरण

क्र0	तहसील	बैंक का नाम	पता एवं संपर्क व्यक्ति	संपर्क व्यक्ति	दूरभाष नं.	मोबाईल
1	आरोन	एस.बी.आई.जवाहर मार्ग आरोन	जवाहर मार्ग आरोन	श्री ऐ.के.जैन	258223	8989783376
2	आरोन	एस.बी.आई.,आरोन	सदर बाजान आरोन	श्री आशुतोष पारासर	258644	9981682043
3	आरोन	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	लक्ष्मी टाकीज के पास	श्री आर. अंसारी		9425380984
4	बमोरी	पंजाब नेशनल बेंक	फतेहगढ़	श्री नवलकिशोर आनन्द,शाखा प्रबंधक		9479966989
5	बमोरी	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	फतेहगढ़	श्री अजमेर सिंह भिंडे,शाखा प्रबेंधक		9425785825
6	चॉचौड़ा	एस.बी.आई.	चॉचौड़ा	प्रबंधक	240230	
7	चॉचौड़ा	एस.बी.आई.	बेनागंज	प्रबंधक	240241	
8	चॉचौड़ा	बैंक ऑफ इण्डिया	बेनागंज	प्रबंधक		9755372701
9	चॉचौड़ा	सिंडिकेट बैंक	चॉचौड़ा	प्रबंधक	240253	
10	चॉचौड़ा	यूनियन बैंक	पैंची	प्रबंधक	242602	
11	चॉचौड़ा	मध्य भारत क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	बेनागंज	प्रबंधक	240416	
12	चॉचौड़ा	जिला केन्द्रिय सहकारी बैक	चॉचौड़ा	प्रबंधक	240224	
13	चॉचौड़ा	भूमि विकास बैक	चॉचौड़ा	प्रबंधक		
14	राघौगढ़	भारतीय स्टेट बेंक	राघौगढ़	श्री देवजीत चौधरी	262232	9425067277
15	राघौगढ़	भारतीय स्टेट बेंक	रूठियाई	श्री प्रकाशचंद	264224	9425927270
16	राघौगढ़	भारतीय स्टेट बेंक	ब्रसत	श्री साहू जी		9425188863
17	राघौगढ़	भारतीय स्टेट बेंक	विजयपुर	श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी	273055	9425132739
18	राघौगढ़	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	रूठियाई	श्री रामबाबू शर्मा	264224	89899416141
19	राघौगढ़	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	टावन	श्री आर.के. जैन	263929	9425188883
20	राघौगढ़	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	राघौगढ़	श्री गुप्ता जी	263252	9300168206
21	राघौगढ़	सी.सी.बी.	राघौगढ़	श्री सोनी जी		9425438844
22	कुंभराज	भारतीय स्टेट बेंक	कुंभराज	शाखा	07542–2	9424901691

				प्रबंधक,सुजीत कुमार झा	43236	
23	कुंभराज	बेंक ऑफ इण्डिया	कुंभराज	शाखा प्रबंधक,नरेन्द्र कुमार	07542–2 43208	997735498
24	कुंभराज	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	कुंभराज	शाखा प्रबंधक,एस. के.शर्मा	07542–2 43185	9630882939
25	कुंभराज	जिला सह.के.मर्या. बैंक कुभराज	कुंभराज	शाखा प्रबंधक,धनेश राम सक्सेना	07542–2 43158	9425789865

(अनुलग्नक–30)

जिले के प्रमुख जीवन बीमा/सामान्य बीमा कार्यालयों /केन्द्रों का विवरण

क्रं.	तहसील का नाम	कम्पनी का नाम	संपर्क व्यक्ति	दूरभाष नं.
1	गुना	भारतीय जीवन बीमा निगम	शाखा प्रबंधक	07542–255270
2	राघोगढ़	भारतीय जीवन बीमा निगम	शाखा प्रबंधक	07544–262712

(अनुलग्नक –31)

जिले के प्रमुख रेल्वे स्टेशनों का विवरण

क्र0	तहसील	स्टेशन का नाम	तहसील मुख्यालय से दूरी	संपर्क व्यक्ति	दूरभाष नं.
1	गुना	गुना	2 कि0मी0	स्टेशन मास्टर	252675
2	–'–	मऊगढा	8 कि0मी0	–'–	07542–282340
3	राघौगढ	रूठियाई	4 कि0मी0	–'–	07544–264233
4	–'–	विजयपुर	5 कि0मी0	–'–	07544–233290
5	चॉचौड़ा	कुंभराज	22 कि0मी0	–'–	07546–243663
6	–'–	चॉचौड़ा	3 कि0मी0	–'–	07546–240634
7	गुना	मावन	7 कि0मी0	–'–	07542–284281
8	गुना	पगारा	13 कि0मी0	–'–	07542–257139

(अनुलग्नक –32)

जिले के प्रमुख बस स्टण्डों का विवरण

क्र0	तहसील	बस स्टेण्ड का नाम	जिला मुख्यालय से दूरी	संपर्क व्यक्ति	दूरभाष नं.
1	चाचौड़ा	बीनागंज	65 कि.मी.	श्री सुन्दरलाल झावा प्रा.सफाई दरोगा	07546–240236 मो.–9685486552
2	कुंभराज	कुंभराज	52 कि.मी.	श्री ओमप्रकाश शर्मा (यू.डी.सी.) न.प. श्री दामोदर (एल.डी. सी.)	243252 मों.–9981278893 कार्यालय– 9893668209
3	राघौगढ़	बस स्टेंन्ड राघौगढ़	0.5 कि.मी.	श्री अनिल वर्मा	07544–262236 मों.–9425354290
4	आरौन	लाल बहादुर शास्त्री बस स्टेन्ड	1 कि.मी.	श्री राम भरोसा शर्मा सफाई दरोगा	9893211375

(अनुलग्नक –33)

जिले की प्रमुख उचित मूल्य दुकानों का विवरण

क्र0	तहसील	दुकान का नाम/पता	संपर्क व्यक्ति	दूरभाष नं.
1.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 13	श्री रामकुमार रघुवंशी	9993480266
2.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 36	श्री सोमचंद जैन	9302423810
3.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 37	श्री प्रताप राव	9826334710
4.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 19	श्री दिलीप वैश्य	9926226155
5.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 23	श्री दशरथ सिंह जादौन	9981023143
6.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 6	श्री मुकेश शर्मा	9993003643
7.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 15	श्री लक्ष्मण सिंह	9755480134
8.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 25, 27	श्री रसीद खांन	9755418567
9.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 20	श्री राजेश सक्सेना	'9827394045
10.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 18	श्री प्रदीप कुमार भार्गव	9425361174
11.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 8	श्री महेन्द्र विजयवर्गीय	7389383251
12.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 2	श्री धीरेन्द्र चौबे	9425135894
13.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 9, 16	श्री नसीम अहमद	9755871165
14.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 21	श्री संजय दुबे	9406963001
15.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 26	श्री बद्रीप्रसाद	9893315509
16.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 10, 11	श्री हुकुमचन्द	9993284570
17.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 14	श्री जितेन्द्र भार्गव	9425408352
18.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 17	श्री अशोक जैन	9425792015
19.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 32, 34	श्री संतोष सिंह	9827207319
20.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 7	श्री श्रीकान्त जिलेसार	9425634090
21.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 33	श्री जितेन्द्र राठौर	9993273070
22.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 22	श्री राकेश जैन	9893687080
23.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 28	श्री इन्द्रजीत सैनी	7415181568
24.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 4	श्री दीपक गुर्जर	9981263830
25.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 3	श्री कल्याण ओझा	9827619230
26.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 12	श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी	9425134559
27.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 1,5	श्री विजय शर्मा	8349079696
28.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 24	श्री बद्रीप्रसाद	9893315509
29.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 31	श्री रामकिशोर	9893945610
30.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 29	श्री मनोज पाराशर	9425131099
31.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 35	श्री गोपालकृष्ण गुप्ता	9981279993
32.	गुना	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 30	श्री सुनील जाटव	9039872500
	विकासखण्ड गुना– ग्रामीण क्षेत्र			

33.	गुना	ऊमरी	श्री पूरन	9826870335
34.	गुना	बजरंगढ़	श्री दिनेश भार्गव	9827387003
35.	गुना	धमनार	श्री सुनील भरोसा	7869147041
36.	गुना	गुना ग्रामीण	श्री प्रदीप कुमार	9425758756
37.	गुना	पगारा	श्री करन सेन	9425785738
38.	गुना	बरखेड़ा गिर्द	श्री मिश्रीलाल/अशोक	9425134028
39.	गुना	परसोदा (उपदुकान)	श्री बहादुर सिंह	9755083020
40.	गुना	करोंद	श्री संतोष प्रजापति	9993631163
41.	गुना	माहुर	श्री दिनेश पुरी	9425797365
42.	गुना	उकावद	श्री अनिल रघुवंशी	8085896738
43.	गुना	इमझरा	श्री सत्येन्द्र सिंह रघुवंशी	9425791569
44.	गुना	गजनाई	श्री अजय सिंह रघुवंशी	9425758631
45.	गुना	मगराना	श्री बंटी	9893911889
46.	गुना	हिनोतिया	श्री दिग्विजयसिंह रघुवंशी	9993725541
47.	गुना	मानपुर	श्री लहरी सिंह यादव	9977914283
48.	गुना	म्याना	श्री रामकुकार	8085970168
49.	गुना	जमरा	श्री जगदीश सिंह रघुवंशी	9425701305
50.	गुना	जालमपुर	.श्री चन्द्रभान	9691750134
51.	गुना	सिरसी	श्री हरिओम भार्गव	9827362445
52.	गुना	मारकी महू	श्री पूरनचंद राठौर	7828627631
53.	गुना	खेरीखता	श्री सनद भार्गव	7898885522
54.	गुना	भादोरा	श्री बालक दास	9993089843
55.	गुना	अगरा	श्री वीरेन्द्र सिंह	7697673882
56.	गुना	टकनेरा	श्री रामकुमार	9893946632
57.	गुना	चकदेवपुर	श्री अनिल रघुवंशी	8959052511
58.	गुना	ढोलबाज	श्री राजबाबू शर्मा	9685224776
59.	गुना	हरिपुर	श्री हल्के	8085134860
60.	गुना	हिलगना	श्री कल्याणसिंह लोधा	9993268185
61.	गुना	छीपोन	श्री जयसिंह	9755681385
62.	गुना	खोंकर	श्री रामकुमार सिंह	7898891195
63.	गुना	नेगमा	श्री नौशाद खांन	9826185233
64.	गुना	मावन	श्री विजय	7898603636
65.	गुना	तरावटा	श्री भगवती शर्मा	9165345153
66.	गुना	रिछेरा	श्री करन सेन	9425785738
67.	गुना	गेहूंखेड़ा	श्री मनोज नामदेव	9425759107
68.	गुना	सालोदा	श्री जयमंडल	9691416574
69.	गुना	तिनस्याई	श्री कैलाश श्रीवास्तव	9753997150
70.	गुना	सांडखेडा	श्री चन्द्रभानसिंह	9691750134
71.	बमोरी	अजरोड़ा	श्री राकेश मीना	9926801038
72.	बमोरी	झागर	श्री मनोज किरार	9926210455
73.	बमोरी	मुरादपुर	श्री अशोक शर्मा	9179535162
74.	बमोरी	बमोरी	श्री प्रकाशसिंह किरार	9926255942

75.	बमोरी	चीमरामपुर	श्री डालचन्द	9406969654
76.	बमोरी	किशनगढ़ (ख्यावदा)	श्री दिनेश लोधा	9407206117
77.	बमोरी	कॉलोनी	श्री आनन्द किरार	9179673247
78.	बमोरी	गढ़लाउजारी	श्री अनिल भार्गव	9425785558
79.	बमोरी	लपचौरा (उपदुकान)	श्री ईश्वरलाल धाकड़	9407200930
80.	बमोरी	परवाह	श्री गोपालसिंह किरार	9589602038
81.	बमोरी	हमीरपुर पाठी	श्री ओमप्रकाश कश्यप	9001319937
82.	बमोरी	फतेहगढ़	श्री सुग्रीवसिंह जादोन	9926493123
83.	बमोरी	बाबड़ीखेडा (उपदुकान)	श्री सतीश बैरागी	9770332550
84.	बमोरी	कपासी	श्री कल्याण बंजारा	7354612511
85.	बमोरी	पाडोन	श्री कृष्ण कुमार किरार	8120208249
86.	बमोरी	कर्राखेडा(अटैच)	.	.
87.	बमोरी	मगरोड़ा	श्री देवकिशन मीना	9977879569
88.	बमोरी	विशनवाड़ा	श्री अशोक किरार	9425767323
89.	बमोरी	परांठ	श्री पवन किरार	9407200527
90.	बमोरी	सलैयाराम	श्री दिनेश राठोर	9425746606
91.	बमोरी	डोगरी	श्री राम किरार	9669394784
92.	बमोरी	जेहरी	श्री गोपाल सिंह कुशवाह	9425746432
93.	बमोरी	लोडेरा (झुमका)	श्री मांगीलाल	9575068882
94.	बमोरी	सेनबोर्ड कुशेपुर	श्री शिवराजसिंह किरार	7869692550
95.	राघौगढ़	वार्ड नं. 1	श्री इमरतलाल सैनी	9479323791
96.	राघौगढ़	वार्ड नं. 10,11	श्री मनमोहन पारिक	9329261443
97.	राघौगढ़	वार्ड नं. 12, 13	श्री शंकर सोनी	9425354313
98.	राघौगढ़	वार्ड नं.17, 18, 19	श्री सीताराम ढीमर	9425797411
99.	राघौगढ़	वार्ड नं. 2, 3, 4, 5	श्री बृजेश मेर	9926265650
100.	राघौगढ़	वार्ड नं. 6, 7	श्री गंगाप्रसाद	9981101011
101.	राघौगढ़	वार्ड नं. 14, 20	श्री विष्णु	9179336466
102.	राघौगढ़	वार्ड नं. 22	श्री धनश्यामदास अग्रवाल	9630170514
103.	राघौगढ़	वार्ड नं. 24	श्री अंशुमन तिवारी	8602147322
104.	राघौगढ़	वार्ड नं. 8,9	श्री कमलेश सैनी	7804915090
105.	राघौगढ़	रूठियाई, 21, 23/2	श्री शैलेन्द्र सिंह यादव	9993339105
106.	राघौगढ़	डोगर एवं वार्ड नं. 15	श्री बृजनारायण मीना	7724859985
107.	राघौगढ़	विजयपुर वार्ड नं. 16	श्री श्यामबाबू धाकड़	7509873019
108.	राघौगढ़	मधुसूदनगढ़	श्री चंदनसिंह भिलाला	9098353921
109.	राघौगढ़	मोहम्मदपुर (बहादुरपुर)	श्री कृष्णमुरारी सेलर	9893207579
110.	राघौगढ़	नलखेडा	श्री बलबंत	7879736180
111.	राघौगढ़	राघौगढ़ (ग्रामीण)	श्री रमाकांत भार्गव	9425354244 07544262231
112.	राघौगढ़	खैराई	श्री राजेश सोनी	7724859964
113.	राघौगढ़	जांगरू	श्री मनमोहन सिंह	9425133444
114.	राघौगढ़	जमनेर	राधामोहन चौकसे	8103885001
115.	राघौगढ़	गावरी	श्री गौरव सिंह चौहान	9926580437

116.	राघौगढ़	पीलाघाटा	श्री राजेन्द्र सिंह	9926859746
117.	राघौगढ़	गोविन्दपुरा	श्री राजेन्द्र सिंह	9981065789
118.	राघौगढ़	टोड़ी	श्री के0के0 अग्रवाल	9669678770
119.	राघौगढ़	झरपई	श्री सर्जनसिंह	7354444109
120.	राघौगढ़	डोंगर मोतीपुर	श्री विनोद राजपूत	7566408277
121.	राघौगढ़	बड़ाआमल्या	श्री विष्णुप्रसाद	8120417192
122.	राघौगढ़	उकावद	श्री देवेन्द्र शर्मा	9907021158
123.	राघौगढ़	दिरोली	श्री जगदीश मीना	9753072526
124.	राघौगढ़	घरनावदा	श्री राजेश जैन	7869819213
125.	राघौगढ़	बारोद	श्री सूरज सिंह	9617187743
126.	राघौगढ़	नसीरपुर	श्री होमसिंह	9926778938
127.	राघौगढ़	रामनगर	श्री जगमोहन यादव	9753871389
128.	राघौगढ़	बरईयाखेड़ा	श्री मोहन चोरसिया	9755440633
129.	राघौगढ़	आवन	श्री इमरतलाल लोधा	7566716529
130.	राघौगढ़	ब्रसत	श्री हेमराज	9893665979
131.	राघौगढ़	टोडरा	श्री विजयसिंह धाकड़	9753506569
132.	राघौगढ़	पाटन	श्री गोपालकृष्ण शर्मा	9826261593
133.	राघौगढ़	दुर्गपुरा	श्री राजेंन्द्र सिंह	9907951379
134.	राघौगढ़	बांसखेड़ी	श्री बबलेशसिंह	9753290130
135.	राघौगढ़	लक्ष्मणपुरा	श्री लाखन सिंह भील	9165228782
136.	राघौगढ़	दौराना	श्री अक्षय कुमार	9425381395
137.	राघौगढ़	चोपड़ा	श्री नंदकिशोर गुर्जर	9009872390
138.	राघौगढ़	पगारा	श्री कमलेश	9755669568
139.	राघौगढ़	बंजला	म्नमोहन सिंह	9425722874
140.	राघौगढ़	बरखेडी डॉग	श्री प्रभुलाल	9893593474
141.	राघौगढ़	नारायणपुरा	श्री ऊदल सिंह गुर्जर	8435249670
142.	आरोन	वार्ड नं0 1, 2	श्री धर्मवीरसिंह रघुवंशी	9981895400
143.	आरोन	वार्ड नं0 7, 8, 9	श्री सुरेश कुमार शर्मा	9754115915
144.	आरोन	वार्ड नं0 10, 11, 12	श्री राजेन्द्रसिंह रघुवंशी	9993922833
145.	आरोन	वार्ड नं0 3, 4	श्री हेमन्त जोशी	9926236753
146.	आरोन	वार्ड नं0 13, 14, 15	श्री हरिओम शर्मा	9584642096
147.	आरोन	वार्ड नं0 5, 6	श्री सोनी रघुवंशी	9993667271
148.	आरोन	आरोन (ग्रामीण)	श्री लालाराम साहू	9755739954
149.	आरोन	शहबाजपुर	श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव	9977321672
150.	आरोन	शहरोक	श्री लक्ष्मण सिंह यादव	7771954676
151.	आरोन	भादौर	श्री लालाराम साहू	9755739954
152.	आरोन	पनवाडीहाट	श्री धर्मेन्द्रसिंह रघुवंशी	7697433484
153.	आरोन	रामपुर	श्री दीपक जैन	9926236798
154.	आरोन	मूडरामाता	श्री रणवीरसिंह रघुवंशी	9426469387
155.	आरोन	खामखेडा	श्री अशोक सिंह रघुवंशी	9754528355
156.	आरोन	बरखेडाहाट	श्री भूरेलाल साहू	9753287174
157.	आरोन	खजूरी	श्री प्रदीप नामदेव	9752665345

158.	आरोन	सालय	श्री रणवीरसिंह रघुवंशी	9426469387
159.	आरोन	झाझोन	श्री लक्ष्मणसिंह	7771954676
160.	आरोन	कुशमान (उपदुकान	श्री रामकुमार सिंह यादव	9993772286
161.	आरोन	ककरूआ	श्री हरिसिंह यादव	9977176495
162.	आरोन	खिरियादांगी	श्री अमरपुरी गोस्वामी	9752176354
163.	आरोन	सिरसी	श्री सुनील रघुवंशी	9753970538
164.	आरोन	मूडराखुर्द	श्री रविन्द्र सिंह रघुवंशी	9926891025
165.	चाचौड़ा	डगराई (मुंहासा)	श्री पप्पू यादव	9977265445
166.	चाचौड़ा	आमखेडा सूखा	श्री कृष्णपाल सिंह यादव	8959397916
167.	चाचौडा	वार्ड नं. 14, 15	श्री प्रदुम्न शर्मा	9926624328
168.	चाचौड़ा	वार्ड नं. 4, 5, 6	श्री सन्तोष यादव	9893822565
169.	चाचौड़ा	वार्ड नं. 9, 12, 13	श्री नरेन्द्र सिंह तौमर	9893179351
170.	चाचौड	वार्ड नं. 10, 11	श्री अमित खंडेलवाल	9893530796
171.	चाचौड़ा	वार्ड नं. 1, 2, 3, 7, 8 एवं ग्राम पंचायत महेशपुरा	श्री प्रेम साहू	9589076790
172.	चाचौड़ा	कुसुमपुरा	श्री कोमल सिंह	8989836062
173.	चाचौड	ऊमरथाना	श्री ज्ञानसिंह भील	9636045407
174.	चाचौड़ा	आमासेर	श्री रामेश्वर मीना	9893702352
175.	चाचौड़ा	मेरिया खेडी	श्री मनोज गुप्ता	9981072484
176.	चाचौडा	मोहम्मदपुर	श्री रामप्रसाद साहू	9407240121
177.	चाचौड़ा	बटावदा	श्री हरिनारायण किरार	9425749188
178.	चाचौड़ा	बोरकाखेडा	श्री देवीलाल भील	8120428502
179.	चाचौड	लहरचा	श्री राधेश्याम मीना	9993556618
180.	चाचौड़ा	तेलीगांव	श्री उमराव सिंह लोधी	9981562623
181.	चाचौड़ा	खातौली	श्री अमित शर्मा	9993923071
182.	चाचौड	चकपटोंदी	श्री अरूण शर्मा	9179804780
183.	चाचौड़ा	रमडी	श्री विषणु शर्मा	9981527846
184.	चाचौड़ा	कोटरा	श्री रूपसिंह मीना	9630296513
185.	चाचौड़ा	सींगापुरा	श्री अमरतलाल सेन	9179423844
186.	चाचौड़ा	पाखरियापुरा	श्री दीपचन्द गुप्ता	9826862593
187.	चाचौडा	पेंची	श्री मजबूत सिंह मीना	9753250057
188.	चाचौड़ा	रानीखेजड़ा	श्री गुलाबसिंह मीना	9755903364
189.	चाचौड़ा	बरखेडाखुर्द	श्री चैन सिंह	8120384546
190.	चाचौडा	देदला	श्री प्रेमनारायण लोधा	9179850402
191.	चाचौड़ा	कुरवाई (मालीपुरा)	श्री अतरसिंह मीना	9893664661
192.	चाचौडा	मागरोन	श्री तेजसिंह गुर्जर	9893365945
193.	चाचौडा	फतेहपुर	श्री लालचन्द भील	9644726159
194.	चाचौडा	जलालपुरा	श्री अमृत भील	7568299183
195.	कुंभराज	वार्ड नं. 1, 2, 3	श्री मंगलेश मीना	9753671515
196.	कुंभराज	वार्ड नं. 4, 5	श्री सोनू	7697262494
197.	कुंभराज	वार्ड नं. 6, 7	श्री शैलेष मीना	9584567574
198.	कुंभराज	वार्ड नं. 8, 9, 10, 13	श्री लक्ष्मीनारायण साहू	9827623463

199.	कुंभराज	वार्ड नं. 11, 12, 14, 15	श्री कमल सिंह मीना	9755327277
200.	कुंभराज	कुम्भराज (ग्रामीण)	श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव	9893603839
201.	कुंभराज	गुलवाडा	श्री चिरोंजीलाल	9993612044
202.	कुंभराज	मृगवास	श्री कल्याणप्रसाद बैरागी	9575458686
203.	कुंभराज	सानई	श्री रामस्वरूप सिनोरिया	7724916093
204.	कुंभराज	तुलसीखेडी	श्री बाबूलाल मीना	9575833959
205.	कुंभराज	केकड्याखुर्द	श्री कदमसिंह मीना	9425196113
206.	कुंभराज	बहुखेडी	श्री नारायण सिंह मीना	9685894200
207.	कुंभराज	भमावद	श्री पवन मीना	9752709810
208.	कुंभराज	बड़ागांव	श्री सुरेश मीना	9993100375
209.	कुंभराज	बडोद	श्री नारायणसिंह मीना	9685894200
210.	कुंभराज	लंबाचक	श्री रमेश मीना	9993834096
211.	कुंभराज	खेडीकला	श्री हेतराम लोधी	9755080901
212.	कुंभराज	सींगनपुर	श्री राकेश शर्मा	9753676476
213.	कुंभराज	बांसाहेडाकलां	श्री विशन सिंह	9672306959
214.	कुंभराज	कानाखेडी	श्री सोबरन सिंह	7469151066
215.	कुंभराज	भोगीपुरा	श्री कमलसिंह	8223902394
216.	कुंभराज	लीलवेहखुर्द	श्री दिनेश नामदेव	9926963623
217.	कुंभराज	केकडीवीरान	श्री चंदन सिंह गुर्जर	7389275857
218.	कुंभराज	खानपुरा	श्री अमरसिंह गुर्जर	9754567356

(अनुलग्नक –34)

महिला एवं बाल बिकास के जिला परियोजना अधिकारी का नाम,पता,टेलीफोन,मोबाईल नम्बर

क्र.	अधिकारी का नाम	पद	पता	टेलीफोन ऑफिस	मोबाईल
1	श्री आर.सी.त्रिपाठी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	जिला कार्यक्रम कार्यालय गुना	250168	9425472915

(अनुलग्नक–35)

पूर्व तैयारी हेतु चेक लिस्ट

क्र0	गतिविधि	उप गतिविधि	नोड्ल विभाग	फालोअप	समय
1	**जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन**	रिव्यू बैठक (छः माही)	राजस्व विभाग	अध्यक्ष डीडीएमए	तीन माह
2	**क्षमता निर्माण अधिकारी / पंचायत / समुदाय**	विभागवार अधिकारियों का चिन्हिकरण एवं सूचीकरण। सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियेां का चिन्हिकरण एवं प्रशिक्षण। स्वयंसेवी संगठनों का चिन्हिकरण एवं प्रशिक्षण। सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयेाजन।	पंचायत विभाग	सचिव डीडीएमए	छः माह
3	**पूर्व चेतावनी प्रसारण**	तंत्र का विकास। उपयोगी उपकरण की पहचान एवं स्थापना।	पुलिस विभाग	सचिव डीडीएमए	छः माह
4	**अनुक्रिया दलो का गठन एवं प्रशिक्षण**	आपदा अनुक्रिया हेतु अधिकारियो / कर्मचारियो की विभागवार पहचान एवं सूचीकरण। स्वेच्छिक कार्यकर्ताओ की पहचान एवं सूचीकरण।	राजस्व विभाग	सचिव डीडीएमए	एक वर्ष
5	**खतरो की पहचान**	जिले मे विद्यमान प्रमुख खतरों की पहचान।	राजस्व विभाग	सचिव डीडीएमए	तीन माह
6	**संवेदनशील क्षेत्रो / जनसंख्या / परिवारों की पहचान**	प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान। प्रमुख संवेदनशील जनसंख्या की पहचान।	राजस्व विभाग	सचिव डीडीएमए	तीन माह
7	**संवेदनशील**	विभिन्न खतरो से संवेदनशील गांवो का	पंचायत	सचिव	दो

	जनसंख्या हेतु जनजागरूकता	सूचीकरण। विभिन्न खतरों से संवेदनशील जनसंख्या की पहचान। जनजागरूकता कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन। स्वेच्छिक कार्यकर्ताओं का चयन एवं प्रशिक्षण।	विभाग	डीडीएमए	वर्ष
8	**संसाधनों की पहचान एवं सूचीकरण**	तहसीलवार संसाधनों की पहचान एवं सूचीकरण।	राजस्व विभाग	सचिव डीडीएमए	एक वर्ष
9	**प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक चिकित्सा विषयक प्रशिक्षण**	खतरेवार प्रशिक्षण माड्यूल का विकास। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण का आयोजन।	स्वास्थ्य विभाग	सचिव डीडीएमए	एक वर्ष
10	**समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन**	स्वयंसेवी संगठनों की पहचान एवं प्रशिक्षण। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन।	पंचायत विभाग	सचिव डीडीएमए	दो वर्ष
11	**आपात दूरभाष नं0 की स्थापना**	आपात दूरभाष नं0 की स्थापना एवं क्रियान्वयन। आपात दूरभाष नं0 के विषय में जनजागरूकता।	दूरसंचार विभाग	सचिव डीडीएमए	दो वर्ष
12	**नगर/ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का अभिमुखी–करण एवं प्रशिक्षण**	सदस्यों की पहचान। प्रशिक्षकों की पहचान। माड्यूल का विकास। प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन।	पंचायत विभाग	सचिव डीडीएमए	दो वर्ष
13	**आपात क्रिया केन्द्र**	स्थल की पहचान।	राजस्व विभाग	सचिव डीडीएमए	दो वर्ष

	की स्थापना	उपकरण एवं सामग्री की पहचान एवं स्थापना। अधिकारी/कर्मचारियों की पहचान एवं पदस्थापना।			
14	**जिला आपदा प्रबंध कार्य योजना में निरन्तर संशोधन**	बैठक की तिथि का निर्धारण्झं बैठको का निरन्तर आयोजन। संलग्न अनुलग्नकों का निरन्तर संशोधन	राजस्व विभाग	सचिव डीडीएमए	छः माह
15	**अवास्तविक अभ्यास**	अवास्तविक अभ्यास हेतु तिथि एवं स्थल का चयन। अवास्तविक अभ्यास में भागीदारी करने वाले अधिकारियो/कर्मचारियों की विभागवार पहचान। अवास्तविक अभ्यास आयोजन करने हेतु संदर्भ संस्था/विभाग की पहचान।	राजस्व विभाग	सचिव डीडीएमए	एक वर्ष
16	**संगठनात्मक मानक व्यवस्था**	आपदा के दौरान विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यो का विवरण। आपदा अनुक्रिया दलों में भागीदारी करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों का विभागवार विवरण। विभिन्न विभागों द्वारा आपदा रोकथाम, पूर्व तैयारी, शमन अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य।	राजस्व विभाग	सचिव डीडीएमए	एक वर्ष

(अनुलग्नक–36)

शमन गतिविधियाँ जिला–गुना

क्र0	खतरा	संभावित प्रभाव	शमन गतिविधि	क्रियान्वयन हेतु नोड्ल विभाग
1	**बाढ़**	सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा एवं गुना जिलों में लगातार वर्षा होने एवं परिणामास्वरूप भदभदा एवं कलियासोत डैम के गेट खुलने से जिले में मुख्यतः पार्वती नदी में एवं उसके उसकी सहायक नदियों में बाढ की सम्भावना बन जाती है। इसके कारण कूनों एवं सिंध नदी में भी पानी बढ जाता है परिणामस्वरूप इन नदियों के किनारे बसे ग्राम तथा निचले क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण प्रभावित होते हैं। जिले में मुख्यतः 42 गॉव बाढ की चपेट में आते हैं जिनमें से सात गॉव बाढ हेतु अतिसंवेदनशील हैं। (विस्तृत विवरण हेतु देखें अध्याय–2)	जिले में बाढ़ के पूर्व इतिहास के आधार पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तहसीलवार पहचान एवं सूचीकरण।	राजस्व विभाग
			चिन्हित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों/स्थलों/ग्रामों में जहॉ से बाढ़ का पानी सर्वप्रथम प्रवेश करता है उन स्थलों पर आवश्यकतानुरूप सुरक्षा दीवाल एवं किनारों का विकास।	सिंचाई विभाग
			जिले की बाढ़ उत्प्लावन नदियों के प्राकृतिक बहाव क्षेत्रों (Natural Detention Basin) का चिन्हिकरण एवं विकास।	सिंचाई विभाग
			बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों/गांवों में चेक डेम, स्टाप डेम, रिर्जव वायर, का निर्माण।	जिला पंचायत
			जिले में स्थिति प्रमुख बांधों के अधिकारियों के बीच समन्वय एवं सूचना तंत्र स्थापन एवं क्रियान्वयन।	सिंचाई विभाग
			बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी हेतु प्रभावी कार्य योजना।	न्गरपालिका /नगर पंचायत,
			बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों/स्थलों/गांवों में बाढ़ के पानी के दिशा परिवर्तन हेतु आवश्यकता अनुरूप निर्माण।	सिंचाई विभाग
			वर्षा जल संचयन कार्य योजना निर्मित एवं लागू की जायेगी।	राजस्व विभाग
			बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोकने हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम।	वन विभाग
			जिले की प्रमुख नदियों पर जलस्तर मापक केन्द्रों की स्थापना।	सिंचाई विभाग

क्र0	खतरा	संभावित प्रभाव	शमन गतिविधि	क्रियान्वयन हेतु नोड्ल विभाग
			बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विशेष मानचित्रण जिसमें नदी के बहाव की दिशा, जल निकास क्षेत्र एवं उसकी दिशा, प्रभावित होने वाले गांवो, सड़कों, कस्बों, नगरों, प्रमुख संरचनाओं इत्यादि का चित्रण।	सिंचाई विभाग
			जागरूकता स्थानीय जनसमुदाय/संस्थाओं /विभागों को बाढ़ से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान कर आई0ई0सी0 (सूचना संचार संप्रेषण) द्वारा जागरूक एवं गतिशील करना।	शिक्षा विभाग
			बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को विभिन्न बीमा संबंधी जानकारी प्रदत्त करते हुए उपयोग हेतु प्रेरित करना।	जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत
			प्रतिवर्ष मानसून आने के पहले बांधों का समुचित रख–रखाव एवं आवश्यक निर्माण या मरम्मत कार्य।	सिंचाई विभाग
			बांध के निचले हिस्सें में प्रभावित नदी–नाले पर जलस्तर के लिए संकेतक का निर्माण।	सिंचाई विभाग
			वैकल्पिक पुर्नवास की व्यवस्था एवं आवश्यक निर्माण।	लोक निर्माण विभाग
			आपात स्थिति में बॉध के पानी का दिशा परिवर्तन हेतु आवश्यक निर्माण एवं उपाय।	लोक निर्माण विभाग
			समुदाय के लोगों को सम्भावित घटनाओं के संबंध में जागरूक करना।	शिक्षा विभाग
			बॉध अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के बीच सूचना तंत्र की स्थापना।	राजस्व विभाग
			बांध के निचले हिस्से में प्रभावित होने वाली जनसंख्या/क्षेत्रों को चिन्हिकरण एवं सूचीकरण।	सिंचाई विभाग
2.	**औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटनाय**	जिले की राघौगढ एवं गुना तहसील औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना के लिए सर्वाधिक संवेदनशील हैं।गेल, आई0ओ0सी0एल0 एवं एन0एफ0एल0	फैक्ट्री के निर्माण के समय ही यह सुनिश्चित करना कि फैक्ट्री द्वारा कम से कम खतरे उत्पन्न हो	औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग

		जैसी बडी औद्योगिक इकाईयॉ जिले में विद्यमान हैं इन औद्योगिक इकाईयों में खतरनाक गैसों/रसायनों जैसे अमोनिया, पेट्रोल, एल0पी0जी0 का भंडारण तथा परिवहन भी किया जाता है। यद्यपि इन औद्योगिक इकाईयों में समय–समय पर कुछ छोटे–छोटे हादसे हुये भी परंतु इकाई स्थित संसाधनों द्वारा उनका नियंत्रण किया जाता रहा है।	औद्योगिक क्षेत्र में भूकंपरोधी इमरतों को ही निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करना	औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग
			आदर्श भू उपयोग योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन	फैक्ट्री प्रशासन
			फैक्ट्री में चलित स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना	फैक्ट्री प्रशासन
			फैक्ट्री में आपातकालीन निकास हेतु आवश्यक व्यवस्था	फैक्ट्री प्रशासन
			अलार्म सिस्टम की मानिटरिंग	फैक्ट्री प्रशासन
			फैक्ट्री के मजदूरों को सुरक्षा संबंधी ''क्या करें, क्या न करे'' पर उचित प्रशिक्षण	फैक्ट्री प्रशासन
			ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था	फैक्ट्री प्रशासन
			औद्योगिक क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के विषय में जानकारी आदान प्रदान हेतु नियमित बैठकें आयोजित की जायेंगी।	फैक्ट्री प्रशासन
3.	**सड़क दुर्घटनाएं**	जिला गुना से 125 कि0मी0 आगरा मुम्बई राष्टीय राजमार्ग गुजरता है जिससे 03 तहसीलें गुना, राघोगढ, चाचोडा सर्वाधिक संवेदनशील हैं। इस राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर 19 ऐसे स्थल चिन्हित किये गये हैं, जो सर्वाधिक संवेदनशील हैं एवं जहां सर्वाधिक दुर्घटनायें होती है। जिले में प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटना के कारण लगभग 200 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है।	पूर्व चिन्हित दुर्घटना स्थलों पर आवश्यकता अनुरूप दो लेन (Two Lane) सड़क निर्माण।	लोक निर्माण विभाग
			संभावित दुर्घटना स्थलों पर आवश्यक साइन बोर्ड की स्थापना।	लोक निर्माण विभाग
			राष्ट्रीय, राज्य, मुख्य मार्गो पर लगने वाले हाट बाजारों को विस्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही।	नगर पालिका, नगर पंचायत
			पुल–पुलियों की साइड रैलिंग का निर्माण, मरम्मत एवं रख–रखाव।	लोक निर्माण विभाग
			सड़कों की मार्किंग।	लोक निर्माण विभाग
			बेहतर एवं त्वरित चिकित्सा हेतु पूर्व चिन्हांकित दुर्घटना संभावित स्थलों पर ट्रामा मोबाईल वेनों की तैनातीं।	स्वास्थ्य विभाग
			संभावित दुर्घटना स्थलों, प्रमुख चौराहों, पर वाहन की गति कम करने हेतु रम्मबल स्ट्रीप का निर्माण।	लोक निर्माण विभाग
			निरंतर हाइवे पेट्रोलिंग।	पुलिस विभाग
			चिन्हांकित दुर्घटना स्थलों पर पिकेट की स्थापना।	पुलिस विभाग
			मोबाईल मेडिकल टीम का गठन एवं क्रियाशीलता।	स्वास्थ्य विभाग
			चिन्हांकि तदुर्घटना संभावित स्थलों पर कार्यरत पुलिस बल को प्राथमिक उपचार विषयक प्रशिक्षण।	स्वास्थ्य विभाग

			सीट बेल्ट व हेलमेट संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन।	पुलिस विभाग
			यातायात नियमों का पालन करने वालों को समय–समय पर प्रोत्साहन।	राजस्व विभाग
			खुले घूमने वाले पशुओं को कांजी हाउस में बन्द किया जायेगा एवं इस संदर्भ में लगातार मानिटरिंग एवं सुपरविजन।	नगर पालिका, नगर पंचायत
			राष्ट्रीय राजमार्गों, मुख्य मार्गों, पर निवास करने वालें परिवारों/समुदायों को यातायात नियमों के विषय में जागरूकता।	परिवहन विभाग
4.	**खतरनाक रसायनों का परिवहन एवं भण्डारण**		रासायनिक सामग्री भण्डारण हेतु सुरक्षित स्थान का चिन्हांकन।	औद्योगिक स्वास्य एवं सुरक्षा विभाग
			रासायनिक सामग्री का सुरक्षित भण्डारण एवं यातायात की समय–समय पर सुरक्षा सम्बंधी जॉच।	औद्योगिक स्वास्य एवं सुरक्षा विभाग
			रासायनिक सामग्री का यातायात करने वाले वाहनों का आबादी क्षेत्र में रूकना प्रतिबंधित करना।	पुलिस विभाग
			खतरनाक रसायनों के विषय में जन समुदाय को जागरूक करना।	औद्योगिक स्वास्य एवं सुरक्षा विभाग
			आपात स्थिति में बचाव एवं सुरक्षा हेतु प्रमुख राष्ट्रीय राज्य मार्गो पर स्थिति प्रमुख पुलिस थानो/पुलिस बलों का प्रशिक्षण।	औद्योगिक स्वास्य एवं सुरक्षा विभाग
5.	**सूखा**	जिले का लगभग सम्पूर्ण भाग सूखे से प्रभावित होता है; प्रमुख रूप से चाचोडा तहसील अधिक प्रभावित होती है।	वर्षा जल संचयन।	जिला पंचायत, जनपद पंचायत
			जलाशय, गहरीकरण एवं निर्माण।	जिला पंचायत, जनपद पंचायत
			वृक्षारोपण।	वन विभाग
			भू–जल सुधार हेतु आवश्यक जैसे– स्टाप डेम, चेक डेम, सोख्ता गड्ढ़े इत्यादि का निर्माण।	जिला पंचायत, जनपद पंचायत
			अल्पवर्षा आधारित फसलों के विषय मे किसानों को जानकारी एवं प्रशिक्षण।	कृषि विभाग
			सहकारी समितियों का गठन एवं क्रियाशीलता	सहकारी समिति
			सूखाग्रस्त क्षेत्रों का चिन्हांकन	राजस्व विभाग
			सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की क्षमता का निर्माण।	राजस्व विभाग
			जल संसाधन स्त्रोतों के	लोक स्वास्थ्य एवं

			उपयुक्त उपयोग हेतु जिला स्तर पर तंत्र का विकास।	यांत्रिकी
			सिंचाई क्षेत्र का विस्तार।	सिंचाई विभाग
			अनाज बैंक की स्थापना।	जिला पंचायत, जनपद पंचायत
			कृषि बीमा को प्रोत्साहन तथा जिले में कार्यरत विभिन्न बीमा कंपनियों के सहयोग से किसानों को जागरूक एवं गतिशील करने हेतु बीमा प्रोत्साहन केम्पों का आयोजन।	जिला पंचायत, जनपद पंचायत
			जल स्त्रोतों के बेहतर रख–रखाव हेतु समुदाय को जागरूक एवं गतिशील किया जायेगा।	जिला पंचायत, जनपद पंचायत
			ग्राम स्तर पर सूखा–राहत कोष की स्थापना।	जिला पंचायत, जनपद पंचायत
			भू–जल संवर्धन एवं जल संरक्षण हेतु आवश्यक निर्माण।	जिला पंचायत, जनपद पंचायत
6.	**भूकम्प**	भूगर्भीय विश्लेषण के अनुसार जिला गुना सिसमिक जोन–2 में स्थित है अतः भूकम्प का खतरा जिला गुना में विद्यमान है।	आवश्यकतानुसार सायरन की व्यवस्था तथा इस विषय में जन समुदाय को जागरूक करना।	सिंचाई विभाग
			भूकम्परोधी मकानों के निर्माण से सम्बंधित कानूनों एवं मानकों का कडाई से अनुपालन।	नगरपालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत
			आधारभूत सेवाओं से संबधित संरचनाओं का मजबूतीकरण। प्रथम चरण में जिला अड़वानीके दो प्रमुख भवनों जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला अस्पताल के दृढीकरण एवं मजबूतीकरण।	लोक निर्माण विभाग
			भू–उपयोग योजना	नगरपालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत
			जन–जागरूकता	शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग
7.	**मेला एवं त्योहार संबंधी आपदायें**	गुना जिले में बहुत सी जगहों पर धार्मिक एवं अन्य मेलों का आयोजन किया जाता है जिसमें कई स्थानों पर हजारों की संख्या में जन समुदाय एकत्र होता हैं अतः इन स्थलों पर मेला से सम्बंधित होने वाले हादसों का खतरा बना रहता है। (विस्तृत विवरण हेतु देखें अध्याय–2)	आवश्यक बैरीकेट्स का निमार्ण।	राजस्व विभाग
			मेला स्थलों पर कूडादान की व्यवस्था।	नगर पालिका, नगर पंचायत
			स्वच्छ पेयजल एवं स्थाई या अस्थाई शौचालयों का निर्माण।	नगर पालिक, नगर पंचायत
			वाहन पार्किंग व्यवस्था।	नगर पालिका, नगर पंचायत
			आवागमन के मार्गों का निर्माण एवं निर्धारण।	लोक निर्माण विभाग
			प्राथमिक चिकित्सा कक्ष की स्थापना एवं आपात स्थिति में चिकित्सा वाहन की तैनाती।	स्वास्थ्य विभाग

			खोये हुए व्यक्तियों की जानकारी हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना।	पुलिस विभाग
			क्लोज सर्किट कैमरों की स्थापना।	जिला प्रशासन / राजस्व विभाग
			मेटल डिटेक्टर गेटों की स्थापना।	पुलिस
			मेला आयोजन समिति का गठन एवं समय–समय पर बैठकों का आयोजन।	पुलिस
			मेला आयोजन का प्लान, रूट चार्ट तैयार करना।	राजस्व
			मेला सम्बंधी आवश्यक निर्देशों के पालनार्थ जन जागरूकता।	नगर पालिका, नगर पंचायत
			अफवाह एवं भगदड से बचने के लिए आवश्यक उपाय।	पुलिस
			आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती।	पुलिस
8.	**आग**	बम्होरी, चाचौड, राघौगढ, आरोन तहसीलें सर्वाधिक प्रभावित होती हैं।		
	घरेलू आग		विद्युत तार का उचित एवं सुरक्षित उपयोग।	बिजली विभाग
			पूर्व चिन्हित खतरनाक स्थानों व उप केन्द्रों पर अग्निशमन उपकरणों एवं वाहनों की तैनाती।	बिजली विभाग
			बड़े भवनों में आपात मार्गों का निर्माण।	लोक निर्माण विभाग
			अलार्म व्यवस्था की स्थापना।	लोक निर्माण विभाग
			भवन निर्माण के समय आग बुझाने के लिए पानी के संग्रह की व्यवस्था सुनिस्चित करना।	नगर पालिका, नगर पंचायत
			आग से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में समुदाय को जागरूक करना।	शिक्षा विभाग
			रसोई गैस के उपयोग हेतु जनजागरूकता एवं प्रशिक्षित।	भारत पेट्रोलिय, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम
			ज्वलनशील पदार्थों के रख रखाव विषयक जनजाकरूकता	भारत पेट्रोलिय, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम
	जंगल की आग	बम्होरी, चाचौड, राघौगढ, आरोन तहसीलें सर्वाधिक प्रभावित होती हैं।	आग फैलने से रोकनें हेतु ट्रेंच का निर्माण।	वन विभाग
			जल संग्रहण संरचनाओं का चिन्हिांकन एवं निर्माण।	वन विभाग
			आग फैलने से रोकने हेतु थानों पर (04 थानों पर 01) अग्निशमन वाहन की तैनाती।	जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण

			निगरानी दल का गठन,	वन विभाग
			वन क्षेत्र के पटवारी, ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से जनजागरूकता।	वन विभाग
			संभावित खतरों के विषय में वनक्षेत्र में मुनादी कर वनवासियों को आगाह कराना।	वन विभाग
			निकटतम फायर बिग्रेड एवं पानी के संसाधनों की सूची का निर्माण एवं उपलब्धता। वन पशुओं की बसाहट की पहचान एवं इनकों बचाने हेतु सावधानी।	वन विभाग
			तेन्दू पत्ता एवं महुआ संग्रहण के स्थलों को सुरक्षित रखने हेतु सरपंच एवं सचिवों के माध्यम से ग्रामों में मुनादी कराकर सर्तक करना एवं ज्वलनशील पदार्थो को वनक्षेत्र में प्रतिबंधित करना।	वन विभाग
			नरबाई जलाने की प्रथा को कम करने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।	पंचायत विभाग
10.	**खदान सम्बंधी दुर्घटनायें**	जिला गुना में खदान सम्बंधी दुर्घटनायों को भी एक प्रमुख खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। जिले की गुना तहसील में सर्वाधिक खदानें मौजूद हैं।	खदान में सुरक्षा सम्बंधी आवश्यक निमार्ण कार्य	खनन विभाग
			संवेदनशील खदानों का सूचीकरण एवं चिन्हीकरण	खनन विभाग
			सूचना तंत्र की स्थापना।	खनन विभाग
			सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिस्चित करना	खनन विभाग
			सुरक्षा उपकरणों की जानकारी।	खनन विभाग
			ओपनकास्ट, खदानों की पहचान एवं सत्त निरीक्षण करना।	खनन विभाग
			आस–पास के रहवासियों की जागरूकता	खनन विभाग
11.	**रेल दुर्घटनायें**	जिला गुना में रेल दुर्घटना को भी एक प्रमुख खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। यहॉ पर रेल से सम्बधित कई हादसे हुये हैं जिनमें प्रमुख रूप से 10 वर्ष पूर्व धनावदा एवं राजस्थान बार्डर	जिले के समस्त रेल्वे क्रासिंग पर बैरियर का निमार्ण।	रेल्वे विभाग
			बैरियर के एक कि0मी0 पूर्व से साइन बोर्ड की स्थापना।	लोक निर्माण विभाग
			रेल्वे फाटकों के पास रम्बल	लोक निर्माण

		पर जबरदस्त हादसा हुआ था। गुना शहर में कैंट क्रासिंग पर बस एवं रेल का टक्कर हुआ था। जिला गुना में रेल मार्ग मुख्यतः तहसील गुना, चाचोडा, राघौगढ से गुजरती है।	स्ट्रीप का निर्माण।	विभाग
			सभी मानव रहित रेल्वे फाटकों को मानव युक्त किया जायेगा।	रेल्वे विभाग
			रेल्वे यातायात के नियमों के प्रति जन समुदाय को जागरूक किया जायेगा।	शिक्षा विभाग
			रेल में सफर करनें वाले यात्रियों को सुरक्षा सम्बंधी जानकारी प्रदान करना। ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा न करने के लिए जागरूक करना।	रेल्वे सुरक्षा बल
12.	**महामारी**	गुना में महामारी को भी एक प्रमुख खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है।	गंदे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था एवं नाली का निर्माण।	नगर पालिका, नगर पंचायत
			कूडा–कचडा निस्तारण की उचित व्यवस्था एवं कुडेदान का निर्माण।	नगर पालिका, नगर पंचायत
			स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण।	नगर पालिका, नगर पंचायत
			समय–समय पर डी.डी.टी. एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिडकाव।	नगर पालिका, नगर पंचायत
			मृत पशुओं के निस्तारण हेतु जगह का निर्धारण।	नगर पालिका, नगर पंचायत
			चिन्हिांकित संवेदनशील क्षेत्रों में समय–समय पर विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।	स्वास्थ्य विभाग
			महामारी फैलने के कारणों एवं रोकथाम के उपायों के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों जैसे– दीवार लेखन, नुक्कड नाटक, लोक गीत, इत्यादि, का आयोजन।	स्वास्थ्य विभाग

(अनुलग्नक–37)

भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीकी

भवन रूपांकण के पहलू

भारतीय मानक ब्यूरों ने भूकम्परोधी निर्माण से सम्बन्धित मूलभूत कोड प्रतिपादित किया है। विभिन्न मानकों के प्रतिपादन में परिकल्पन के निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है:

- यह सुनिश्चित करना की संरचना में कम से कम छोटे भूकम्पों को सहन करने हेतु न्यूनतम बल मौजूद हो।
- बगैर किसी अवलोकनीय क्षति के जीवन में एक बार आने वाली मध्यम स्तर के भूकंप के प्रतिरोध हेतु बनाये गये भवनों का इस अध्याय में भूकंपरोधी भवन निर्माण का आधार बनाया गया है।
- किसी क्षेत्र में अधिकतम क्षमता वाले बड़े भूकंप के दौरान, भवन संरचना बगैर गिरे खड़ा रह सकें।
- भूकंप सुरक्षा हेतु वर्तमान कानूनी प्रावधानों की कमजोरियों को देखते हुए राज्य शासन द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त ''भूमि विकास नियम–1984'' में संशोधन किया गया है। इसे सन्दर्भ हेतु ''मध्यप्रदेश राज्य पत्र 1988'' के परिशिष्ट–5.1 पर देखा जा सकता है।

- **प्रमुख मानक**

- उपरोक्त रूपांकन परिकल्पना के तारतम्य में निम्नांकित प्रमुख भारतीय मानकों (आई.एस.कोड.) को प्रतिपादित किया गया है : –

आई0एस0 1893	संरचनाओं के भूकंपरोधी रूपांकन हेतु मापदंड (वर्ष 2002 में पुनरिक्षित)
आई0एस0 4326	भूकंपरोधी रूपांकन एवं भवनों का निर्माण अभ्यास संहिता, वर्ष 1993 में पुनरीक्षित
आई0एस0 13828	कम शक्तिशाली चिनाई की हुई भवनों में भूकंपरोधिता बढ़ाने हेतु मार्गदर्शिका (वर्ष 1993 संस्करण)
आई0एस0 13827	मिट्टी के बने हुए कच्चे भवनों में भूकंपरोधिता बढ़ाने हेतु मार्गदर्शिका (वर्ष 1993 संस्करण)
आई0एस0 13920	भूकंपीय बलों के प्रभाव में प्रबलित कंक्रीट संरचना के तन्यता विवरण हेतु अभ्यास संहिता (वर्ष 1993 में प्रकाशित)

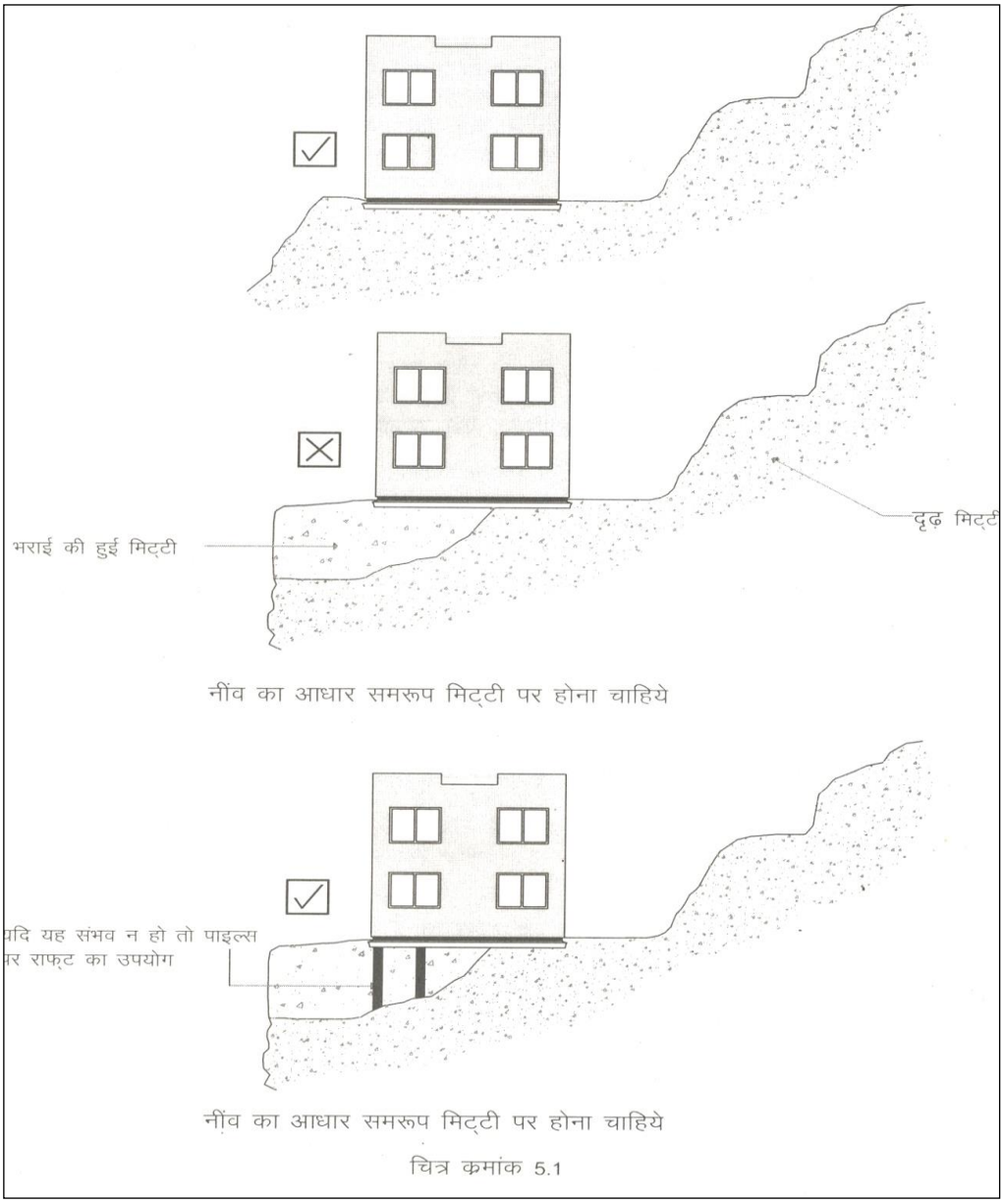

चित्र क्रमांक 5.1

मार्गदर्शी सिद्धांत

निर्माण के दौरान भूकंप प्रतिरोधी अव्यवों को समाहित करने हेतु आई0एस0कोड0 4326 में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों को चिन्हित किया गया है, जो निम्नानुसार है : –

- विन्यास
- हल्कापन
- निर्माण की तारतम्यता
- खुले हिस्से की सीमाएं

- नींव की स्थायित्व हेतु निम्नांकित को विशेषकर संदर्भित करें : –
  - कम गहरे नींव हेतु आई0एस0कोड0 1080 एवं आई0एस0 1904
  - बेडेनुमा (राफ्ट) आई0एस0कोड0 2950
  - पाईल नींव आई0एस0कोड0 2911 (तीन भागों में)
- संरचनाओं की तन्यता
- गैर संरचनात्मक भागों से जुड़ाव
- संरचनाओं का अलगाव
- अग्नि सुरक्षा के पहलू

स्थल का चुनाव

धरातल के स्थायित्व के विशेष संदर्भ में, भवन निर्माण हेतु एक उचित स्थल का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस सन्दर्भ में निम्नांकित पहलू विचारणीय है : –

- **ढाल का स्थायित्व :** सामान्यतः समतल स्थल, ढलान वाले स्थल अथवा पहाड़ी की अपेक्षा निर्माण हेतु ज्यादा श्रेयस्कर है। यदि पहाड़ियों के ढलान पर भवन निर्माण करने की मजबूरी हो तो स्थायी ढलान चुनना चाहिए। (चित्र क्र0 5.1)
- बड़े संरचनाओं हेतु, एक बड़े खण्ड जिसका आधार विभिन्न ऊंचाई पर हो, की अपेक्षा सीढ़ीनुमा खण्ड को प्राथमिकता देना ज्यादा उचित है।
- चट्टानों का स्खलन वाले स्थलों के चुनाव से बचना चाहिए।
- पुनः भरण क्षेत्र

विशेषकर भूकंपसंवेदी क्षेत्रों में ऐसे स्थलों के चुनाव के बचना चाहिए। यदि ऐसे स्थलों पर भवन निर्माण करने की मजबूरी हो तो ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों की सलाह से मिट्टी की सहनशक्ति की जॉच करने के पश्चात् नींव का रूपांकन एवं इसकी शक्ति का उचित चुनाव करना चाहिए।

मिट्टी का परीक्षण एवं सूक्ष्म परिक्षेत्रीकरण : जहॉ तक संभव हो भूकंप के दौरान संभावित अधिकतम तीव्रता को तय करने हेतु सूक्ष्म परिक्षेत्रीकरण से सम्बन्धित सूचनाओं को प्राप्त करना चाहिए। वर्तमान में, जबलपुर की सूक्ष्म परिक्षेत्रण अध्ययन समाप्ति की ओर है एवं शहर में अधिकतर क्षेत्रों की सूक्ष्म परिक्षेत्रण से सम्बन्धित सुचनायें उपलब्ध हो सकती है। किसी भी स्थिति में, स्थल की मिट्टी की सहन शक्ति की जॉच कर लेनी चाहिए एवं तद्नुसार भवन व रूपांकन करना चाहिए।

मिट्टी के मापदण्ड एवं नींव

सामान्यतः मिट्टी का वर्गीकरण (100 कि.न्यु./मी^{2} की सहन शक्ति) एवं मुलायम (100 कि न्यूटन/मी^{2} से कम की शक्ति) के रूप में किया जाता है।

- **मिट्टी** : भूकंपीय क्षेत्र–3 में, किसी भी प्रकार के नींव का निर्माण कठोर मिट्टी में किया जा सकता है। भूकंपीय क्षेत्र–4 में बहुमंजली इमारतों के निर्माण के दौरान आर0सी0सी0 कॉलम को प्लीन्थ तक नीचे कांक्रीट बीम के साथ जोड़ना आवश्ययक है। इसके पूर्ण विवरण हेतु आई0एस0कोड0 4326 देखें।
- **मुलायम मिट्टी :** भवन के सम्पूर्ण स्थायित्व हेतु मुलायम मिट्टी में निर्माण के दौरान, नींव के रूपांकन एवं निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः उचित होगा कि जिस प्रकार के भवन का निर्माण प्रस्तावित है, उसमें सम्बन्धित विवरण हेतु आई0एस0कोड0 को संदर्भित किया जाए। बेडेनुमा नींव हेतु आई0एस0कोड0 2911 मुलायम मिट्टी में आर0सी0सी0 नींव हेतु चित्र क्र0 5.0 **अ** एवं काली कपासीय मिट्टी में छल्ले के अन्दर लट्ठानुमा नींव हेतु चित्र क्र0 5.2 **ब** देखें।
- **अत्यन्त ढीली बलुई और संवेदनशील कीचड़नुमा मिट्टी :** भूकंप के दौरान ऐसी मिट्टी में संहनन एवं संसक्ति की संभावना होती है। परिणामस्वरूप मिट्टी का असमान जमाव भवनों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे स्थलों पर भवन निर्माण से बचना चाहिए।
- **द्रवीकरण :** भूकम्प के दौरान बुलई मिट्टी जिसके नीचे जल का उच्च स्तर हो, द्रवित होकर अपनी प्रतिरोधी क्षमता को खो सकते है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि केवल उन्हीं स्थलों का चुनाव किया जाए जिनमें उपयुक्त सहन शक्ति हों। इसके अतिरिक्त, ऐसे स्थलों का सुधार उपयुक्त जल निकास द्वारा जलजमाव को रोककर किया जा सकता है।

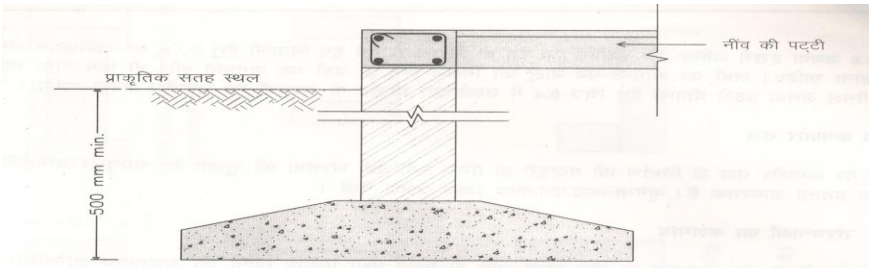

मुलायम मिट्टी एवं दो से अधिक मंजिल के भवन हेतु आर सी नींव
चित्र कमांक 5.2 (अ)

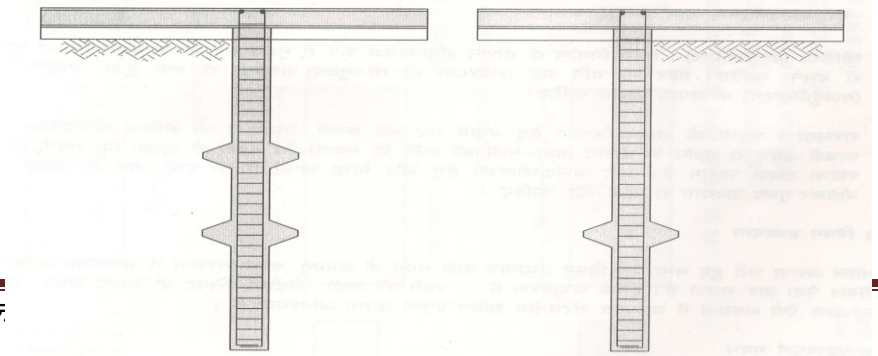

काली कपासिय मिट्टी हेतु छल्लेनुमा खम्बें (अंडर रीम पाईल्स) की नींव
चित्र कमांक 5.2 (ब)

रूपांकण मापदण्ड

समरूपता

भवनों के रूपांकण में समरूपता की कमी अथवा भवन योजना या अग्रभाग कोण में अनियमितता के कारण भूकंप के दौरान भवनों में मरोड़जनित प्रभाव आ सकता है। यह मरोड़जनित प्रतिबल भवनों को व्यापक क्षति पहुंचा सकता है अथवा भवन ढ़ह सकते है।

- जहॉ तक संभव हो, दरवाजे एवं खिडकियों के स्थानों एवं आकार का चुनाव भी भवन के समरूपता को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, L, T, U, H एवं P आकार के भवनों के निर्माण से बचना चाहिए।

क्रमबद्धता

मुख्य भवन खण्ड से एक से अधिक बाहर निकले हुए भाग की अपेक्षा साधारण आयताकारिय आकृति का भवन भूकम्प के दौरान बेहतर प्रदर्शन करता है। अतः यह आवश्यक है कि भवन के खण्ड की लंबाई को इसकी चौड़ाई से तीन गुना तक ही सीमित रखी जाए। यदि अधिक लंबाई के खण्ड की आवश्यकता हो तो, दो अलग–अलग खण्ड जिनके बीच उपयुक्त स्थल रिक्त हो का निर्माण करना चाहिए। चित्र क्र0 5.3 संदर्भित करें।

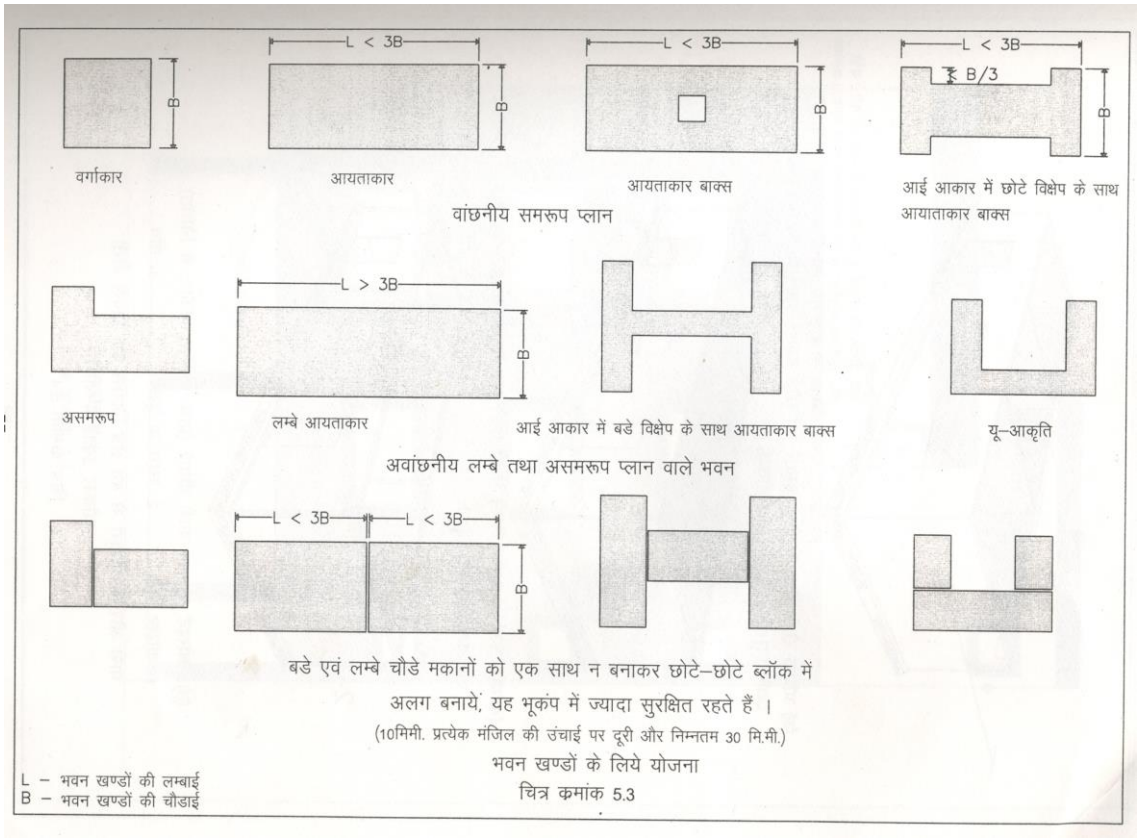

चित्र कमांक 5.3

आन्तरिक विन्यास

समान क्रम पर एक दूसरे से जुड़े हुए अनुप्रस्थ दीवारों द्वारा लम्बे दीवालों में मजबूती प्रदान किया जाता है। अतः संरचना की दृष्टि से एक लम्बे कमरे की अपेक्षा अलग–अलग घिरा हुआ कमरा बनाना ज्यादा उपयुक्त है। (चित्र 5.4) यदि बिना चौखट की दीवार जिसकी मोटाई 4 हो तथा दीवालों के बीच की दूरी 9 हो तो 1:6 अथवा इससे अधिक कि सीमेन्ट एवं रेल के मिश्रण से बने हुए दीवालों हेतु 9/4 का अधिकतम अनुपात 40 होना चाहिए। जहॉ पर सीमेन्ट एवं बालू का मिश्रण कम हो वहॉ यह अनुपात और भी कम होना चाहिए। बड़े पैनल पहले दीवारों हेतु चित्र 5.4 में उल्लेखित चौखट के अवयवों का समावेश करना चाहिए।

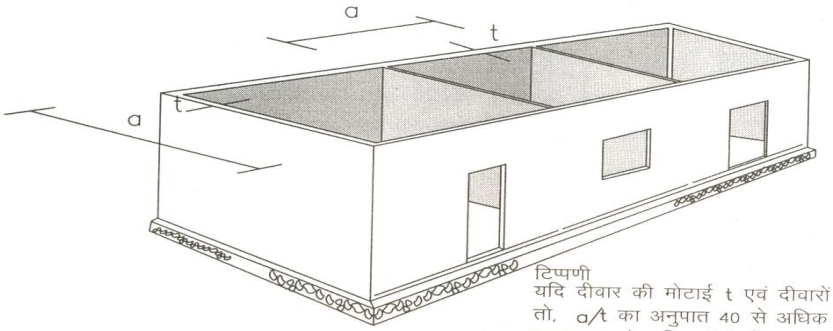

टिप्पणी
यदि दीवार की मोटाई t एवं दीवारों के बीच की दूरी a हो तो, a/t का अनुपात 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य भवन का ढांचा चित्र (स) के अनुसार रहे।

(अ) अधिक से अधिक अनुप्रस्थ दीवारें एवं छोटे बाक्स नुमा कमरे भूकंप में ज्यादा सुरक्षित एवं मजबूत होते हैं।

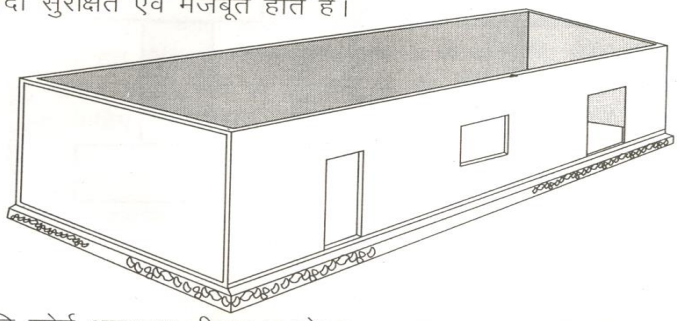

(ब) यदि कोई अनुप्रस्थ दीवार न हो तथा बडा बाक्सनुमा कमरा, भूकंप में कमजोर एवं असुरक्षित होते हैं ।

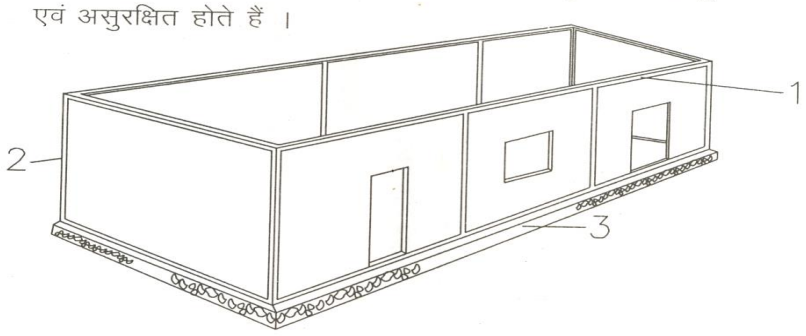

(स) चौखटें अवयवों वाली दीवारें (प्रायः प्रबलित कंक्रीट से निर्मित)
1. कॉलर बीम 2. स्तंभ या पुस्ते 3. नींव
चारों ओर से दीवारों से बंद क्षेत्र जिससे एक बाक्स जैसी चौकोर इकाई बनती हो

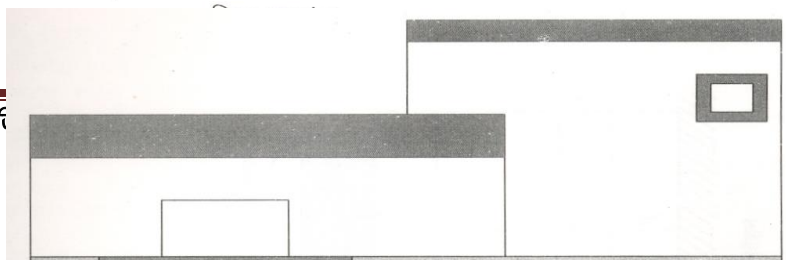

कमजोर तल

जहॉ पर कमजोर तल के निर्माण की मजबरी हो (चित्र 5.5) वहॉ संरचना की सुरक्षा हेतु उपयुक्त अभियांत्रिकीय कदम उठाना आवश्यक है। कृपया आई0एस0कोड0 1893–2002 देखें।

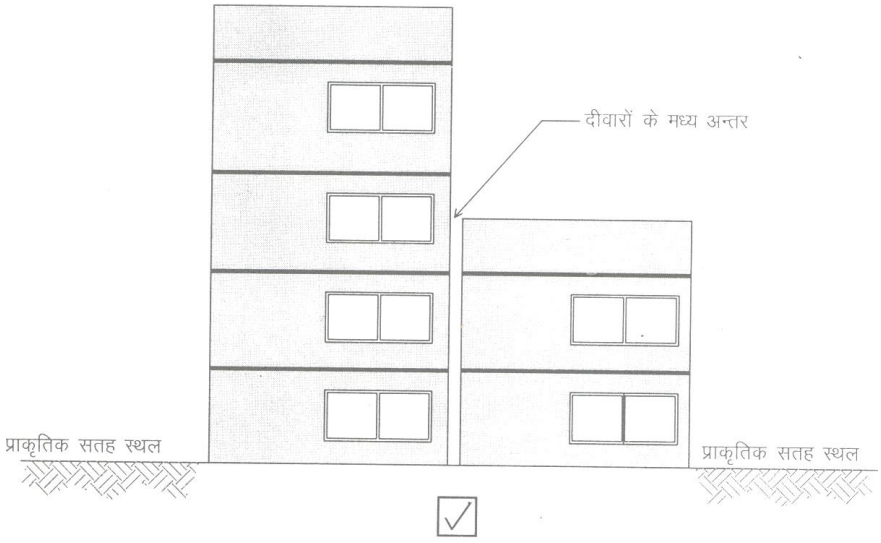

एक दूसरे से लगी हुई संरचनाओं में अलगाव होना चाहिए
चित्र क्रमांक 5.6

संरचनाओं का अलगाव

भवन खण्डों के बीच टकराव से होने वाली क्षति से बचने तथा प्रत्येक खण्ड की समरूपता सुनिश्चित करने हेतु तीन मंजिल तक के भवन हेतु नींव से लेकर उपर तक 3 से 4 सेमी. तक का अलगाव रखने का सुझाव दिया जाता हे। यदि ऐसे करना संभव नहीं हो तो इसे या तो ढंग देना चाहिए अथवा इसके अन्दर दबकर टूटने वाली सामग्री भर देना चाहिए ताकि भूकंप के दौरान यह सामग्री टूट जाए तथा भवन की मुख्य संरचना सुरक्षित रह सके।

गैर–संरचनात्मक भाग से जुड़ाव

- **घोड़िया (केन्टीलीवर) :** भवन निर्माण के दौरान अनावश्यक रूप से मुख्य संरचना से बाहर निकले हुए भागों से बचना चाहिए। फिर भी यदि यह आवश्यक हा तो मुख्य संरचना से बंधा हुआ उपयुक्त प्रबलन (मजबूतीकरण) के उपाय करना चाहिए।
- **सरलता :** भवनों के अलंकारीकरण हेतु बनाये गए बड़े छज्जे, उर्ध्वाधार या क्षैतिज कैन्टीलीवर, फैशीय पत्थरों आदि से भूकंप के दौरान जान–माल की हानि हो सकती है। भूकंप से सुरक्षा हेतु भवनों को सरल रखना सबसे उत्तम है। यदि अलंकारीकरण हेतु जोर दिया जाता है तो इन्हें लो से उचित रूप से बांधकर मुख्य संरचना से जोड़ देना चाहिए।

विषम द्रव्यमान

समलत अथवा उठे हुए भाग पर, विषम द्रव्यमान वाले भवन के अवयव, भवन संरचना में अत्यधिक अस्थिरकारक प्रतिबल पैदा कर सकते है। इनके उदाहरण हैं : – पानी की टंकी, सीढ़ियां, लिफ्ट के साफ्ट आदि (चित्र क्र0 5.7)। अतः ऐसे अवयवों में उपयुक्त संरचनीय शक्ति प्रदान करना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण भवन

महत्वपूर्ण भवनों जैसे विद्यालय, अस्पताल, थियेटर, सामुदायिक भवनों हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं (आई0एस0 1893) को ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे भवनों का रूपांकण अन्य भवनों की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक भूकंपीय एवं गुरूत्वाकर्षणीय प्रतिबलों को सहन करने हेतु किया जाता है। ऐसे भवनों के सुरक्षा की सुनिश्चितता व्यापक जान–माल की हानि कैसे बचने के अतिरिक्त भूकंप के बाद आपातकालीन कार्यो को इन भवनों में सामंजस्य करने हेतु उपलब्ध रखने के लिए भी आवश्यक है। इन भवनों में आपातकालीन स्थिति के दौरान आश्रय स्थल एवं सामुदायिक रसोई स्थापित करने हेतु भवन संरचना के अन्तर्गत ही अतिरिक्त स्थान रखना एक अच्छा विचार है।

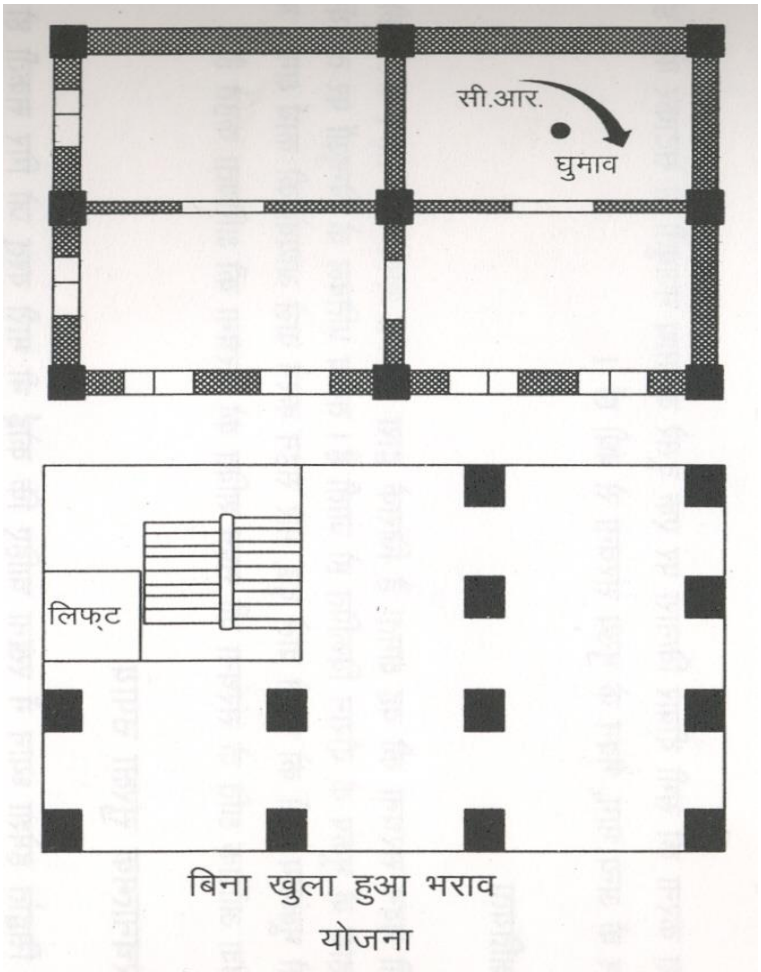

बिना खुला हुआ भराव

योजना

भूकंपरोधी निर्माण तकनीक

साधरणतः भवनों का निर्माण भूकंपीय एवं गुरूत्वाकर्षणीय बलों को सहन करने हेतु किया जाता है। इसे भार सहन करने वाले दीवार बनाकर अथवा ढांचागत निर्माण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ढांचागत निर्माण बड़े एवं ऊँचें भवनों हेतु ज्यादा उपयुक्त है। भूकंपरोधिता हेतु अपनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का विवरण नीचे दिया गया है : –

- संरचनीय संसक्ति

भवनों में भूकंपीय ऊर्जा का शोषण कर इसे धरातल में वापस भेजने हेतु स्थायी पथ उपलब्ध कराना आवश्यक है। भूकंप के दौरान, वैसी संरचना का व्यवहार अच्छा होता है जो एक दूसरे के साथ ठीक से बांधी गयी हो। यानि जब छत को दिवालों से मजबूती से बांधा गया हो, दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हो एवं अन्त में दीवार मजबूत नींव पर खड़ा हो तथा नीवं से बांधा गया हो। चिनाई किए हुए भवनों के मजबूतीकरण हेतु दिए गए बंधनों की व्यवस्था को चित्र 5.8 में देखा जा सकता है। इस हेतु निम्नांकित तकनीक अपनाए गए है : –

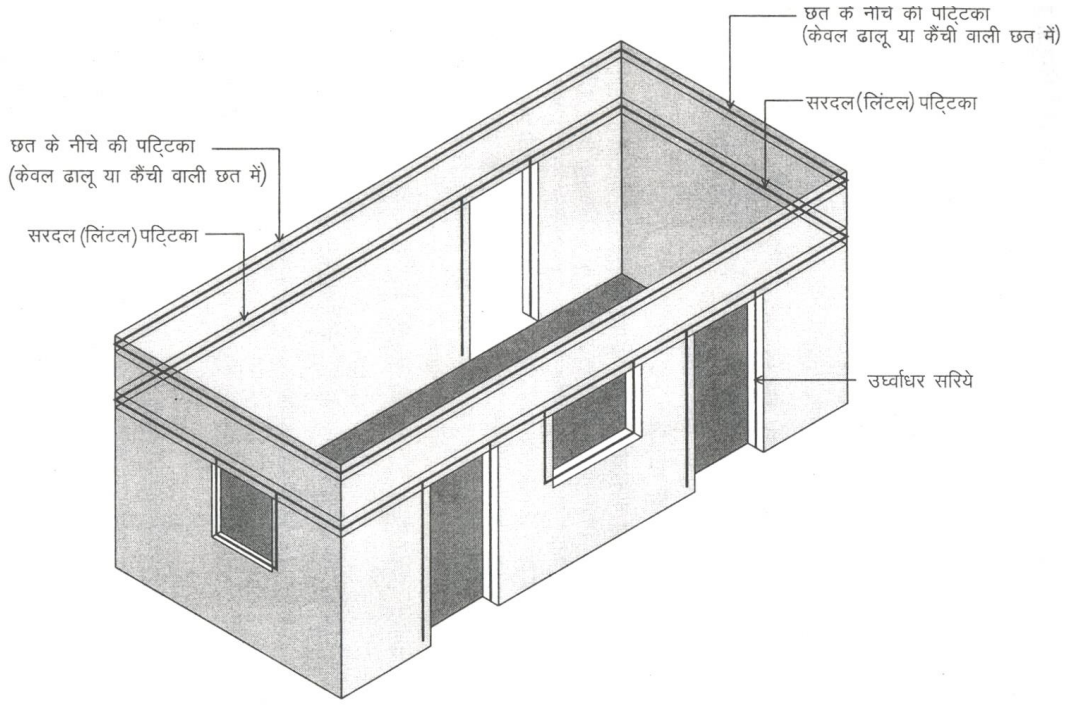

ईंट की चिनाई के मकान में भूकंपीय प्रबलन हेतु सरियों के विवरण का विस्तृत चित्रण

चित्र कमांक 5.8

- भार सहन करने हेतु बनाई गई सभी दीवारों को भवन की कुर्सी पट्टी, लिंटल पट्टी एवं छत की पट्टी से बांधना।

- यह सुनिश्चित करना की सभी दीवार किनारों पर एक दूसरे के साथ मजबूती से सटाकर बंधी हो।
- छत एवं भवन के अन्य भाग, भवन के मुख्य संरचना से बंधी हों।

▪ तन्यता एवं क्षतियता

- तन्यता, किसी भवन संरचना की वह क्षमता है जिसके द्वारा संरचना अपने भार सहन करने की शक्ति के बगैर किसी हास के भूकंप के दौरान विरूपित हो जाती है। तनाव प्रतिबल के बिन्दुओं पर तन्ययी सामग्रीयों के उपयोग से भूकंपीय बलों को सहने वाले दृढ़ भार सहन करने वाले अव्यवों की कार्य क्षमता बढ़ती है।
- बगैर पूरे अथवा आंशिक क्षति के संरचना की सहन शक्ति को संरचना की क्षतियता कहते है।

गैर संरचनात्मक सुरक्षा उपाय

यह मार्गदर्शी सिद्धान्त हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी भारी वस्तु जो गिर सकती हो या लुढ़क सकती हो, एवं किसी को घायल कर सकती हो या बाहर जाने का रास्ता अवरूद्ध कर सकती हो, उसे जोड़ से बांधकर रोकना चाहिए। इस प्रकार हो कि किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कांच के टुकड़ें, बिजली के तार एवं ज्वलनशील पदार्थो को भी बांध कर रखना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विवरण नीचे दिया जा रहा है : –

- आलमीरा, बुककेस, कैबिनेट आदि को पास की दीवार से जोड़ कर रखना चाहिए।
- अलमीरा एवं दराजों में कुडी लगाकर रखें ताकि इसके अन्दर का कोई वस्तु बाहर न गिरे।
- भारी वस्तुओं को दराज के अन्दर एवं नीचे रखें, एवं बड़ें भारी एवं टूटने वाली वस्तुओं का भी दराज के अन्दर रखें ताकि गिरने से बचाई जा सके।
- चित्रों एवं दपर्ण को दीवार से मजबूती से बांध कर रखे।
- कम्प्यूटर या छोटे सामग्रियों को मेज के उपर जोड़ कर रखें।
- छत के बल्व पंखें एवं अन्य लटकने वाली वस्तुओं को घर के स्थाई संरचना से जोड़ कर रखें।
- खिड़कियों एवं कॉच के दरवाजों पर सुरक्षा ग्रिल लगाऐं।
- गीजर को दीवार के साथ मजबूती के साथ बांध कर रखें।

- गैस आधारित सभी उपकरणों का कनेक्शन अस्थिर जुड़ाव से रखें एवं शटऑफ बाल्व का उपयोग करे।

भूकम्प संभावित जिलों में भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन में नियम का संशोधन

नियम–16 विकास के लिय भवन निर्माण के लिये अनुज्ञा हेतु आवेदन–पत्र ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भवन के किसी स्थान में सुधार निर्माण, पुननिर्माण या कोई परिवर्तन करना चाहता है, परिशिष्ठ (क) में दिये गये प्रारूप में अपने आशय की लिखित सूचना प्राधिकारी को देगा और ऐसी सूचना के साथ रेखांक तथा विवरणों की चार प्रतियां संलग्न होंगी. रेखांक सामान्य प्रिंट में फेरोपेपर या किसी अन्य पेपर पर होंगे ऐसे रेखांक का एक सेट कपडे ककी जिल्द में होगा जिसे अनुज्ञा जारी करने या जारी करने से इंकार करने क पश्चात् अभिलेख के लिये प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जावेगी आवेदन–पत्र के साथ ऐसे दस्तावेज यदि कोई हों संलग्न होंगे जो स्वयं के स्वामित्व या उसके संबंध में किसी विधिक अधिकार का प्रमाण होंगे.

नियम–84 संरचनात्मक डिजाइन–चिनाई, इमारती लकड़ी साधारण कंक्रीट, प्रवलित कंक्रीट, पूर्व प्रस्तावित कांक्रीट का संरचनात्मक डिजाइन तथा संरचनात्मक स्टी समय–समय पर यथा पुनरीक्षित संहिता भाग छह–संरचनात्मक डिजाइन अनुभाग के भार, अनुभाग–2 नींव, अनुभाग–3 लकड़ी, अनुभाग–4 चिनाई, अनुभाग–5 कंक्रीट, अनुभाग–6 स्टील के अनुसार किया जावेगा। इंजीनियरिंग संरचना निम्न उल्लेखित 16 क्षेत्रों के लिये, जो भूकम्प से प्रभावित हो सकते हैं. जैसे सरगुजा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, देवास, पूर्व निमाड़, पश्चिम निमाड़, इन्दौर, धार एवं झाबुआ के लिये इंजीनियरिंग संरचना हेतु निम्नानुसार विशिष्ट प्रावधान रखा जावें. आर0सी0सी0 एवं ईंट के पक्के निर्माण हेतु : –

1. आय0एस0 : 1893–1896
2. आय0एस0 : 13920–1993 (आय.एस. 456, आय.एस. 1893 के साथ पढ़ा जाये)
3. आय0एस0 : 4326–1993 (आय.एस. 1893 के साथ पढ़ा जायें) अर्ध पक्का मिट्टी
   गारा और अन्य निर्माणों हेतु.
4. आय0एस0 : 13827–1993
5. आय0एस0 : 13828–1993 मरम्मत एवं अन्य हेतु.
6. आय0एस0 : 13935–1993

नोट : आय.एस.कोड 1893 का संशोधन जून 2002 में किया गया है। भूकंप संभावित जिलों की संख्या का संशोधन 2001 में किया गया है और अब इनकी संख्या 21 है।